रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062021-227721
CG-DL-E-18062021-227721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
No. 171] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISHTHA 28, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

मामला संख्याः ओआई-18/2020

विषयः अंतिम जांच परिणाम - चीन जन. गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फॉइल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 06/21/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स रविराज फॉइल्स लि., और मैसर्स जिंदल इंडिया लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक'' अथवा "आवेदक कंपनियां" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन. गण., मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 "माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फॉइल" (जिसे आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा

"पीयूसी" कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए अधिनियम और नियमावली के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष संयुक्त रूप से एक विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र दायर किया है और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

2. और जबकि, जांच की शुरूआत का औचित्य बनाने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा के लिए पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 जून, 2020 की अधिसूचना सं. 06/21/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने की कार्रवाई से पूर्व पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 जून, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा घरेलू उद्योग को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गए पतों के अनुसार जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे अधिसूचना की शुरूआत के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवदेन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध करायी।

ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी चीन जन. गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उन्हें भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजीः

(i) डिंग्सेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हांगकांग ट्रेडिंग, चीन

(ii) डोंग गुआन काई युआन प्लास्टिकेशन, चीन

(iii) हांगझोऊ डिंग्सेंग इम्पॉ. एक्सपो. कंपनी लिमिटेड, चीन

(iv) हेनान मिंगताई टेक्नोलॉजी डेवेलपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन

(v) जिआंगसु डिंग्सेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड, चीन

(vi) जिआंगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मास्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन

(vii) जिआंगसु झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन

(viii) कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, चीन

(ix) लुओयांग लौंगडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, चीन

(x) पीक्सियान फेंगयुआन इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड कंपनी लिमिटेड, चीन

(xi) झेंगझोऊ मिंगताई इंडस्ट्री कं. लिमिटेड, चीन

(xii) पीटी एलुमिन्डो लाइट मेटल, इंडोनेशिया

(xiii) पीटी स्टारमास इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंडस्ट्री, इंडोनेशिया

(xiv) पीटी बीस्को इंडोनेशिया

(xv) पीटी इंटिबुमी एलुमिनडोटामा इंडस्ट्री, इंडोनेशिया

(xvi) ईज़ी मेटल एंटरप्राइज, मलेशिया

(xvii) एमएच मेगाहमाजू एंटरप्राइज, मलेशिया

(xviii) मोडल गगासन पीएलटी, मलेशिया

(xix) युआक्ज फ़ॉइल मलेशिया एसडीएन बीएचडी, मलेशिया

(xx) लॉफ्टन थाईलैंड कंपनी लिमिटेड, मलेशिया

(xxi) थाई डिंग ली न्यू मैटेरियल कं., मलेशिया

(xxii) प्रोपैक पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, मलेशिया

(xxiii) टॉयल थाईलैंड कंपनी लिमिटेड, मलेशिया

(xxiv) वरोपाकोर्न पब्लिक कंपनी लिमिटेड, मलेशिया

छ. प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

i. थाई डिंग ली न्यू मैटेरियल कं. लि.

ii. डिंगचेंज न्यू मैटेरियल कं. लि.

iii. हाजझोऊ डिंग्सेंट इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.

iv. डिंग्सेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं. लि.

v. जिआंगसु डिंग्सेंग न्यू मैटेरियल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड

vi. शांगकियु यंगुआंग एल्युमीनियम मैटेरियल कं. लि.

vii. कुनशन एल्युमीनियम कं. लि.

viii. जियांग्सु झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल कं. लि.

ix. जियांग्सु झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल कं. (एचके) लि.

x. शंघाई शेनहुओ एल्युमीनियम फॉइल कं. लि.

xi. वरोपाकोर्न पब्लिक कंपनी लिमिटेड

xii. लॉफ्टन (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड

xiii. हांगझोऊ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं. लि.

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं:

i. इंडोमेक्स इंडस्ट्रीज

ii. जील पैक (आयातक)

iii. दादरा एक्जिम्प प्राइवेट लिमिटेड

iv. सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लि.

v. पहाड़पुर 3पी प्राइवेट लिमिटेड

vi. द इंडियन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड फोल्डिंग कार्टन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफसीए)

vii. एस्सेल प्रोपेक लि.

viii. हुतामकी पीपीएल लि.

ix. उफलेक्स लि.

x. सिल्वर फॉइल्स प्रा. लि.

xi. रॉकडुड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

xii. पैरामाउंट यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड

xiii. वीरम नैचुरल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

xiv. ग्रेको फॉइल्स

xv. डेल्फो फ्लेक्सिपेक प्रा. लि.

xvi. नगरीकलंडकोन प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि.

xvii. यूनिस्टोन पैनल्स प्रा. लि.

xviii. जीएम अलॉयज प्रा. लि.

xix. जेवेल पैकेजिंग प्रा. लि.

xx. ब्लू स्टार लि.

xxi. बैंको प्रोडक्ट्स (इंडिया) लि.

xxii. आर एस फॉइल्स प्रा. लि.

xxiii. मैक्लोड्स फार्मास्युटिकल्स लि.

xxiv. दलाल पैकेजिंग

xxv. बेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xxvi. कैडबरी इंडिया लिमिटेड

xxvii. अंसा प्रिंट पैक प्रा. लि.

xxviii. ग्रीन पैक फॉइल्स प्रा. लि.

xxix. ग्लेक्सोमिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लि.

xxx. हिटाची होम एंड लाइफ सॉल्यूशन्स (इंडिया) लि.

xxxi. झवेरी फ्लेक्सी लैमिनेट प्रा. लि.

xxxii. जैन पैकेजिंग प्रा. लि.

xxxiii. कडीला फार्मास्युटिकल्स लि.

xxxiv. फाइजर लिमिटेड

xxxv. के ए ऐलु फॉइल

xxxvi. निप्रा इंडस्ट्रीज प्रा. लि.

xxxvii. पॉजिटिव पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लि.

xxxviii. द पेपर प्रोडक्ट्स लि.

xxxix. पॉलीकोम एसोसिएट्स

xl. सुपरमैक इंडस्ट्रीज

xli. रैनबो प्लास्टिक्स इंडिया लि.

xlii. कोच-ग्लिटस्च इंडिया लिमिटेड

xliii. स्वास्तिक फ्लेक्सिपैक प्रा. लि.

xliv. ऐलुटॉप कं. लि.

xlv. हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

xlvi. दन्ना लैमिनेट्स

xlvii. डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज लि.

xlviii. टेक्नोवा टेप्स इंडिया प्रा. लि.

xlix. टेक्नोवा टेप्स इंडिया प्रा.लि.

l. फॉइलपैक इंडस्ट्रीज

li. क्लाइमेट सिस्टम्स इंडिया लि.

झ. प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

i. इंडोमेक्स इंडस्ट्रीज

ii. जील पैक

iii. दादरा एक्जिम्प प्राइवेट लिमिटेड

iv. यूनिस्टोन पैनल्स प्रा. लि.

ञ. निम्नलिखित प्रयोक्ताओं ने प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

i. सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लि.

ii. पहाड़पुर 3पी प्राइवेट लिमिटेड

iii. द इंडियन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड फोल्डिंग कार्टन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफसीए)

iv. एस्सेल प्रोपेक लि.

v. हुतामकी पीपीएल लि.

vi. उफलेक्स लि.

vii. सिल्वर फॉइल्स प्रा. लि.

viii. रॉकडुड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

ix. पैरामाउंट यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड

x. वीरम नैचुरल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

xi. ग्रेको फॉइल्स

xii. डेल्फो फ्लेक्सिपेक प्रा. लि.

xiii. नगरीकलंडकोन प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि.

ट. प्राधिकारी ने अनुरोध किए जाने पर प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए निर्यातकों को 15 अगस्त, 2020 तक समय बढ़ाए जाने की मंजूरी दी और फिर 22 अगस्त, 2020 तक समय बढ़ाए जाने की मंजूरी दी गई थी।

ठ. प्राधिकारी ने पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे हितबद्ध पक्षकारों की सूची के साथ अपने उत्तर के अगोपनीय रुपांतर साझा करें। पक्षकारों ने ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ उत्तर के अगोपनीय रुपांतर का आदान-प्रदान किया।

ड. आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से और सूचना मांगी गई थी। टेबिल अध्ययन के माध्यम से आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। आवश्यक संशोधन, जहां कहीं लागू था, के साथ उस सत्यापित सूचना पर भी अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।

ढ. जांच 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि (12 माह) (जिसे इसके बाद "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) के लिए आयोजित की गई थी। क्षति विश्लेषण में 1 अप्रैल, 2016 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल है।

ण. पिछले तीन वर्षों के लिए और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन और लेन-देनों की उचित जांच के बाद उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

त. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

थ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 24 फरवरी, 2021 को हुई मौखिक सुनवाई में अपने अनुरोध मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया जिसमें विभिन्न पक्षकारों ने भाग लिया था। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्हें सलाह दी गई थी कि वे अपने मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों के अनुरोधों के प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया था।

द. प्राधिकारी ने उठाए गए सभी तर्कों और इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है जहां तक वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जांच से संगत माने गए हैं। इस जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जहां भी संगत पाए गए, को इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा हल कर दिया गया है।

ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।

न. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बना होता, दिनांक 07.06.2021 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए दिनांक 14.06.2021 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।

प. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया है।

फ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार/ किसी अन्य पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ब. जांच की अवधि के लिए विनिमय दर प्राधिकारी द्वारा 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए ली गई है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "एल्युमीनियम फॉइल, चाहे प्रिंटेड हो अथवा न हो अथवा बेक्ड विद पेपर हो, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक अथवा 80 माइक्रोन एवं उससे कम की मोटाई की समान पैकिंग सामग्री (अनुमत्य संहिता के साथ)" है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैः

क. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की रेंज की मोटाई का एल्युमीनियम फॉइल।

ख. ऐलु ऐलु लैमिनेटः एए8079 और एए8021 में 40-50 माइक्रोन का ऐलु ऐलु लैमिनेट, एक मल्टी लेयर्ड ओपेक लैमिनेट है जहां एल्युमीनियम फॉइल है और एडेसिव के साथ दोनों ओर प्लास्टिक फिल्म के साथ बैक्ड है; कैप्सूल/टेबलेट की पैकिंग में प्रयोग के लिए।

ग. अल्ट्रा लाइट गॉज कंवर्टेडः 5.56 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की मोटाई वाला एल्युमीनियम फॉइल, जो क्राफ्ट पेपर तथा स्क्रिम, अथवा ग्लास क्लॉथ के साथ बैक्ड है, इंसुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन्स कवरिंग और टी बैग अनुप्रयोग में प्रयोग के लिए चाहे प्लेन हो अथवा प्रिंटेड हो।

घ. एल्युमीनियम फॉइल कम्पोजिटः क्राफ्ट पेपर तथा ग्लास स्क्रीन अथवा पॉलीएथिलीन के साथ अथवा उसके बिना ग्लास क्लॉथ के साथ लैमिनेटेड अथवा बैक्ड एल्युमीनियम फॉइल, चाहे प्रिंटेड हो अथवा प्रिंटेड न हो। तथापि, क्राफ्ट पेपर के साथ लैमिनेटेड अथवा बैक्ड एल्युमीनियम फॉइल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और प्रस्तावित उपायों के अंतर्गत है।

ङ. 500 एमएम से कम की चौड़ाई के कैपेसीटरों के लिए एल्युमीनियम फॉइलः कैपेसीटरों के लिए एल्युमीनियम फॉइल रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवेन्स, इलेक्ट्रिकल वेल्डर्स, मैग्नेटोस, इलेक्ट्रोनिक टेस्टिंग उपस्कर, कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, फ्लोरोसेंट लाइट, मरकरी वेपर स्ट्रीट लैम्प्स, विद्युत पारेषण उपस्करों, इलेक्ट्रिक मोटरों, नियंत्रण यूनिटों और समान वस्तुओं जैसे विद्युत उपस्करों में प्रयोग के लिए 500 एमएम से कम की चौड़ाई वाले 99.35 प्रतिशत की शुद्धता के साथ 5 माइक्रोन गॉज का एल्युमीनियम फॉइल है।

च. उकेरा हुआ अथवा निर्मित एल्युमीनियम फॉइलः इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसीटर के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने के लिए बना एल्युमीनियम फॉइल।

छ. एल्युमीनियम कंपोजिट पैनलः एल्युमीनियम कंपोजिट पैनल फैकेड क्लेडिंग और सिग्नेज में प्रयोग के लिए एल्युमीनियम की दो पतली परतों के बीच बंधा हुआ गैर-एल्युमीनियम कोर (प्रायः पीई) है।

ज. अनुरूप गैर-क्लेड एल्युमीनियम फॉइल से युक्य क्लेडः रेडिएटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग में इंजन की कूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणालियों में प्रयोग के लिए हाई स्ट्रेंथ एल्युमीनियम कोर मैटेरियल में धात्विक रूप से बांडेड एल्युमीनियम सतह की परतों से निर्मित एक संक्षारणरोधी एल्युमीनियम शीट।

झ. बीयर बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉइलः बीयर बोतल में प्रयोग के लिए रफ सतह तथा परफोरेटेड चाहे प्रिंटेड हो अथवा न हो, से युक्त 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉइल।

ञ. एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित और/अथवा क्लेड एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित अलॉय, क्लेड हो अथवा अन-क्लेड होः रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर्स, हीट वेंटिलेशन तथा एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणालियों और उनके हिस्से पुर्जों में प्रयोग के लिए प्रशुल्क शीर्ष 7607 के तहत आने वाले 35 एमपीए से अधिक पोस्ट ब्रेजिंग यील्ड स्ट्रेंथ के साथ।

(ii) विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम के उप शीर्ष 7607, 760711, 76071110, 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 और 76072010 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

<u>पीसीएन</u>

(iii) आवेदकों ने उत्पादों की विभिन्न किस्मों के बीच उचित तुलना के लिए बेयर फॉइल और कंवर्टेड फॉइल के रूप में दो व्यापक श्रेणियों पर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) अपनाए जाने का प्रस्ताव किया। बेयर फॉइल प्लेन फॉइल है और कंवर्टेड फॉइल में पेपर, क्राफ्ट, पॉलीथीन आदि लगे हुए हैं।

(iv) हटाए जाने के अनुरोध – हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए हटाए जाने के अनुरोधों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

<u>बैट्री फॉइलः</u>

क. घरेलू उद्योग बैट्री फॉइल का निर्माण करने में सक्षम हैं और भेल जैसे प्रतिष्ठित ग्राहकों को उसकी नियमित रूप से आपूर्ति करता आ रहा है। इसका दस्तावेज सबूत लिखित अनुरोधों में संलग्न किया गया था। हिंडाल्को की एल्युमीनियम लिब बैट्री फॉइल का परीक्षण किया गया है और स्पेस ऐप्लिकेशन (वीएसएससी/इसरो, भेल) तथा ऑटो अनुप्रयोगों के अनुसार भी फॉइल निष्पादन के उच्चतम मानदंडों के विरुद्ध योग्यता प्राप्त है। हिंडाल्को भारत में एल्युमीनियम बैट्री फॉइलों का विनिर्माण कर रहा है और ईवी/विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों के लिए लिब विनिर्माण क्रांति में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है।

ख. यह कंपनी उन सभी बैट्री विनिर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है जो "आत्मनिर्भर भारत" के विजन को पूरा करने के लिए नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत भारत में संयंत्रों की स्थापन कर रहे हैं।

<u>कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइलः</u>

ग. मौखिक सुनवाई के दौरान और लिखित अनुरोधों में उल्लिखित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइल को हटाए जाने के लिए सहमत है।

<u>5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉइल</u>

घ. पूर्व जांच में उत्पाद क्षेत्र में 5.5 माइक्रोन से कम का एल्युमीनियम फॉइल शामिल नहीं था क्योंकि घरेलू उद्योग उसका उत्पादन नहीं कर सकता था। जिंदल ने पहले ही 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉइल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। जिंदल ने 5.5 माइक्रोन से कम के लिए व्यापारिक बिक्री हेतु पहले ही बीजक दे दिए हैं और जिंदल की उत्पादन क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता।

ङ. इस तथ्य कि हिंडाल्को और रविराज 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉइल का उत्पादन नहीं करते, का अर्थ यह नहीं है कि 5.5 माइक्रोन से कम का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी उत्पादक सभी प्रकार के उत्पाद बनाने में सक्षम हों।

च. जहां तक वेबसाइट पर उत्पाद को न दर्शाए जाने का संबंध है, वह किसी उत्पाद को हटाए जाने का मानदंड नहीं है और उसका अर्थ यह नहीं है कि उस उत्पाद का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है।

छ. केवल इसलिए कि युफ्लेक्स 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉइल का उत्पादन करने में जिंदल के संबंध में नहीं जानता, का अर्थ यह नहीं है कि उत्पाद का विनिर्माण नहीं किया जा रहा है। आवेदकों ने प्राधिकारी के समक्ष विस्तृत आंकड़े दायर किए हैं और प्राधिकारी ने उनका सत्यापन किया है। आवेदक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में सहायता के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य सूचना देंगे।

<u>एसआरसी फॉइल</u>

ज. एसआरसी फॉइल बाजार में नया उत्पाद नहीं है और हिंडाल्को कई युगों से उसका उत्पादन करता आ रहा है। वे पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन कर रहे हैं। आवेदक संबद्ध सामानों के उत्पादक हैं और उनके व्यापार में संबद्ध सामानों की बिक्री करना शामिल है। एसआरसी का कुल आयात जांच की अवधि में लगभग 7,290 मीट्रिक टन है और एसआरसी के लिए मांग बाजार में उससे कहीं अधिक है तथा वह मांग घरेलू उद्योग द्वारा ही पूरी की जा रही है।

<u>एथेसिव टेप</u>

झ. घरेलू उद्योग वर्तमान में एथेसिव टेप का विनिर्माण नहीं करता। फिर भी घरेलू उद्योग इस उत्पाद किस्म का उत्पादन कर सकता है। घरेलू उद्योग को यह मानते हुए वर्तमान जांच के उत्पाद क्षेत्र से उसको हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मानदंड के रूप में वास्तविक उत्पादन का परीक्षण लागू किया है। प्राधिकारी ने मानदंड के रूप में वास्तविक उत्पादन का परीक्षण लागू किया है।

(v) विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करने के लिए न तो कोई निर्धारण है और न ही कोई प्रतिबंध है। डब्ल्यूटीओ ने माना है कि इस संबंध में कोई कानूनी अधिदेश नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद क्या होगा। विभिन्न जांचकर्ता प्राधिकारियों के विगत जांच परिणाम का विश्लेषण यह दर्शाएगा कि (क) विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत आंतरिक सजातीयता, (ख) विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न किस्मों की परस्पर प्रतिस्थापनीयता की कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है।

(vi) फार्म्ड सालमन के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट में यह माना गया कि "किसी भी किस्म के समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले किसी भी उद्यम पर कम से कम पहली बार समान उत्पाद के "उत्पादक" और इस प्रकार घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार किया जाना चाहिए"। तथापि, पैनल ने कुछ परिस्थितियों की परिकल्पना की जो उत्पाद के "उत्पादक" के रूप में किसी कंपनी पर विचार करने के लिए पर्याप्त न हो। तथापि, ये परिस्थितियां मामला विशिष्ट हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि किसी भी क्रियाकलाप को "उत्पादन" नहीं माना जा सकता, तथापि किसी अलग मामले के आधार पर माने जाने के लिए "पर्याप्त क्रियाकलाप" की आवश्यकता होती है। एफआरपी से एल्युमीनियम फॉइल में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त क्रियाकलाप होता है।

(vii) प्राधिकारी ने एसडीएच पारेषण के मामले में माना था कि यदि अंतिम उत्पाद होने के लिए कच्ची सामग्री में पर्याप्त रुपांतरण किया जाता है तो उस क्रियाकलाप को "उत्पादन" माना जाता है। उत्पादक अर्थात रविराज और जिंदल वे क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप इनपुट का पर्याप्त रुपांतरण होता है अर्थात भिन्न एवं विभिन्न अंतिम उत्पाद में एल्युमीनियम फॉइल स्टॉक अर्थात एल्युमीनियम फॉइल।

(viii) मामले के तथ्य, *ऑक्सो एल्कोहॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2001 (130) ईएलटी 58], चीन जन. गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, चीनी तैपई, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद और* अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित *यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी किस्मों के साथ एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड*

फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच वर्तमान मामले से भिन्न है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान उत्पाद क्षेत्र से अलग नहीं किए जा सकते। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए जा रहे उत्पाद पहले ही उत्पाद क्षेत्र से अलग कर दिए गए हैं। पक्षकार ने यह दर्शाए बिना भी मामले का उल्लेख किया है कि वह वर्तमान मामले पर कैसे लागू होता है।

<u>गुणवत्ता मुद्दा</u>

(ix) यह इंकार किया जाता है कि घरेलू फॉइल उसमें पिनहोल काउंटों की अधिक संख्या के कारण आयातित फॉइल का समान उत्पाद नहीं है। निर्यातित सामानों में भी अधिसंख्या पिनहोल हैं और इसके लिए कोई बीआईएस नहीं है कि फॉइल में कितने छेद होने चाहिए। यह मुद्दा पूर्व जांच में भी उठाया गया था और प्राधिकारी का यह मत था कि आवेदक सरकारी निर्धारित मानकों के अनुसार ही संबद्ध सामानों की बिक्री कर रहे हैं।

(x) प्रयोक्ताओं/आयातकों ने अपने उत्तर में आयातित और घरेलू सामानों के बीच किसी तकनीकी/भौतिक अंतर की पहचान नहीं की है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग को सराहना और ग्राहकों से गुणवत्ता अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्राप्त हिए हैं। गुणवत्ता पाटनरोधी कानून के तहत असमान वस्तु के रूप में उत्पाद माने जाने का मानदंड नहीं है।

(xi) गुणवत्ता में अंतर उत्पाद को हटाए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माना गया है और डीएसएम इदेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेसटेट द्वारा माना गया है।

(xii) जहां तक घरेलू उद्योग की निरस्तीकरण दर का संबंध है, वह काफी स्तर तक नीचे आई है। घरेलू उद्योग की निरस्तीकरण दर कम है और प्रयोक्ताओं/ आयातकों द्वारा विवरण अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दिए गए हैं।

(xiii) हिंडाल्को सभी किस्मों की फॉइल का उत्पादन करता है जिनका प्रयोग या तो फूड पैकेजिंग अथवा फार्मास्युटिकल अथवा हाई एंड बैट्री कारों में किया जाता है। यहां तक कि यदि हिंडाल्को और रविराज उसका उत्पादन नहीं करते, यह पर्याप्त है कि एक आवेदक संबद्ध सामानों का उत्पादन करता है।

(xiv) हिंडाल्को अपने कैप्टिव खपत से अधिक एसआरसी और हाउस फॉइल का उत्पादन करता है और घरेलू बाजार की पूर्ति करता है। एसआरसी और हाउस फॉइल का उत्पादन अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा भी किया जा रहा है। घरेलू बाजार में अन्य उत्पादक हैं जो हिंडाल्को को छोड़कर एसआरसी और हाउस फॉइल का उत्पादन करते हैं। एसआरसी और हाउस फॉइल के लिए भारतीय क्षमता घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह सही नहीं है कि हिंडाल्को की प्रभावी स्थिति होगी।

ग.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) इस तथ्य पर काफी जोर दिया जाता है कि फॉइल स्टॉक से एल्युमीनियम फॉइल का उत्पादन करने में कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और यह फॉइल स्टॉक के आयात का संरक्षण करने के इरादे से किया जाता है। फॉइल स्टॉक उच्चतर माइक्रोन का एल्युमीनियम फॉइल है, यदि फॉइल स्टॉक को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाता है तो पूरा विचाराधीन उत्पाद विकृत किया जा सकता है। याचिकाकर्ता आयात किए जा रहे कुछ सामानों को हटाने के लिए नहीं कह सकते। फॉइल स्टॉक विचाराधीन उत्पाद का अर्ध-परिष्कृत चरण है।

(ii) प्राधिकारी ने फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की है। रविराज और जिंदल इंडिया जो हिंडाल्को सहित पूर्व की जांच तथा वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता है, को इस मामले से अलग किया गया है क्योंकि वे संबद्ध देश से फॉइल स्टॉक के आयातक हैं। इस आलोक में प्राधिकारी को वर्तमान जांच शुरू नहीं करनी चाहिए थी।

(iii) प्राधिकारी ने "चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमलेस ट्यूब पाइप और लोहे के पाइप और खोखले प्रोफाइल अलॉय अथवा गैर-अलॉय स्टील के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच";

चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अलॉय अथवा गैर-अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम में माना कि प्रसंस्करणकर्ता उत्पादक नहीं हो सकते।

(iv) यूएसआईटीसी ने रूस के मूल के कतिपय एल्युमीनियम फॉइलों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाते हुए चीन से एल्युमीनियम फॉइल में, जांच संख्या 701-टीए-570 और 731-टीए-1346 (अंतिम) और 3 जुलाई, 2015 के यूरोपीय आयोग विनियम (ईयू) 2015/1081 में यह निष्कर्ष निकाला कि केवल प्रसंस्करण क्रियाकलापों में लगे अन्य उत्पादक घरेलू उद्योग माने जाने के लिए पात्र नहीं थे।

(v) याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर और गलत तरीके से रोलिंग के मध्यवर्ती चरण से फॉइल स्टॉक को फॉइल में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया वर्णित की है जो कि अनिवार्य रूप से परिवर्तन अथवा डाउन-गेजिंग प्रचालन है और विनिर्माण क्रियाकलाप के योग्य नहीं है। डीजीटीआर की नियम पुस्तक के पैरा 3.10 और 3.14 के अनुसार केवल विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जा सकता है।

(vi) यद्यपि संबद्ध सामान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 के तहत वर्गीकृत हैं, तथापि यह केवल संकेतात्मक है और लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के लिए उत्पाद विवरण तथा प्रयोग के अनुसार उसकी सिफारिश की जानी चाहिए।

(vii) निष्कासन अनुरोध – विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित को हटाए जाने का अनुरोध किया गया है:

क. <u>बैट्री फॉइलः-</u> कोई भी भारतीय उत्पादक यूएफओ/यूएफओएम द्वारा उल्लिखित तकनीकी एवं यांत्रिक मानकों के अनुसार बैट्री फॉइल विकसित करने में सक्षम नहीं था। बैट्री फॉइल विशेषीकृत फॉइल है जो पूरे विश्व में लि-आयन बैट्री विनिर्माताओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और उच्च निष्पादन वाली रिचार्जेबल लि-आयन बैट्रियों के विनिर्माण में प्रयुक्त की जाती है, प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों तथा स्मार्ट फोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए प्रयुक्त की जाती है। कोई भी भारतीय उत्पादक उन बैट्री फॉइलों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता/विशिष्टियों से युक्त 15 माइक्रोन मोटाई की फॉइलों का विनिर्माण नहीं करता जो विचाराधीन उत्पाद से यूएफओएम/यूएफओ को विशिष्ट बनाए।

ख. बेची गई बैट्री फॉइल के लिए कोई तकनीकी विशिष्टि याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं दी गई है। यूएसीजे फॉइल मलेशिया एसडीएन बीएचडी ने कंपनी द्वारा उत्पादित "बैट्री फॉइलों" की यांत्रिक और रासायनिक विशिष्टियां दी हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित फॉइलों के साथ उसकी तुलना की है। यूएसीजे फॉइल मलेशिया एसडीएन बीएचडी द्वारा विनिर्मित "बैट्री फॉइल" और याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित फॉइल समान वस्तु नहीं हैं।

ग. <u>5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉइलः-</u> हिंडाल्को और रविराज 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉइल का उत्पादन नहीं करते और इसी का उल्लेख उनकी वेबसाइट पर किया गया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पीसीएन-वार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि दो कंपनियों अर्थात हिंडाल्को और रविराज के 5.5 से कम के यूएलजी का उत्पादन शून्य है। जिंदल ने भी जांच की अवधि में कुछ मात्राओं में ही उत्पादन किया है। इस प्रकार, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उन्होंने 5.5 माइक्रोन से कम यूएलजी एल्युमीनियम फॉइल का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री की है, तब तक उसे उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। जांच की अवधि के दौरान जिंदल की विचाराधीन उत्पाद की वाणिज्यिक मात्राओं का उत्पादन करने की क्षमता संदिग्ध है। अतः 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉइल जांच की अवधि के दौरान काफी मात्राओं में भारत में आयात किए गए थे।

घ. प्राधिकारी को जांच की अवधि के दौरान 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमीनियम फॉइल के लिए विशिष्ट क्षमता और उनके वास्तविक उत्पादन एवं बिक्री की स्थिति मंगानी चाहिए तथा उसकी तुलना जांच की अवधि के दौरान देश में उत्पाद के लिए मांग के साथ की जानी चाहिए।

ङ. <u>एल्युमीनियम फॉइल एथेसिव टेप्-</u> एथेसिव टेप मूल्यवर्धित उत्पाद है जिनमें एल्युमीनियम फॉइल उनकी एक घटक सामग्री है जिसका प्रयोग विशेष रूप से रेफ्रिजरेटरों में क्लस्टर पाइपों को बांधने के लिए और ताप क्षय बढ़ाने के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग इस प्रकार के एथेसिव टेपों का उत्पादन नहीं करता है जो कि अकेला ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इस उत्पाद को अलग करने के लिए पर्याप्त है।

च. <u>हाउस फॉइल्स और सेमी रिजिड कंटेनर (एसआरसी)-</u> हाउस फॉइल और एसआरसी फॉइल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि वे अर्याप्त मात्रा में उत्पादित किए जा रहे हैं और पर्याप्त सामग्री से प्रयोक्ताओं को वंचित करने के बाद बाजार में बहुत कम मात्रा में आपूर्ति किए जा रहे हैं। उत्पादकों का इन दो प्रकार के फॉइल के विनिर्माण पर जोर नहीं है। वे घरेलू बाजार में कुछ मात्राओं में बेचे जा रहे हैं ताकि इन किस्मों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किए जाने की मांग की जा सके। जिंदल एल्युमीनियम लिमिटेड ने (क) क्षमता की अधिक बुकिंग और (ख) उनके कारखाने में आग के कारण आपूर्ति के मुद्दों के कारण अपेक्षित मात्रा में एसआरसी की आपूर्ति करने में उनकी असमर्थता के संबंध में दो क्रेताओं के बारे में सूचित किया। प्राधिकारी को डीएमएसी के हाल के मामले के अनुसार उत्पाद को हटाने का निर्णय लेना चाहिए।

छ. भारत में एचएचएफ की 2 किस्में (मोटाई) मुख्य रूप से बेची जाती हैं, एक 10.5 माइक्रोन है और दूसरी 18 माइक्रोन है। पहली का बाजार हिस्सा 90 प्रतिशत है। 18 माइक्रोन कुछ बना रहे हैं, 10.5 माइक्रोन कोई नहीं बना रहा है। इसका कारण 10.5 माइक्रोन में रोलिंग बहुत अधिक समय लेता है और उत्पादन बहुत कम है। अतः यदि किसी संयंत्र में एसआरसी के लिए 500 टन की क्षमता है तो वह एचएचएफ का केवल 100 टन उत्पादन कर सकता है, यदि पूर्ण क्षमता पर संचालित किया जाए। इस पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारी कमी बन जाएगी और उपभोक्ताओं को सीधे ही प्रभावित करेगा।

ज. पाटनरोधी शुल्क लागू करने के बाद, निचले स्तर के बाजार में प्रभावी व्यापारी हिंडाल्को के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। अतः हाउस और एचआरसी फॉइल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाना इस स्थिति से बचने के लिए अनिवार्य है। विशेष रूप से, हिंडाल्को एचआरसी का विनिर्माण करता आ रहा है, परन्तु वह केवल कैप्टिव खपत के लिए है और जांच की अवधि के दौरान और एसआरसी के किसी भी निर्माता को भारत में किसी एसआरसी सामग्री की बिक्री नहीं की। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद वह एकाधिकार की भूमिका निभाएगा क्योंकि वह अलचॉ मेटिप्रिंट लि. को सामग्री की आपूर्ति करेगा जो इसके लिए जॉब वर्क करता है।

झ. <u>कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइलः-</u> घरेलू उद्योग कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइल का विनिर्माण नहीं कर सकता। यह तथ्य उनके द्वारा मौखिक सुनवाई के दौरान भी स्वीकार किया गया था। पूर्व की पाटनरोधी शुल्क जांच में माननीय सेसटेट ने यूनिस्टोन और इंडोमेक्स द्वारा अभ्यावेदन को माना और यह माना कि कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइल का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार उसे उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। तद्नुसार, कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइल को भी वर्तमान जांच से भी अलग किया जाना चाहिए।

(viii) डीजीटीआर मैनुअल के पैरा 3.10 में भी यह भी उल्लेख है कि बिना किसी उत्पादन के अथवा व्यापारिक बिक्री के केवल क्षमता विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में इसी मद को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। विचाराधीन उत्पाद में वे मदें शामिल होनी चाहिएं, जो संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में उत्पादित की जाती हैं और जिनकी वाणिज्यिक रूप से बिक्री की जाती है।

(ix) माननीय सेसटेट ने *ऑक्सो एल्कोहॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2001 (130) ईएलटी 58]* में यह माना कि यदि उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किए जाते हैं तो उस उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती और इसीलिए ऐसे उत्पाद को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अलग किया जाना चाहिए।

(x) विभिन्न पाटनरोधी जांचों पर विश्वास किया गया था जिनमें *चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, चीनी तैपई, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात* तथा *यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी किस्मों के साथ एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के* आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शामिल है।

(xi) 5.3 माइक्रोन फॉइल का आयात कम्पोजिट लैमिनेटेड स्ट्रक्चर को कम मापता है, कार्बन फुटप्रिंट और प्लास्टिक की खपत कम करता है; अतः यह उद्योग की आवश्यकता है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे याचिकाकर्ताओं को निर्देश दें कि वे सत्यापन के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के फॉइलों के अपने उत्पादन के ब्यौरे प्रस्तुत करें क्योंकि सबसे अधिक प्रयोक्ता यूफ्लेक्स के पास उसकी आपूर्ति के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

<u>गुणवत्ता मुद्दा</u>

(xii) 6.3 माइक्रोन फॉइल का प्रयोग खाद्य संदूषण के संरक्षण के लिए बाधक सामग्री के रूप में लचीली पैकेजिंग लैमिनेट के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद पिनहोल काउंट की अधिक संख्या होने के कारण आयातित उत्पाद की समान वस्तु नहीं है। इस गुणवत्ता मुद्दे के कारण शुल्क लगाए जाने के बाद भी 6.3 माइक्रोन फॉइल का आयात किया जाएगा और उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।

(xiii) प्राधिकारी को उत्पाद क्षेत्र निर्धारित करते समय गुणवत्ता मुद्दे, यथा फॉइल में एयर पॉकेट, फ्लेटनेस, ऑक्सीडेशन आदि का प्रयोक्ताओं के साथ विचार करना चाहिए। डीएमएसी के एक दूसरे पाटनरोधी शुल्क मामले में, विशिष्ट किस्म के आयातों की अनुमति दी गई थी क्योंकि भारतीय उत्पादक प्रयोक्ताओं के विशिष्ट क्षेत्र द्वारा अपेक्षित उस विशिष्ट किस्म की आपूर्ति नहीं कर रहे थे।

(xiv) घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई फॉइल में फॉइल रोल में एयर पॉकेट, फ्लेटनेस, फ्री फ्लो, ऑक्सीडेशन, फॉइल के संदूषण आदि जैसे कई गुणवत्ता मुद्दे हैं और उसके कारण घरेलू उद्योग की निरस्तीकरण दर बहुत अधिक है। प्राधिकारी कृपया गुणवत्ता के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई गुणवत्ता के आधार पर उत्पाद क्षेत्र निर्धारित करें।

(xv) प्राधिकारी वास्तविक आयातों की वस्तुनिष्ठ जांच विशेषकर विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करते समय निष्कासनों के मामले में करें। उत्पादों को हटाने के लिए लेन-देन वार आयात आंकड़ों की कोई सूचना अगोपनीय रुपांतर में नहीं है जिससे महत्वपूर्ण सूचना दब रही है।

(xvi) प्राधिकारी को उन तथ्यों को सिद्ध करने के लिए घरेलू उत्पादों पर किए गए परीक्षण के वीडियो और संगत परीक्षण रिपोर्टों की आवश्यकता है कि सामान उनके विशिष्ट प्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है और पिनहोल, मोटाई, उच्च गति की मशीनों पर कार्य करने की क्षमता न होने जैसे कई गुणवत्ता मुद्दे हैं।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

6. कई हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कई मुद्दे उठाए हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से भारी संख्या में उत्पाद किस्मों को हटाए जाने की मांग इस आधार पर की है कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद किस्म का उत्पादन करने में अथवा वांछित उत्पाद किस्म में उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है अथवा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता भिन्न है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच पक्षकारों से संगत सूचना मंगाए जाने के बाद और डेस्क अध्ययन के दौरान उसकी जांच करने के बाद की गई है।

7. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में नोट किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद "एल्युमीनियम फॉइल, चाहे प्रिंटेड हो अथवा न हो अथवा बेक्ड विद पेपर हो, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक अथवा 80 माइक्रोन एवं उससे कम की मोटाई की समान पैकिंग सामग्री (अनुमत्य संहिता के साथ)" है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैः

(i) चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की रेंज की मोटाई का एल्युमीनियम फॉइल।

(ii) ऐलु ऐलु लैमिनेटः एए8079 और एए802 में 40-50 माइक्रोन का ऐलु ऐलु लैमिनेट, एक मल्टी लेयर्ड ओपेक लैमिनेट है जहां एल्युमीनियम फॉइल है और एडेसिव के साथ दोनों ओर प्लास्टिक फिल्म के साथ बैक्ड है; कैप्सूल/टेबलेट की पैकिंग में प्रयोग के लिए।

(iii) अल्ट्रा लाइट गॉज कंवर्टेडः अल्ट्रा लाइट गॉज कंवर्टेड 5.56 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की मोटाई वाला एल्युमीनियम फॉइल, जो क्राफ्ट पेपर तथा स्क्रिम, अथवा ग्लास क्लॉथ के साथ बैक्ड है, इंसुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन्स कवरिंग और टी बैग अनुप्रयोग में प्रयोग के लिए चाहे प्लेन हो अथवा प्रिंटेड हो।

(iv) एल्युमीनियम फॉइल कम्पोजिटः क्राफ्ट पेपर तथा ग्लास स्क्रीन अथवा पॉलीएथिलीन के साथ अथवा उसके बिना ग्लास क्लॉथ के साथ लैमिनेटेड अथवा बैक्ड एल्युमीनियम फॉइल, चाहे प्रिंटेड हो अथवा प्रिंटेड न हो। तथापि, क्राफ्ट पेपर के साथ लैमिनेटेड अथवा बैक्ड एल्युमीनियम फॉइल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और प्रस्तावित उपायों के अंतर्गत है।

(v) 500 एमएम से कम की चौड़ाई के कैपेसीटरों के लिए एल्युमीनियम फॉइलः कैपेसीटरों के लिए एल्युमीनियम फॉइल रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवेन्स, इलेक्ट्रिकल वेल्डर्स, मैग्नेटोस, इलेक्ट्रोनिक टेस्टिंग उपस्कर, कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, फ्लोरोसेंट लाइट, मरकरी वेपर स्ट्रीट लैम्प्स, विद्युत पारेषण उपस्करों, इलेक्ट्रिक मोटरों, नियंत्रण यूनिटों और समान वस्तुओं जैसे विद्युत उपस्करों में प्रयोग के लिए 500 एमएम से कम की चौड़ाई वाले 99.35 प्रतिशत की शुद्धता के साथ 5 माइक्रोन गॉज का एल्युमीनियम फॉइल है।

(vi) उकेरा हुआ अथवा निर्मित एल्युमीनियम फॉइलः उकेरा हुआ अथवा निर्मित एल्युमीनियम फॉइल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसीटर के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने के लिए बना एल्युमीनियम फॉइल।

(vii) एल्युमीनियम कंपोजिट पैनलः एल्युमीनियम कंपोजिट पैनल फैकेड क्लेडिंग और सिग्नेज में प्रयोग के लिए एल्युमीनियम की दो पतली परतों के बीच बंधा हुआ गैर-एल्युमीनियम कोर (प्रायः पीई) है।

(viii) अनुरूप गैर-क्लेड एल्युमीनियम फॉइल से युक्त क्लेडः अनुरूप गैर-क्लेड एल्युमीनियम फॉइल से युक्त क्लेड रेडिएटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग में इंजन की कूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणालियों में प्रयोग के लिए हाई स्ट्रेंथ एल्युमीनियम कोर मैटेरियल में धात्विक रूप से बांडेड एल्युमीनियम सतह की परतों से निर्मित एक संक्षारणरोधी एल्युमीनियम शीट।

(ix) बीयर बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉइलः बीयर बोतल में प्रयोग के लिए रफ सतह तथा परफोरेटेड चाहे प्रिंटेड हो अथवा न हो, से युक्त 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉइल।

(x) एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित और/अथवा क्लेड एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित अलॉय, क्लेड हो अथवा अन-क्लेड होः रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर्स, हीट वेंटिलेशन तथा एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणालियों और उनके हिस्से पुर्जों में प्रयोग के लिए प्रशुल्क शीर्ष 7607 के तहत आने वाले 35 एमपीए से अधिक पोस्ट ब्रेजिंग यील्ड स्ट्रेंथ के साथ।

8. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम के उप शीर्ष 7607, 760711, 76071110, 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 और 76072010 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान विभिन्न माइक्रोन्स में आयात किए जा रहे हैं। आवेदकों ने पीसीएन दर पीसीएन तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया था। इन मानदंडों पर विचार करते हुए, जो उत्पाद की संबद्ध लागत और कीमतों को प्रभावित करते हैं और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखने के बाद प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2020 के पत्र संख्या 06/21/2020-डीजीटीआर द्वारा पीसीएन सिद्धांत अधिसूचित किया। वर्तमान जांच में अपनाया गया पीसीएन सिद्धांत निम्नलिखित हैः

क्रम सं.	फॉइल का प्रकार	माइक्रोन रेंज	बेयर-कंवर्टेड
1.	ऐलु ऐलु स्टोक	45-60 माइक्रोन	
2.	घरेलू फॉइल	9 -18 माइक्रोन	
3.	लाइट गॉज (एलजी)	7-18 माइक्रोन	
4.	मीडियम गॉज (एमजी)	20-60 माइक्रोन	
5.	सेमी रेजिड कंटेनर (एसआरसी)	33 - 80 माइक्रोन	
6.	अल्ट्रा लाइट गॉज बेयर	5.5 - <7 माइक्रोन	
7.	अल्ट्रा लाइट गॉज बेयर	5.5 माइक्रोन से कम	
8.	सिगरेट फॉइल	7 माइक्रोन से कम	बेयर
9.	एसआरसी कंवर्टेड	33 - 80 माइक्रोन	
10.	मीडियम गॉज (एमजी) कंवर्टेड	20-60 माइक्रोन	
11.	घरेलू फॉइल कंवर्टेड	9 -18 माइक्रोन	
12.	लाइट गॉज (एलजी) कंवर्टेड	7-18 माइक्रोन	कंवर्टेड

10. विचाराधीन उत्पाद फॉइल स्टॉक से विनिर्मित किया जाता है। फॉइल स्टॉक फ्लैट रोल्ड एल्युमीनियम (एफआरपी) है और इंगट को रोल करके उत्पादित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एल्युमीनियम फ्लेट रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) को फिर फॉइल में रोल किया जाता है। दोनों के बीच में अनिवार्य अंतर मोटाई में है। एफआरपी की मोटाई 80 माइक्रोन से अधिक है। इसे फाइल में रोल किया जा सकता है और पेपर के साथ प्रिंटेड/लैमिनेटेड (जिसे बेक्ड भी कहा जाता है), प्लास्टिक अथवा अन्य पैकेजिंग सामग्री में इसकी खपत की जाती है। एल्युमीनियम फॉइल उत्पादकों अथवा परिवर्तकों अथवा अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा मुद्रित की जा सकती है। एफआरपी को फॉइलों में रोल करने में काफी निवेश शामिल होता है।

11. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी को यह विवरण देते हुए भ्रमित किया है कि एल्युमीनियम फॉइल, फॉइल स्टॉक/एफआरपी से सीधे ही उत्पादित किया जाता है, यह नोट किया जाता है कि यह निर्धारित सिद्धांत है और चीन के विरुद्ध पूर्व की पाटनरोधी जांच में विगत में प्राधिकारी द्वारा माना गया है जिसमें उत्पाद क्षेत्र एल्युमीनियम फॉइल 5.5 से 80 माइक्रोन तक था। प्राधिकारी ने रक्षोपाय जांच में इसी सिद्धांत को लागू किया था जिसमें 2009 में निष्कर्ष निकाला गया था। वर्तमान मामले में, एल्युमीनियम फॉइल उत्पाद क्षेत्र है और उसके लिए इनपुट सामग्री एफआरपी है। इस प्रकार, आवेदक इनपुट सामग्री का आयात करने के लिए स्वतंत्र है और उत्पादकों की पात्रता में वह हस्तक्षेप नहीं करती।

12. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एल्युमीनियम फॉइल" है और एल्युमीनियम फॉइल का घरेलू उत्पादक समान वस्तु का विनिर्माता है। उत्पादन क्रियाकलाप इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में, जिनमें हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भाग थे, प्राधिकारी ने कोल्ड रोल्ड उत्पादों के उत्पादकों को स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के उत्पादक नहीं माना। इस प्रकार उत्पादक या तो हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों का आयात कर रहे थे या उसकी खरीद अन्य घरेलू उत्पादकों से कर रहे थे, इससे उत्पादन की दोहरी गिनती हो सकती है और मूल्यवर्धन कम था। साथ ही, प्राधिकारी ने कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के मामले में, जिसका जनवरी, 2021 में उसकी निर्णायक समीक्षा में निष्कर्ष निकाला गया था, असंगठित क्षेत्र के उत्पादकों को (जो हॉट रोल्ड के चरण से विनिर्माण कर रहे थे) घरेलू उत्पादक माना। इस प्रकार, उत्पादक को जांच में परिभाषित उत्पाद के आधार पर परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सभी उत्पादकों को पिछड़े एकीकृत होने की आवश्यकता हो।

13. विचाराधीन उत्पाद 80 माइक्रोन अथवा उससे कम की मोटाई वाला एल्युमीनियम फॉइल है क्योंकि उत्पाद के भाग पर पहले ही चीन से शुल्क लग रहा है, अतः पहले से ही शुल्क लग रहे उत्पाद को वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए अलग कर दिया गया है।

14. एल्युमीनियम फॉइल की विभिन्न किस्में भौतिक, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र और उपस्कर, प्रकार्य एवं प्रयोग आदि सहित अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। यद्यपि विभिन्न एल्युमीनियम फॉइलों के भिन्न-भिन्न अंतिम विशिष्ट अनुप्रयोग हैं, तथापि यह नोट किया जाता है कि सभी एल्युमीनियम फॉइल अनिवार्य रूप से समान प्रकार्य करते हैं। विभिन्न श्रेणियां/प्रकार भिन्न-भिन्न अंतिम प्रयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित हैं। एल्युमीनियम फॉइल का डिजाइन अंतिम प्रयोग की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग होता है। तथापि, विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रचालन एवं मशीनरी एल्युमीनियम फॉइल की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने के लिए अनिवार्य रूप से समान है। एल्युमीनियम फॉइल की विभिन्न किस्में एक वस्तु हैं और यदि घरेलू उद्योग भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु का विनिर्माण कर रहा है तो उत्पाद किस्मों को अलग करना उपयुक्त नहीं होगा।

15. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के निष्कासन संबंधी अनुरोधों पर विचार किया। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित को हटाए जाने का अनुरोध किया है और प्राधिकारी ने उन्हें हटाए जाने के सभी अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की हैः

i. बैट्री फॉइल

ii. 5.5 माइक्रोन से कम एल्युमीनियम फॉइल

iii. घरेलू फॉइल और एसआरसी फॉइल

iv. एथेसिव टेप

v. कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइल

(i) बैट्री फॉइल – जहां तक बैट्री फॉइल का अलग करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि बैट्री फॉइल एक विशेष प्रकार की फाइल है और घरेलू उद्योग वांछित विशिष्टि में बैट्री फॉइल का विनिर्माण करने में असमर्थ है। तथापि, घरेलू उद्योग ने बैट्री फॉइल का उत्पादन और बिक्री दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। हिंडाल्को ने अनुरोध किया है कि उसकी बैट्री फॉइल का परीक्षण कर लिया गया है और वह फॉइल निष्पादन के उच्चतम मानकों में उत्तीर्ण है। हिंडाल्को भारत में एल्युमीनियम बैट्री फॉइलों का विनिर्माण कर रहा है और ईवी/अन्य विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए लिब विनिर्माण क्रांति में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है।

एक उत्पादक/निर्यातक जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है, ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैट्रियों के विनिर्माण में प्रयुक्त लीथियम आयन बैट्रियों के लिए बैट्री फॉइलों को अलग किए जाने की मांग की है। उत्पादक सहमत हैं कि वर्तमान में भारत में विद्युत वाहन बैट्रियों का कोई उत्पादन नहीं है। परिणामस्वरूप, जांच की अवधि के दौरान भारत में इन बैट्री फॉइलों के लिए कोई मांग नहीं थी। घरेलू उद्योग ने इन बैट्री फॉइलों की भेल को अपनी बिक्री के बीजक प्रस्तुत किए हैं जिनका प्रयोग उच्चतर तकनीकी दहलीज वाले स्पेस अनुप्रयोगों में किया गया था। यह मांग के मामले में उत्पाद का विनिर्माण करने में घरेलू उद्योग की क्षमता सिद्ध करता है। अतः प्राधिकारी उस उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं करते।

(ii) 5.5 माइक्रोन से कम की एल्युमीनियम फॉइल – जहां तक 5.5 माइक्रोन से कम की एल्युमीनियम फॉइल को अलग किए जाने का संबंध है, यह देखा जाता है कि जिंदल इंडिया ने 2019 से 5.5 माइक्रोन से कम की एल्युमीनियम फॉइल का विनिर्माण शुरू किया था और उन्होंने अपनी पहली वाणिज्यिक मात्रा दिसंबर, 2019 में बेची। जिंदल ने जांच की अवधि के दौरान बेची गई कुल वाणिज्यिक मात्रा दर्शाने वाले विभिन्न बीजक भी प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी ने सत्यापित किया कि जिंदल इंडिया ने जांच की अवधि के दौरान 5.5 माइक्रोन से कम की एल्युमीनियम फॉइल का उत्पादन किया है और वाणिज्यिक मात्रा की बिक्री की है। जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि हिंडाल्को और रविराज 5.5 माइक्रोन से कम के यूएलजी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, यह देखा जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग का प्रत्येक घटक प्रत्येक

किस्म के उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति करे। वस्तुतः ऐसी स्थिति में जहां अधिसंख्या उत्पादक उस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं, जिसकी भारी संख्या में उत्पाद किस्में हैं, यह पूर्णतः स्वाभाविक है कि प्रत्येक उत्पादक की प्रवृत्ति कुछ उत्पाद किस्मों पर जोर देने की होती है और कोई भी उत्पादक पूरी उत्पाद रेंज का उत्पादन करने की इच्छा रख सकता है। इस प्रकार, जहां घरेलू उद्योग पहले ही संबद्ध सामानों के प्रकार का विनिर्माण कर रहा है, उसे जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता। तद्नुसार, 5.5 माइक्रोन से कम की एल्युमीनियम फॉइल को हटाए जाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(iii) एसआरसी और हाउस फॉइल – जहां तक एसआरसी और हाउस फॉइल को अलग किए जाने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि उत्पाद किस्मों का भारत में आयात किया जाता है और घरेलू उद्योग इन उत्पाद किस्मों की समान वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है। वस्तुतः एसआरसी और हाउस फॉइल का विनिर्माण तीनों याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने उसको सिद्ध करने के लिए बीजक प्रस्तुत किए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इन दो किस्मों की फॉइल को उत्पाद क्षेत्र से अलग किए जाने के औचित्य के लिए कोई कानूनी अथवा तथ्यात्मक आधार नहीं दिए हैं। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि घरेलू उद्योग इन किस्मों को पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं कर रहा है और उनका जोर इन किस्मों के उत्पादन पर नहीं है, अतः इसे उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। यह देखा जाता है कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों की इन किस्मों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं और घरेलू बाजार में नहीं बेच रहा है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग एल्युमीनियम फॉइल की इन किस्मों का उत्पादन करने में सक्षम है और घरेलू बाजार को इन किस्मों की आपूर्ति भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, किसी भी दशा में यह नोट किया जाता है कि इस प्रकार की उत्पाद किस्म का उत्पादन और आपूर्ति एक से अधिक उत्पादकों द्वारा की जाती है। इस मामले में संभावित मांग आपूर्ति अंतराल विशेष उत्पाद किस्म को हटाए जाने का औचित्य नहीं बनाता।

(iv) एल्युमीनियम फॉइल एथेसिव टेप – जहां तक एथेसिव टेप को हटाए जाने का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वह इस किस्म का उत्पादन करने में सक्षम है, परंतु वर्तमान में उसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। यह नोट किया जाता है कि चूंकि वर्तमान में घरेलू उद्योग द्वारा एथेसिव टेप का उत्पादन नहीं किया जा रहा है और जांच की अवधि में भी उसका कोई उत्पादन नहीं था, अतः उसे उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जा सकता है।प्रकटीकरण विवरण जारी करने के बाद, कुछ इच्छुक पार्टी ने अनुरोध किया है कि चिपकने वाली टेप को उचित रूप से पुनर्परिभाषित किया जाए। तदनुसार, चिपकने वाले टेप को "चिपकने वाला टेप एल्यूमीनियम पन्नी (<80 mic) सिंगल साइड या टेप के रूप में उपयोग के लिए चिपकने के साथ लेपित दोनों तरफ" के रूप में परिभाषित किया गया है।

(v) कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइल – जहां तक कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइल को अलग किए जाने का संबंध है, पूर्व जांच में उसे इस आधार पर अलग किया गया था कि घरेलू उद्योग उसका विनिर्माण नहीं कर रहा है। चूंकि तथ्य वर्तमान जांच के लिए भी समान है, अतः कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइल को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाना है। रंग लेपित एल्यूमीनियम पन्नी को "पीवीडीएफ (फ्लोरीन कार्बन) के पीई (पॉलिएस्टर) कोटिंग के साथ एल्यूमीनियम पन्नी के रूप में परिभाषित किया गया है, कोटिंग सीटीएच 7607 के तहत गिरती है।"

16. कई विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जा रही उत्पाद गुणवत्ता अच्छी नहीं है और पिनहोल्स की संख्या आयातित उत्पाद के पिनहोल्स की संख्या की तुलना में बहुत अधिक है। यह नोट किया जाता है कि यह चिंता चीन के विरुद्ध पूर्व पाटनरोधी जांच के दौरान भी उठाई गई थी और प्राधिकारी ने माना कि किसी एल्युमीनियम फॉइल में अधिकतम पिनहोल के संबंध में बीआईएस द्वारा निर्धारित कोई मानक नहीं है। यदि सरकार ने किसी उत्पाद के कुछ मानक निर्धारित किए हैं और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद उन मानकों के अनुरूप है तो उपभोक्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद किस्म वांछित मानकों को पूरा नहीं करता। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता और भारत में आयातित उत्पाद की गुणवत्ता में अंतर दर्शाने के लिए कोई महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। वस्तुतः घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि निरस्तीकरण दर में काफी गिरावट आई है।

17. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग में देश में यूएलजी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि में मांग-आपूर्ति अंतराल हो सकता है, तथापि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई चिंता बाजार में उत्पाद के पाटन के संबंध में है। विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद लाकर देश में इस अंतराल को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। मांग-आपूर्ति अंतराल देश में उत्पाद के पाटन का औचित्य नहीं बनाता।

18. पूर्वगामी, पैरा 7 और 15 को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा इस प्रकार है जैसा कि पैरा 7 और 15 के साथ पढ़ा जाता है:

"एल्युमीनियम फॉइल, चाहे प्रिंटेड हो अथवा न हो अथवा बेक्ड विद पेपर हो, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक अथवा 80 माइक्रोन एवं उससे कम की मोटाई की समान पैकिंग सामग्री (अनुमत्य संहिता के साथ)" है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैः

i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की रेंज की मोटाई का एल्युमीनियम फॉइल

ii. ऐलु ऐल लैमिनेट

iii. अल्ट्रा लाइट गॉड कंवर्टेड

iv. एल्युमीनियम फॉइल कंपोजिट

v. 500 एमएम से कम की चौड़ाई के कैपेसीटरों के लिए एल्युमीनियम फॉइल

vi. उकेरा हुआ अथवा निर्मित एल्युमीनियम फॉइल

vii. एल्युमीनियम कंपोजिट पैनल

viii. अनुरूप गैर-क्लेड एल्युमीनियम फॉइल से युक्त क्लेड

ix. बीयर बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉइल

x. एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित और/अथवा क्लेड एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित अलॉय, क्लेड हो अथवा अन-क्लेड हो

xi. एल्युमीनियम फॉइल एथेसिव टेप

xii. कलर कोटेड एल्युमीनियम फॉइल

19. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

घ.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

20. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) यह आवेदन पत्र मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स रविराज फॉइल्स लि., और मैसर्स जिंदल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक से संबद्ध हैं। इस प्रकार, आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षा पूरी करता है।

(ii) कई अन्य घरेलू उत्पादकों ने दायर आवेदन पत्र का समर्थन करते हुए पत्र दायर किए हैं। समर्थकों सहित आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में 82 प्रतिशत हिस्सा है।

(iii) समर्थकों ने मौखिक सुनवाई के बाद, अपना उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग घोषित करते हुए पत्र दायर किया। समर्थकों का इरादा समझने के लिए यह पर्याप्त है। उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकट की हैं। इस सूचना का प्रकटन घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए आधार और क्षति को वैध करेगा।

(iv) पूर्व की पाटनरोधी जांच इसी उत्पाद क्षेत्र के संबंध में दायर की गई थी और वर्तमान मामले के आवेदक पूर्व जांच में भी आवेदक थे। प्राधिकारी ने उन्हें नियम 2(ख) के तहत पात्र घरेलू उद्योग माना।

(v) यह आरोप कि रविराज और जिंदल उत्पाद को केवल कम माप रहे हैं, इस प्रकार वे केवल प्रसंस्करणकर्ता हैं और संबद्ध सामानों के उत्पादक नहीं कहे जा सकते, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस उत्पाद का उत्पादन फॉइल स्टॉक/एफआरपी (80-300 माइक्रोन की रेंज) किया जा सकता है। यद्यपि रविराज और जिंदल एल्युमीनियम स्टॉक के चरण से संबद्ध सामानों का उत्पादन करते हैं, तथापि हिंडाल्को अपने ही इंगट से फॉइल का उत्पादन कर रहा है। तथापि, दोनों संबद्ध सामानों के उत्पादक हैं।

(vi) एल्युमीनियम फॉइल और फॉइल स्टॉक/एफआरपी दो भिन्न उत्पाद हैं और यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि उत्पाद क्षेत्र को एफआरपी मानते हुए पृथक पाटनरोधी जांच चल रही है। प्राधिकारी ने दो भिन्न जांचों में दो भिन्न उत्पाद क्षेत्र माने हैं। प्राधिकारी ने विगत में रक्षोपाय जांच के दौरान एफआरपी और फॉइल को एक जांच के तहत माना था, परंतु दो भिन्न उत्पादों के रूप में और एल्युमीनियम फॉइल और एफआरपी के लिए प्रत्येक सूचना का विश्लेषण अलग-अलग किया।

(vii) यूरोपीय आयोग ने भी अमेरिका, ब्राजील और चीन जनवादी गणराज्य के मूल के कतिपय एल्युमीनियम फॉइल के आयातों के संबंध में जांच की थी। संबद्ध सामानों की उत्पादन प्रक्रिया निम्नलिखित मानी गई थी "एल्युमीनियम फॉइल का विनिर्माण एल्युमीनियम इंगट अथवा फॉइल स्टॉक को वांछित मोटाई तक रोल करके किया जाता है"।

(viii) फार्म्ड सालमन के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट में यह माना गया कि "किसी भी किस्म के समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले किसी भी उद्यम पर कम से कम पहली बार समान उत्पाद के "उत्पादक" और इस प्रकार घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार किया जाना चाहिए"। प्राधिकारी ने एसडीएच पारेषण के मामले में माना था कि यदि अंतिम उत्पाद होने के लिए कच्ची सामग्री में पर्याप्त रुपांतरण किया जाता है तो उस क्रियाकलाप को "उत्पादन" माना जाता है। उत्पादक अर्थात रविराज और जिंदल वे क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप इनपुट का पर्याप्त रुपांतरण होता है अर्थात भिन्न एवं विभिन्न अंतिम उत्पाद में एल्युमीनियम फॉइल स्टॉक अर्थात एल्युमीनियम फॉइल।

(ix) यह पूरी तरह से अवास्तविक है कि क्या उत्पादक पिछड़ा एकीकृत है। उदाहरण के लिए, पीटीए के मामले में यद्यपि जबकि एक उत्पादक के पास अपनी कच्ची सामग्री थी, वह खरीद कर रहा था। इसका अर्थ यह नहीं है कि कच्ची सामग्री खरीदने वाली कंपनी पीटीए का उत्पादन नहीं कर रही है क्योंकि वह पिछड़ा एकीकृत नहीं है।

(x) कॉपर पाइपों और ट्यूबों के मामले में दिया गया संदर्भ गलत है। उपर्युक्त मामले में भी, वे उत्पादक अलग हो जाते हैं जो मदर ट्यूब का आयात कर रहे हैं और पाइप एवं ट्यूब ले रहे हैं तथा इस मामले में मदर ट्यूब भी विचाराधीन उत्पाद है।

(xi) चीन जन. गण. के मूल की एल्युमीनियम फॉइल की पूर्व जांच के तथ्य और वर्तमान जांच के तथ्य, जहां तक रविराज की पात्रता का संबंध है, समान नहीं हैं। वर्तमान मामले में रविराज ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। इस प्रकार, वह वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग होने के लिए पात्र है।

(xii) चीन से एल्युमीनियम फॉइल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के जांच परिणाम जांच संख्या 701-टीए-570 और 731-टीए-1346 और ईयू विनियम 2015/1081 3 जुलाई, 2015 को ध्यान से पढ़ने से यह बात सामने आती है कि सभी किस्मों के उत्पादक/चाहे रोलर हो अथवा नहीं, एल्युमीनियम फॉइल की किसी भी किस्म का विनिर्माण करने वाले संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक माने गए थे।

(xiii) विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को 2017 के मामले में अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद इस निर्धारण का विरोध करने का अवसर था, परंतु किसी भी पक्षकार ने मौखिक सुनवाई के दौरान अथवा सेसटेट के समक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाया। पूर्व के मामले में प्राधिकारी का निर्धारण और अंतिम रूप से सही है।

घ.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

21. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) मैसर्स हिंडाल्को एल्युमीनियम फॉइल स्टॉक और फॉइलों का एक मात्र एकीकृत उत्पादक है और रविराज फॉइल्स लि., जिंदल इंडिया लिमिटेड और अन्य आवेदक उत्पादक फॉइल स्टॉक को कम मापकर के आयातित फॉइल स्टॉक को फॉइलों में परिवर्तक अथवा प्रसंस्करणकर्ता मात्र हैं और वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार संबद्ध सामानों के उत्पादन में नहीं लगे हुए हैं।

(ii) जो उत्पादक "समान वस्तु" के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ है और छोटे से मूल्यवर्धनों के साथ मात्र अनुषंगी कार्य में लगा हुआ है, वह घरेलू उद्योग नहीं है। कॉपर पाइप्स और ट्यूब्स से संबंधित जांच में घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र पर विश्वास किया जाता है जिसके आधार पर दिनांक 25.09.2020 को फा. सं. 04/10/2020-डीजीटीआर द्वारा सीवीडी जांच शुरू की गई है।

(iii) उपांतिम चरण से अंतिम उत्पाद का परिवर्तन, जिसमें काफी मूल्यवर्धन न हो, विनिर्माण नहीं बनता। तथाकथित पाटित वस्तु तथा ऐसे मामलों में उपांतिम चरण पर इनपुट सामग्री दोनों विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

(iv) प्राधिकारी ने पाया कि रविराज फॉइल को पाटन से लाभ हुआ और उन्हें घरेलू उद्योग बनने से अपात्र किया क्योंकि उन्होंने चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों का आयात किया और उस समय उत्पाद का आयात करने के लिए कोई उपयुक्त कारण दिए बिना घरेलू बाजार में उनकी बिक्री की, जब कंपनी उसके उत्पादन में लगी हुई थी।

(v) रविराज और जिंदल इंडिया फॉइल स्टॉक का आयात कर रहे हैं और इसीलिए वे घरेलू उद्योग के स्तर का दावा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से एफआरपी का आयात करने के बाद, विचाराधीन उत्पाद के आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का दावा करना अनुपयुक्त है।

(vi) प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आधार की जांच करें क्योंकि अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/06/2015-डीजीएडी (10 मार्च, 2017) के पैरा 46 के अंतर्गत चीन जन. गण. के मूल के एल्युमीनियम फॉइल की पाटनरोधी जांच में यह नोट किया गया है कि रविराज फॉइल्स घरेलू उद्योग का उपयुक्त घटक नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा आयातों की मात्रा जांच की अवधि के बाद बढ़ी।

(vii) प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच गलत ढंग से जारी रखी क्योंकि जिंदल केवल एक परिवर्तक है, न कि उत्पादक। प्राधिकारी को 2017 के मामले में लगाए गए शुल्क को जारी रखने की समीक्षा करनी चाहिए और उसे *आदितः* वापस लेना चाहिए क्योंकि शुल्क घरेलू उद्योग के गलत निर्धारण के आधार पर लगाए गए हैं।

(viii) चीन जन. गण. से स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में यह उल्लेख किया गया था कि किसी अंतिम उत्पाद में कम से कम 35 प्रतिशत मूल्यवर्धन पृथक उत्पाद बनने के लिए अपेक्षित है। एल्युमीनियम फॉइल स्टॉक और फॉइल के बीच अनिवार्य अंतर केवल मोटाई का है जो कि 26 प्रतिशत से अनधिक का औसत मूल्यवर्धन है जो कि पृथक उत्पाद की पात्रता के लिए काफी नहीं है।

(ix) समर्थकों ने दिनांक 27.09.2018 की व्यापार सूचना संख्या 13/2018 का अनुपालन नहीं किया है जिसमें प्राधिकारी ने समर्थकों द्वारा भरे जाने के लिए दो अनुबंध दिए थे। उनमें से किसी ने भी उसका अनुपालन नहीं किया और समर्थन में केवल एक पृष्ठ का पत्र दायर किया है। इस प्रकार की सूचना के अभाव से उत्पाद क्षेत्र, आधार और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति प्रभावित होती है।

(x) किसी भी समर्थक उत्पादक के प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए गए हैं, अतः अन्य भारतीय उत्पादकों से संबंधित आंकड़ों पर विचार नहीं किया जा सकता और इस आधार पर जांच को रद्द किया जाना चाहिए।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू निम्नानुसार परिभाषित है:

"ख "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

23. आवेदन पत्र मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स रविराज फॉइल्स लि., और मैसर्स जिंदल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था और उसका समर्थन मैसर्स ग्रीनबेरी फॉइल्स इंडिया लिमिटेड, मैसर्स पीजी फॉइल्स लिमिटेड, मैसर्स ऐलुटेक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आर एस फॉइल्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, आवेदकों और समर्थकों के अलावा संबद्ध सामानों के कुछ अन्य उत्पादक हैं।

24. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या (क) आवेदन पत्र का पूरी तरह से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन में पच्चीस प्रतिशत से अधिक हिस्सा है; और (ख) आवेदन पत्र का समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया है जिनका सामूहिक उत्पादन समर्थन करने वाले या आवेदन पत्र का विरोध करने वाले घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में 50.2 प्रतिशत हिस्सा है और समर्थकों के साथ आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन में 82.83 प्रतिशत हिस्सा है।

25. प्राधिकारी मानते हैं कि किसी भी आवेदक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न तो उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध हैं। इस तथ्य का कि रविराज ने पूर्व पाटनरोधी जांच में संबद्ध सामानों की कुछ मात्राओं का आयात किया, वर्तमान मामले में कोई संबंध नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में सिद्ध तथ्यों के अनुसार रविराज ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।

26. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि रविराज और जिंदल संबद्ध सामानों के केवल प्रसंस्करणकर्ता हैं और वे उच्चतर माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉइल का केवल कम मापन करके एल्युमीनियम फॉइल का विनिर्माण करते हैं, अतः यह नोट किया जाता है कि, जैसे कि ऊपर देखा गया है, संबद्ध सामानों का विनिर्माण या तो इंगट के माध्यम से या फ्लैट रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) के माध्यम से किया जा सकता है। पिछड़े तौर पर एकीकृत उत्पादक इंगट के चरण से संबद्ध सामानों का विनिर्माण करता है, जैसे कि हिंडाल्को इसी प्रकार का एक उत्पादक है जबकि संबद्ध सामानों का विनिर्माण फॉइल स्टॉक/एफआरपी से भी किया जा सकता है और जिंदल एवं रविराज फॉइल स्टॉक से संबद्ध सामानों का विनिर्माण करते हैं। फॉइल स्टॉक एल्युमीनियम फॉइल से भिन्न उत्पाद है और यह इस तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान में प्राधिकारी फॉइल स्टॉक के पाटित आयातों के संबंध में पृथक पाटनरोधी जांच कर रहे हैं। पूर्व पाटनरोधी जांच में भी, जिनमें संबद्ध सामानों का क्षेत्र वर्तमान जांच के समान था और उन्हीं आवेदक कंपनियों ने पाटनरोधी आवेदन पत्र दायर किया। प्राधिकारी ने पहले ही आवेदक कंपनियों को संबद्ध सामानों का पात्र घरेलू उत्पादक माना। रविराज को इस कारण वर्तमान जांच के क्षेत्र से अलग किया गया था कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की कुछ मात्राओं का आयात किया और वह वर्तमान जांच में मामला नहीं है, इस प्रकार रविराज को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग करने अथवा जिंदल और रविराज को अपात्र घरेलू उत्पादक मानने का कोई आधार नहीं है।

27. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि समर्थकों ने दिनांक 27.09.2018 की व्यापार सूचना के अनुपालन में सूचना दायर नहीं की है, यह देखा जाता है कि सभी समर्थकों ने मौखिक सुनवाई के बाद अपनी उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में सूचना दायर की। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आवेदक कंपनियों का बिना किसी समर्थन के भी प्रमुख अनुपात है।

28. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने के बाद, यह निर्धारित किया है कि मैसर्स हिंडाल्को, मैसर्स जिंदल इंडिया और मैसर्स रविराज फॉइल नियम 2(ख) के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" हैं और आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

ङ. <u>गोपनीयता के मुद्दे</u>

ङ.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

29. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) पक्षकारों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तरों में भारी कमियां हैं और वे गोपनीयता के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों अर्थात निर्यातक, आयातक और प्रयोक्ताओं ने 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 में उनके लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूरी तरह से अनदेखी की और हुतामकी, एस्सेल प्रोपेक, पहाड़पुर 3पी यूफ्लेक्स आदि जैसे कई प्रयोक्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद, बिक्री, लागत, खरीद, आयातों आदि के संबंध में किसी भी लागत प्रपत्र में कोई ब्यौरे नहीं भरे हैं।

(ii) आवेदक उस अत्यधिक गोपनीयता के मद्देनजर अपने तर्कों को आगे बढ़ाने में अत्यधिक असमर्थ हैं जिसका उत्तरदाता निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा सहारा लिया गया है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तर का अगोपनीय रुपांतर से गोपनीय आधार पर दायर सूचना के सार की उपयुक्त समझ नहीं बनती।

(iii) व्यापार सूचना अकेले घरेलू उद्योग पर चुनिंदा रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकती बल्कि इसके बजाए उनके द्वारा दायर किए जा रहे उत्तर के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने वास्तविक आधार पर कुछ कीमत संबंधी सूचना न देने के लिए तर्क दिए हैं और उसके अगोपनीय सार विधिवत रूप से दिए हैं ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकार आंकड़ों को समझ सकें।

(iv) घरेलू उद्योग ने सभी आवश्यक सूचनाएं घोषित की हैं और केवल संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है। आवेदन पत्र में गोपनीयता का सार साथ में था जिसमें कुछ सूचना गोपनीय होने का दावा करने के लिए कारण बताए गए थे।

(v) एनआईपी एक सर्वाधिक संवेदनशील सूचना है। साथ ही, एनआईपी को प्रकट न करने के मुद्दे से हितबद्ध पक्षकारों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है जो कि एआईए इंजीनियरिंग बनाम भारत संघ के मामले में सेसटेट द्वारा अपने हाल के निर्णय में पहले ही तय कर दिया गया है।

(vi) डीजीटीआर ने पक्षकारों को "सार्वजनिक फाइल" का प्रयोजन पूरा करने के लिए ई-मेल के माध्यम से अन्य पक्षकारों के साथ अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर दायर करने और साझा करने के दिशा-निर्देश दिए थे। हितबद्ध पक्षकारों ने इन दिशा-निर्देशों की अनदेखी की और निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में विफल रहे। बार-बार मेल भेजने के बाद और दो बार समयावधि बढ़ाए जाने के बाद ही हितबद्ध पक्षकार ने अंतिम रूप से प्रश्नावली के उत्तर साझा किए।

ङ.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

30. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) तीन उत्पादकों रविराज फॉइल्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और जिंदल इंडिया से युक्त घरेलू उद्योग ने दिनांक 07.09.2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में विशेष अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और घरेलू उद्योग द्वारा तर्क दिया गया कि व्यापार सूचना के तहत अपेक्षित वास्तविक आंकड़े सूचना करने से परस्पर घरेलू उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रश्नों के व्यापार सूचना की युक्तिसंगतता में व्यापार संवेदी सूचना का प्रकटन होगा।

(ii) घरेलू उद्योग उस अगोपनीय सार को प्रदान करने में भी विफल रहा है जिससे *पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 6.5* के तहत अपेक्षानुसार याचिका में सार की उपयुक्त समझ बने।

(iii) क्षति मार्जिन निकालने के लिए आयातों के पहुँच मूल्य के साथ तुलना करके घरेलू उद्योग के लिए अंतिम क्षति रहित कीमत निकालने के लिए सिद्धांत प्रकट नहीं किया गया है जिससे यह भ्रम रह जाता है कि अंतिम क्षति रहित कीमत कैसे निकाली गई थी।

(iv) प्राधिकारी घरेलू उद्योग को सूचना के अगोपनीय सार के साथ सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग को निर्देश दें क्योंकि पहले ही दायर सूचना पूरी तरह से कमीपूर्ण है और उसका अगोपनीय रुपांतर नियमावली के नियम 7 और महानिदेशक द्वारा जारी व्यापार सूचना संख्या 1/2013 (9 दिसंबर, 2013) के तहत अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।

(v) घरेलू उद्योग गोपनयीता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में भी विफल रहा है। अनुरोध करने के बावजूद लेन-देन वार आयात आंकड़े नहीं दिए गए हैं। प्राधिकारी को एक्सोटिक डेकर प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेसटेट के निर्णय को ध्यान में रखना चाहिए। अलग-अलग याचिकाकर्ताओं तथा अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री की मात्रा गोपनीय रखी गई है। इसके अतिरिक्त, निष्पादन संकेतकों का अगोपनीय प्रकटन नहीं किया गया है। प्राधिकारी को स्टरलाईट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2003 (158) ई.एल.टी. 673 (एस.सी.) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इन गोपनीयता के दावों की समुचित रूप से जांच करनी चाहिए।

(vi) घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंडों के संबंध में कोई गोपनीय प्रकटन नहीं किया गया है और उसे स्टरलाईट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2003 (158) ई.एल.टी. 673 (एस.सी.)) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार प्रकट किया जाना चाहिए।

(vii) घरेलू उद्योग के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों की अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में दावा उठाने की कोई जगह नहीं है जब उसके अपने गोपनीयता के दावे प्रकृति में अत्यधिक हैं।

ङ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

31. गोपनीयता के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न अनुरोध किए गए हैं जिनकी प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

32. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"गोपनीय सूचनाः (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है।

जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने ई-मेल के परिचालन के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

(i) शुल्क लगाने से मांग-आपूर्ति अंतराल प्रभावित नहीं होगा। वस्तुतः घरेलू उद्योग ने हाल ही में क्षमता का विस्तार किया है और दूसरे ऐसे उत्पादक होंगे जो विस्तार करेंगे। घरेलू क्षमता देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और इस प्रकार मांग-आपूर्ति के अंतराल का कोई प्रश्न नहीं है।

(ii) इस तर्क कि विचाराधीन उत्पाद पर किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू आपूर्तिकर्ता फॉइल की कीमत गैर-आनुपातिक तरीके से बढ़ाएंगे, में कोई संगतता और तर्क नहीं है। उद्योग को अनुचित आयातों के कारण पूर्व में हानियां हो रही थीं। शुल्क लगाये जाने से बिक्री कीमत में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। यह सिद्ध नहीं किया गया है कि कीमत की वृद्धि ने इनपुट की लागत के संचलन को कैसे नहीं अपनाया है।

(iii) कीमत संशोधन के लिए तथा एक व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करने के लिए जांच शुरू की गई है। आयातक/प्रयोक्ता लंबी अवधि तक पाटित आयातों से खुद अनुचित रूप से लाभान्वित हुए हैं। प्रयोक्ताओं को यह दर्शाना चाहिए कि शुल्क लगाए जाने से उनकी कीमतें कैसे और किस सीमा तक प्रभावित होने जा रही हैं। कोई तर्क अथवा साक्ष्य दिए बिना इन दावों को प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। प्रयोक्ताओं ने यह नहीं दर्शाया है कि पाटनरोधी शुल्क उन्हें कैसे प्रभावित करेगा।

(iv) हिंडाल्को की वार्षिक रिपोर्ट एल्युमीनियम फॉइल क्षेत्र में कंपनी का सही प्रतिनिधि कारक निष्पादन नहीं है। कंपनी के अध्यक्ष समग्र रूप से कंपनी के लिए बात करते हैं। इसी प्रकार वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित आंकड़े समग्र रूप से कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंडाल्को एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इस प्रकार हिंडाल्को की वार्षिक रिपोर्ट का कंपनी के निष्पादन के मानचित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कंपनी ने प्राधिकारी के समक्ष अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

(v) अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि "हिंडाल्को सहित भारतीय कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय कीमत संचलनों के अनुसार एल्युमीनियम कीमतों को बढ़ाने का कार्य औचित्यपूर्ण नहीं है" पाटित आयातों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का औचित्य नहीं है।

(vi) रिकॉर्ड में यह दर्शाने के लिए कोई सत्यापनीय साक्ष्य नहीं है कि हिंडाल्को और संबद्ध देशों के उत्पादकों की विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी भिन्न-भिन्न हैं। साथ ही, यह कानून का सुनिर्धारित सिद्धांत है कि घरेलू उद्योग को विद्यमान स्थिति में देखे जाने की आवश्यकता है। माननीय अधिकरण ने निप्पो जियों कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में इसे माना है।

(vii) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से उत्पाद भिन्न नहीं हो जाते हैं, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा विगत में कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों जैसे कई मामलों में माना गया है।

(viii) अन्य हितबद्ध पक्षकार आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने और उसे प्राधिकारी के समक्ष प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। प्राधिकारी किसी भी दशा में उसके अपने आयातों की मांग करेंगे और जांच परिणाम में उचित विश्लेषण करेंगे।

(ix) जिंदल के तीन विनिर्माण संयंत्र हैं और एक में सितंबर, 2017 में आग लग गई थी। यह संयंत्र सितंबर से दिसंबर, 2017 तक की अवधि के लिए बंद कर दिया गया था। उस अवधि के दौरान अन्य सभी संयंत्र पूरी तरह से प्रचालनात्मक थे।

(x) दुर्भाग्यवश घरेलू उद्योग को चीनी आयातों द्वारा खाली किए गए इसे बाजार हिस्से को लेने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसे पूरी तरह से वर्तमान संबद्ध देशों द्वारा लिया गया था। लिखित में किए गए विस्तृत अनुरोध का संदर्भ दिया जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है।

च.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

(i) प्राधिकारी के पास जांच की शुरूआत की अधिसूचना के पैरा 15 के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। तथापि, वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार "पर्याप्त साक्ष्य" नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.3, अनुच्छेद 3.5 के अनुसार सूचना की "परिशुद्धता" और "पर्याप्तता" निर्धारित नहीं की और यह मैक्सिको - पाइप्स एंड ट्यूब्स, यूएस – कनाडा से सॉफ्टवुड लम्बर, ग्वाटेमाला – सीमेंट-II में डब्ल्यूटीओ मानकों को पूरा नहीं करता है।

(ii) एल्युमीनियम फॉइल प्लास्टिक बैग का पारि-मित्र विकल्प है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों के लिए मांग-आपूर्ति अंतराल और अधिक खराब होगा।

(iii) विचाराधीन उत्पाद पर किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू आपूर्तिकर्ता फॉइल की कीमत गैर-आनुपातिक रूप से बढ़ाएंगे जिसका उपभोक्ताओं पर भारी प्रभाव पड़ेगा। 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के बीच की फॉइलों के लिए चीन जन. गण. पर लगाये गए पिछले पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप घरेलू आपूर्तिकर्ताओं ने कीमत 35 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी जो पर्याप्त वृद्धि थी और प्रयोक्ताओं को शुल्क वहन करने पड़े थे यह उत्पाद पर्याप्त मात्रा और वांछित गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं था।

(iv) घरेलू उद्योग प्रयोक्ताओं उद्योगों के लिए सभी प्रतिस्पर्धी स्रोत बंद करने का प्रयास कर रहा है ताकि वे उत्पाद की लागत बढ़ा सकें और बाजार में एकाधिकार कर सकें जिससे भारत में लचीले पैकेजिंग उद्योग को क्षति होगी।

(v) लेन-देन वार आयात आंकड़ों को छांटने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना, यह स्पष्ट करते हुए कि कैसे उसे हटाए जाने पर विचार किया गया है, पूर्णतः पर्याप्त नहीं है।

(vi) लॉफ्टन के विरुद्ध तर्क कतई सही नहीं है और उन्हें प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि लॉफ्टन ग्रुप चीन में अगस्त, 2000 में स्थापित किया गया था और अब वे थाईलैंड तक बढ़ गए हैं। यह गलत है। लॉफ्टन थाईलैंड का किसी चीनी कंपनी द्वारा बाहरी स्वामित्व नहीं है और वह मामला जांच की अवधि में भी लागू था जो अकेला संगत है।

(vii) घरेलू उद्योग के अनुसार एफआरपी और एल्युमीनियम फॉइल दो भिन्न-भिन्न उत्पाद हैं क्योंकि एफआरपी के संबंध में जांच चल रही है। इसका अर्थ है कि हिंडाल्को इनपुट सामग्री और परिष्कृत सामानों, दोनों पर संरक्षण की मांग कर रहा है।

(viii) ग्लोबल कास्टर टेक्नोलॉजी दक्ष है और व्यापक रूप से अपनाई जाती है जबकि हिंडाल्को हॉट मिलिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। हिंडाल्को की अदक्षता का प्रयोग प्रयोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्कों का भार डालने के लिए नहीं किया जा सकता। उत्पाद-वार उत्पादन, प्रयुक्त और उपलब्ध घंटों की कुल संख्या की जांच की जानी चाहिए।

(ix) प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (v) के अनुसार अन्य कारक निर्धारित करने चाहिए। जिंदल लिमिटेड की एक यूनिट आग लगने के कारण काफी समय तक बंद रही थी जिससे काफी हानि हुई और यह सूचना छिपाई गई है।

(x) चीन का आधार वर्ष में 90 प्रतिशत बाजार हिस्सा 50 प्रतिशत तक नीचे आ गया है और इस अंतराल को घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त, धातु की कीमतों में गिरावट के बावजूद याचिकाकर्ता की उच्च कीमत उनकी प्रभावी स्थिति दर्शाती है।

(xi) हिंडाल्को के पास निचले स्तर के उद्योगों को कच्ची सामग्री अर्थात फॉइल स्टॉक की आपूर्ति करने के लिए कच्ची सामग्री नहीं है और जब वे खुद ही क्षमता मुद्दे के कारण आयात कर रहे हैं तो प्रयोक्ताओं के लिए भी आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

(xii) एक हितबद्ध पक्षकार शंघाई शेनहुओ एल्युमीनियम फॉइल कं. लि., जो कि संबद्ध सामानों का एक उत्पादक/निर्यातक है, ने दावा किया है कि उन्होंने नाम परिवर्तन किया है और अब उन्हें शंघाई शुनहो एल्युमीनियम फॉइल कं. लि. कहा जाता है। उन्होंने चीनी प्राधिकारियों से इसके लिए प्राप्त अपेक्षित अनुमोदन भी संलग्न किया है।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

36. प्राधिकारी ने सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी विविध अनुरोधों को नोट किया है और अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच की है।

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग खरीद के सभी प्रतिस्पर्धी स्रोत बंद करने का प्रयास कर रहा है और शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग का एकाधिकार बनेगा, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी कानून का प्रयोजन अन्य देशों से उत्पादकों की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों के विरुद्ध सामानों के घरेलू उत्पादन का संरक्षण कर भारतीय बाजार में सामानों के उत्पादन और खपत के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र तैयार करना है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादन आधार की मौजूदगी और संधारणीयता सामान्य आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिसका क्षतिकारक पाटन के विरुद्ध संरक्षण किया जाना है। किसी भी दशा में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से एकाधिकार की स्थिति नहीं बनता है क्योंकि संबद्ध देशों के आपूर्तिकर्ताओं सहित अन्य आपूर्तिकर्ताओं से आयात भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रुकते नहीं हैं। तथापि, प्राधिकारी ने उपभोक्ता उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए एक वस्तुपरक तरीके से इस जांच परिणाम में घरेलू उत्पादकों के लागत और कीमत व्यवहार की जांच की है।

38. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लगाए जाने से संबद्ध सामानों की गैर-आनुपातिक कीमत वृद्धि होगी, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी जांच इस आधार पर शुरू की गई है कि घरेलू उद्योग बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बिक्री लागत से कम पर संबद्ध सामानों की बिक्री कर रहा है और इस प्रकार यदि शुल्क लगाया जाता है तो यह घरेलू उद्योग में उचित कीमत का बाजार प्रदान करेगा जहां वे कम से कम बिक्री लागत से अधिक पर संबद्ध सामान की बिक्री कर सकते हैं।

39. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अविश्वसनीय आंकड़ों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर आयात आंकड़ों में विसंगति दर्शाने के लिए विश्लेषित आयात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। तथापि, प्राधिकारी ने आयात आंकड़ों की मांग की है और अलग से आयातों का विश्लेषण किया है।

40. प्राधिकारी प्राप्त अनुरोध के आधार पर शंघाई शेनहुओ एल्युमीनियम फॉइल कं. लि. से शंघाई शुनहो एल्युमीनियम फॉइल कं. लि. में नाम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

छ.1 <u>सामान्य मूल्य</u>

41. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

42. सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

i. उत्तर देने वाले निर्यातकों को यह अवश्य सिद्ध करना चाहिए कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संदर्भित लागतों के तत्वों को जांच के अधीन ऐसे निर्यातकों अथवा उत्पादकों के द्वारा रखे गए अभिलेखों में उपयुक्त रूप से दर्शाया गया है। इस प्रकार के अभिलेखों के उपयुक्त मिलान नहीं होने की स्थिति में, प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करेंगे।

ii. प्राधिकारी को उस स्थिति में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 का अनुसरण करना चाहिए यदि उत्तर देने वाले चीन के निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम हों कि उनकी लागत और कीमत को अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी को चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के वास्ते इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 का अनुसरण करना चाहिए।

iii. घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों पर सूचना नहीं प्राप्त कर पाया है और इस प्रकार से ऐसे तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था में संरचित मूल्य भी संभव नहीं था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देश में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

iv. सामान्य मूल्य का निर्धारण संबद्ध बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ के साथ भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है।

v. थाइलैंड के उत्पादक को चीन के कच्चे माल से लाभ हुआ है और इस प्रकार, इन देशों में घरेलू बिक्री कीमतों और उत्पादन की लागत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं विचार किया जा सकता है।

vi ये कीमतें समान वस्तु के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत को नहीं दर्शाती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात के संबंध में संतुष्ट हुए बिना निर्यातक के उत्पादन की लागत को अपनाने के लिए बाध्य नहीं हैं कि क्या वही तर्क संगत तरीके से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबद्ध लागत को दर्शाता है।

vii. यह संदर्भ " चीन से रबड़ केमिकल्स अर्थात एमबीटी सीबीएस टीडीक्यू पीवीआई और टीएमटी के आयातों तथा चीन और कोरिया गणराज्य से पीएक्स 13 6पीपीडी" में जारी किए गए जांच निष्कर्षों के संदर्भ में लिया गया है जिसमें प्राधिकारी का यह मत था कि चूंकि कोरिया के उत्पादक अनुचित कीमतों पर चीन से कच्चे माल का निर्यात कर रहे थे, अत: उनका लागत अभिलेख उत्पादन की लागत को तर्कसंगत रूप से नहीं दर्शाया था और इस कारण से वह अस्वीकार किए जाने योग्य था।

viii. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को माननीय न्यायाधिकरण [कुमहो पेट्रोकेमिकल्स कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2015 में सूचित (322) ई.एल.टी. 514 (ट्राई-डेल)] द्वारा सही माना गया था और उसकी बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई थी [कुमहो पेट्रोकेमिकल्स कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी -2016 (342) ई.एल.टी. ए48 (एस.सी.)]।

ix. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह नहीं चाहते हैं कि प्राधिकारी संरचित सामान्य मूल्य के निर्धारण में उच्चतर अनुपात का उपयोग करें। आवेदक यह तर्क देते हैं कि प्राधिकारी को संरचित सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में डीजीटीआर द्वारा अपनाई जा रही कार्य-पद्धति पर विचार करें। आवेदकों के पास इसके संबंध में आगे कोई टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है।

x. निर्दिष्ट प्राधिकारी पर एकमात्र दायित्व अलग-अलग पाटन मार्जिन और न कि अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण करना है। इसकी पुष्टि विश्व व्यापार संगठन द्वारा यूएस-जापान हॉट रोल्ड उत्पादों में तथा कुछ उत्प्रेरकों के संबंधित मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और उसके बाद पीटीए से संबंधित मामले में भी भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

xi. अनुबंध-I के अंतर्गत एसजीए और लाभ के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों में स्पष्ट रूप से यह अनुबंध है कि एसजीए और लाभ का निर्धारण कुछ स्थितियों में उसी देश से अन्य उत्पादक से संबंधित सूचना के आधार पर किया जा सकता है। यह इस तथ्य को सिद्ध करता है कि संरचित सामान्य मूल्य हमेशा केवल संबंधित उत्पादक से संबंधित आंकड़ों के आधार पर नहीं होता है। ऐसा मामला होने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल संबंधित कंपनी के आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है।

xii. थाइलैंड के उत्पादकों के उत्पादन की लागत संभवत: बाजार की सामान्य स्थिति में संबद्ध वस्तुओं की लागत का प्रतिनिधिक नहीं होगा। एफआरपी जो एक प्रमुख कच्चा माल है, की आयात कीमत बहुत अधिक हद तक सस्ती है और इस प्रकार से इसकी लागत पाटनरोधी नियमावली के संबंध में इन उत्पादों से जुड़ी लागत को तर्कसंगत रूप से नहीं दर्शाएगा। ऐसी स्थिति में, प्राधिकारी सत्यापन किए जाने के बाद सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कच्चे माल की लागत को अस्वीकार कर सकते हैं क्योंकि कच्चे माल की कीमतों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

xiii. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने पाटन के तथ्य से इंकार नहीं किया है। संबद्ध देशों के लिए दावा किया गया पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। अन्य हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में सही और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध करा सकते हैं।

xiv. प्राधिकारी कृपया उत्तर देने वाले निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय मूल्य श्रृंखला के पूरा होने तथा निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के पर्याप्त होने के संबंध में जांच करें। निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के पूर्ण नहीं होने तथा मूल्य श्रृंखला के पूर्ण नहीं होने की स्थिति में, प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को अस्वीकार करें और उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करें। घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक पाटन हुआ है।

छ.3 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

43. सामान्य मूल्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

i. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया सामान्य मूल्य की गणना की पद्धति कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। संदर्भ चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए *"भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के उद्देश्य से फ्रंट एक्सल बीम ऐंड स्टीयरिंग नकल्स"* के संबंध में हाल की निर्णायक समीक्षा में लिया गया था।

ii. प्रमुख एल्युमिनियम रोल्ड उत्पादकों के लिए लाभ का अनुपात 2019 और 2020 में 5 प्रतिशत अथवा उससे कम है और प्राधिकारी को संरचित सामान्य मूल्य के निर्धारण में उच्चतर अनुपात का उपयोग नहीं करना चाहिए।

iii. चीन जन.गण. और थाइलैंड दोनों से अर्थात उत्पादक/निर्यातक जो विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल हैं, में सभी संबंधित कंपनियों ने उत्तर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादियों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का पर्याप्त ब्यौरा भी दिया है। 5.5 माइक्रोन से कम की एल्युमिनियम फॉयल से संबंधित यूएसआईटीसी जांच के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा पहचान की गई

डिंगशेंग ग्रुप में कंपनियां, आगे यूएसए को इन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला भारत में उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के सदृश्य नहीं है।

iv. संबंधित कंपनियां जो चीन जन.गण. में एल्युमिनियम फॉयल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य एल्युमिनियम उत्पाद एल्युमिनियम फॉयल के सबंध में पाटनरोधी जांच में भाग लेने के अपेक्षित नहीं हैं।

v. घरेलू उद्योग का थाइलैंड में उत्पादकों/निर्यातकों के उत्पादन की लागत को अस्वीकार करने का इस आधार पर तर्क कि कुछ कच्चे माल की आपूर्ति चीन जन.गण. से की जा रही है, *पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 1* के प्रतिकूल है।

vi घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक के रूप में माना जाता है जब यह फॉयल स्टॉक से संबद्ध उत्पाद का उत्पादन कर रहा हो, उसी प्रकार से संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों को भी उत्पादक/निर्यातक के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों के लेखा में दर्ज किए गए अनुसार कीमतों अथवा लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए।

vii. भारत का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करते हुए चीन से उत्पादों की पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के करारों के अंतर्गत कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई गैट के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगी।

viii. सामान्य मूल्य की संरचना करते समय प्राधिकारी ने *पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7* के प्रथम दो विकल्पों का उपयोग किए बिना अंतिम विकल्प के आधार पर याचिकाकर्ताओं के परिकलन को स्वीकार किया क्योंकि संबंधित सूचना याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध नहीं है।

ix. प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार किए बिना सामान्य मूल्य की गणना करने में प्रतिनिधिक देश की पद्धति का उपयोग नहीं करें कि क्या चीन को *करार का पालन किया जाना चाहिए के सिद्धांत ,* विश्व व्यापार संगठन में चीन के आरोहण नवाचार की धारा 15 और चीन जन.गण. द्वारा शुरु किया गया ईसी-फास्टनर्स पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के कारण एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है।

x. चीन को विश्व व्यापार संगठन में चीन के आरोहण नवाचार के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, उसकी भी "ईसी-फास्टनर्स" में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय द्वारा की गई थी। यूएस और ईयू ने चीन के साथ अपने संबंधित द्विपक्षीय करार में चीन द्वारा विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किए जाने के बाद 15 वर्षों बाद गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा समाप्त होने के बारे में नोट किया था।

xi. प्राधिकारी निर्यात के देशों में उत्पादकों और निर्यातकों के सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं और भारत के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के तर्क को अस्वीकार कर सकते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता स्वयं संबद्ध देशों से आयात करते हैं।

xii. घरेलू उद्योग द्वारा अनुमान लगाया गया सामान्य मूल्य बढा-चढ़ाकर बताया गया है और यह कच्चे मालों की उपयुक्त कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारण मानकों की उपेक्षा करेगा। घरेलू उद्योग एल्युमिनियम इनगाट्स के लिए एलएमई कीमतों जो वैश्विक रूप से स्वीकार किया गया मानदंड है, पर विचार करने में असफल रहा।

xiii. लॉफ्टन ने अपने संबद्ध पक्षकारों से किसी कच्चे माल की खरीद नहीं की। कच्ची सामग्रियों की सभी खरीद असंबंधित पक्षकारों से की गई है। केवल 60 प्रतिशत निर्यात ही भारत को किए गए हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह केवल भारत के लिए निर्माण कर रहा है।

xiv. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे जांच की अवधि में उनके निर्यात कीमतों के घरेलू उद्योग के आंकड़ों की मांग करें जिसकी तुलना उसी अवधि में भारतीय क्रेताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई घरेलू प्रक्रिया से की जा सकती है क्योंकि वे बहुत कीमत पर निर्यात करते रहे हैं।

xv. घरेलू उद्योग के पाटन माज़िन के अनुमान में लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है और चीन जन.गण और थाइलैंड के लिए याचिका में दावा किया गया 30-45 प्रतिशत का पाटन मार्जिन बढ़ाया गया है।

xvi. पाटन का निर्धारण केवल सहयोग करने वाले उत्पादकों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर होना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग (क) 200 माइक्रोन से ऊपर के शीट क्वायल का आयात कर और केवल विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए रोलिंग का आयात कर; (ख) पाटनरोधी शुल्कों का सहारा लेकर फॉयल के आयात को इसे मेटल (कच्चा माल) निर्यात कीमत से अलग कर, आयात को अवरुद्ध कर लाभ उठा रहा है।

xvii. अलग-अलग मार्जिन का निर्धारण निर्यातक के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर किया जाना चाहिए।

xviii. पाटन मार्जिन की गणना भ्रामक है क्योंकि याचिकाकर्ता ने बहुत अधिक और अवास्तविक पाटन मार्जिन की गणना की है। आपूर्तिकर्ताओं से सामान्य ऑफर यूएसडॉलर 2550 होता है जिसे यूएसडॉलर 3000-4000 बताया गया है, जो बिल्कुल संभव नहीं है।

छ.4 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

44. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी जिसमें उन्हें सलाह दी गई थी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया है:

i. मै. लॉफ्टेन (थाइलैंड) कं. लि., थाइलैंड

ii. मै. जियांग्शु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट स्टॉक कं. लि., चीन जन.गण.

iii. मै. डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं. लि.

iv. मै. हांगझोउ डिंगशेंग इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट कं. लि., चीन जन.गण.

v. मै. हांगझोऊ फाइव स्टार एल्युमिनियम कं. लि., चीन जन.गण.

vi मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फायल्स कं. लि.

vii. मै. कुन्शान एल्युमिनियम कं. लि., चीन जन.गण.

viii. मै. जियांगसु झोगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स कं. लि., चीन जन.गण.

ix. मै. जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स कं. (एचके) लि.

x. मै. शंगक्यू यांगगुआंग एल्युमिनियम मैटिरियल्स कं., लि.

xi. मै. वारपोकोम पब्लिक कं., लि.

xii. मै. डिंगघेंग न्यू मैटिरियल्स कं., लि., थाइलैंड

xiii. मै. थाई डिंग लि न्यू मैटिरियल कं., लि., थाइलैंड

<u>चीन उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा</u>

45. डब्ल्यूटीओ में चाइनीज एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं: "जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

" क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

46. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, आरोहण नवाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के संबंध में दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में दी गई सूचना/दिए गए आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए भारत के नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्तर देने वाले निर्यातक और उत्पादक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, सामान्य मूल्य का परिकलन इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

47. तद्नुसार, चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

I. <u>चीन जन.गण.</u>

क. <u>चीन जन.गण. के लिए के सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

48. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था विवेचना के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। इस नियमावली अनुबंध I के पैरा 7 में दी गई अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सूचना नहीं होने की स्थिति में, प्राधिकारी ने "किसी अन्य तर्कसंगत आधार" पर इस पद्धति पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

49. इस कारण से प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च तथा तर्कसंगत लाभ के योग सहित विधिवत् समायोजित भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया है। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित संरचित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. <u>निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

i. मै. जियांगसु झोंगजी लेमिनेशनल मैटिरियल्स कं., लि.

50. मै. जियांगसु झोंगजी लेमिनेशनल मैटिरियल्स कं., लि. चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत में प्रत्यक्ष तौर पर असंबंधित ग्राहकों और इसकी संबंधित ट्रेडिंग कंपनी मै. जियांगसु झोंगजी लेमिनेशनल मैटिरियल्स कं., (एचके) लि. के माध्यम से भी किया है। मै. जियांगसु झोंगजी लेमिनेशनल मैटिरियल्स कं., लि. और मै. जियांगसु झोंगजी लेमिनेशनल मैटिरियल्स कं.,.(एचके) लि. ने निर्यातक की निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र में संगत सूचना उपलब्ध कराई है।

51. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, मै. जियांगसु झोंगजी लेमिनेशनल मैटिरियल्स कं., लि. ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को प्रत्यक्ष तौर पर संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी और भारत में असंबंधित ग्राहकों को मै. जियांगसु झोंगजी लेमिनेशनल मैटिरियल्स कं.,(एचके) लि.के माध्यम से ***एमटी का निर्यात किया है। इन कंपनियों ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, बिक्री, कमीशन, बैंक शुल्क और ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है, जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि मै. जियांगसु झोंगजी लेमिनेशनल मैटिरियल्स कं. (एचके) लि. ने भारत को घाटे पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। तद्नुसार, मै. मै. जियांगसु झोंगजी लेमिनेशनल मैटिरियल्स कं.,(एचके) लि.द्वारा उठाए गए घाटे का समायोजन प्राधिकारी द्वारा एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत की गणना करते समय किया गया है। निर्धारण किए गए अनुसार एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ii. मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल्स कं. लि. (अब दिनांक 19.05.2021 से शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कं., लि. के नाम से जाना जाता है)

52. मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल्स कं. लि. चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को प्रत्यक्ष तौर पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने अपने आप के द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात किया है और इसके साथ ही एक संबंधित व्यापारी मै. शांगकुई यांगगुआंग एल्युमिनियम मैटिरियल्स कं. लि. से खरीद की है, जिसने चीन के एक असंबंधित उत्पादक से संबद्ध वस्तुओं की खरीद की है। यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन.गण ने असंबंधित उत्पादकों से खरीदी गई कुछ मामूली मात्राओं का निर्यात मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल्स कं. लि. द्वारा भारत को किया गया है। चीन के असंबंधित उत्पादकों जिनकी वस्तुओं का निर्यात भारत को मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल्स कं. लि. द्वारा किया गया है, ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण से, प्राधिकारी ने भारत को केवल उन निर्यात लेन-देन पर विचार किया है जिनका निर्माण मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल्स कं. लि. द्वारा किया गया है और यह एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का निर्धारण करने के लिए है। मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल्स कं. लि. और मै. शांगकुई यांगगुआंग एल्युमिनियम मैटिरियल्स कं. लि. ने निर्यातक की निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र में संगत सूचना उपलब्ध कराई है।

53. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल्स कं. लि. ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है और भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी निर्यात किया है। उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च तथा ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है, जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। निर्धारण किए गए अनुसार एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत पाटन माज़िन तालिका में दी गई है।

iii. **मै. जियांगसु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल्स ज्वाइंट-स्टॉक कं., लि. और मै. हांगझोऊ फाइव स्टार एल्युमिनियम कं. लि.**

54. मै. जियांगसु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कं., लि.("जियांगसु डिंगशेंग") और मै. हांगझोऊ फाइव स्टार एल्युमिनियम कं. लि.("हांगझोउ फाइव स्टार") चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण में लगी हुई संबंधित कंपनियां हैं। जियांगसु डिंगशेंग और हांगझोऊ फाइव स्टार ने प्रत्यक्ष तौर पर भारत को और संबंधित ट्रेडिंग कंपनियों, मै. हांगझोऊ डिंगशेंग इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट कं. लि. ("डिंगशेंग आई ऐंड ई") और मै. डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड ("डिंगशेंग एचके") के माध्यम से भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। सभी 4 कंपनियों, नामत: जियांगसु डिंगशेंग, हांगझोऊ फाइव स्टार, डिंगशेंग आई ऐंड ई और डिंगशेंग एचके ने निर्यातक की निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र में संगत सूचना उपलब्ध कराई है।

55. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मै. जियांगसु डिंगशेंग ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है और प्रत्यक्ष तौर पर भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी निर्यात किया है तथा संबंधित निर्यातकों के माध्यम से भारत को ***एमटी निर्यात किया गया है। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, मै. हांगझोऊ फाइव स्टार ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है और संबंधित निर्यातकों के माध्यम से भारत को ***एमटी निर्यात किया है। ये सभी निर्यात भारत में असंबंधित ग्राहकों को किए थे। उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च तथा ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है, जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। निर्धारण किए गए अनुसार एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

iv. **मै. कुनशान एल्युमिनियम कं. लि. चीन जन.गण**

56. मै. कुनशान एल्युमिनियम कं. लि., संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। जांच की अवधि दौरान मै. कुनशान ने भारत में असंबंधित ग्राहक को प्रत्यक्ष तौर पर ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, बैंक शुल्क तथा ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। निर्धारण किए गए अनुसार एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

v. **मै. जियांगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मस्टारफेंगयुआन टेक्नोलॉजी कं. लि.**

57. मै. जियांगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मस्टारफेंगयुआन टेक्नोलॉजी कं. लि. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक है। कंपनी ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात प्रत्यक्ष तौर पर तथा अपनी संबंधित कंपनी नामत: पेइक्सिन फेंगयुआन इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कं. लि. चीन जन.गण. के माध्यम से भी किया है। जांच की अवधि के दौरान, मै. जियांगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मस्टारफेंगयुआन टेक्नोलॉजी कं. लि. ने भारत को प्रत्यक्ष तौर पर विचाराधीन उत्पाद का ***एमटी निर्यात किया है, जिसमें से जियांगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मस्टारफेंगयुआन टेक्नोलॉजी कं. लि. ने अलग-अलग असंबंधित उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं नामत: शंघाई सिटन एल्युमिनियम कं. लि. और लोंगसी नार्थवेस्ट एल्युमिनियम इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन.गण. से क्रमश: ***एमटी और ***एमटी की आपूर्ति की है और शेष का उत्पादन स्वयं इसके द्वारा किया गया था। चूंकि शंघाई सिटन एल्युमिनियत कं. लि. और लोंगसी नार्थवेस्ट एल्युमिनियम इंडस्ट्री कं. लि., चीन जन.गण. ने डीजीटीआर के पास निर्यातक की प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अत: उसी मात्रा पर एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत तय करने के लिए विचार नहीं किया गया है, जो जियांगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मस्टारफेंगयुआन टेक्नोलॉजी कं. लि. द्वारा भारत को कुल निर्यात का केवल ***प्रतिशत होता है।

58. जियांगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मस्टारफेंगयुआन टेक्नोलॉजी कं. लि. ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का ***एमटी भी अप्रत्यक्ष रूप से एक संबंधित व्यापारी नामत: पेइक्सिन फेंगयुआन इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट ट्रेड कं. लि. चीन जन.गण. के माध्यम से भी किया है जिसमें से पेइक्सिन फेंगयुआन इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट ट्रेड कं. लि. चीन जन.गण. ने भारत को प्रत्यक्ष तौर पर विचाराधीन उत्पाद का ***एमटी तथा अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को एक अन्य असंबंधित व्यापारी नामत- ट्रेड पार्टनर पीटीई, सिंगापुर के माध्यम से किया है। चूंकि ट्रेड पार्टनर पीटीई, सिंगापुर ने डीजीटीआर के पास अपनी निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण से एक्स-

फैक्टरी निर्यात कीमत तय करने के लिए उसी मात्रा पर विचार नहीं किया गया है जो जियांगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मस्टारफेंगयुआन टेक्नोलॉजी कं. लि. के द्वारा भारत को कुल निर्यात का केवल ***प्रतिशत होता है। यह भी देखा गया है कि संबंधित व्यापारी ने ***प्रतिशत का घाटा उठाया है और उसे संबंधित परिशिष्टों में रिपोर्ट किया है। एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत तय करते समय, ऐसे घाटे के प्रभाव पर विधिवत् विचार किया गया है।

59. जियांगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मस्टार फेंगयुआन टेक्नोलॉजी कं. लि. चीन जन.गण. ने समुद्री भाड़े, बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, ऋण लागत और किसी अन्य खर्च के आधार पर समायोजन का दावा किया है। तद्नुसार जियांगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम मस्टारफेंगयुआन टेक्नोलॉजी कं. लि. के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

II. <u>थाइलैंड</u>

i. <u>मै. वारोपाकोर्न पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

60. मै. वारोपाकोर्न पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक की प्रश्नावली में अपनी बिक्री और उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कंपनी ने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का ***एमटी बिक्री की है और भारत को ***एमटी निर्यात किया है। चूंकि घरेलू बिक्रियां भारत को किए गए निर्यात के ***प्रतिशत से कम है अत: यह सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्तता की जांच को संतुष्ट नहीं करता है। विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं हुआ है। इस कारण से सामान्य मूल्य का निर्धारण धारा 9क(ग)(ii)((ख) के संबंध में किया गया है। तद्नुसार, मै. वारोपाकोर्न पब्लिक कंपनी लिमिटेड (थाइलैंड) के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

61. यह नोट किया जाता है कि उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में असंबंधित पक्षकार को प्रत्यक्ष तौर पर संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़े, बीमा, पोर्ट हैंडलिंग और अन्य शुल्क, अंतरदेशीय भाड़ा, ऋण लागत, बैंक शुल्क और पैकेजिंग लागत एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए उसके प्रति समायोजन का दावा किया है। इस प्रकार से, निर्यात कीमत के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण पाटन मार्जिन तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार किया गया है।

ii. <u>मै. लॉफ्टन (थाइलैंड) कं., लि.</u>

<u>सामान्य मूल्य</u>

62. मै. लाफ्टन (थाइलैंड) कं., लि. ने निर्यातक की निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराई है। वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद का पीसीएन के रूप में बहुत अधिक संख्या में ग्रेड नामावली है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कंपनी ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की किसी मात्रा की बिक्री नहीं की है। निर्धारित पदानुक्रम के संबंध में सामान्य मूल्य पर निर्धारण के लिए अगला उपलब्ध विकल्प तीसरे देश की बिक्री है। हालांकि, वास्तविक मेट्रिक्स को देखते हुए जहां उत्पाद के अनेक ग्रेड हैं, यह संभव नहीं है कि एकमात्र देश की पहचान की जाए जो सभी पीसीएन के लिए उपयुक्त हो सकता है। उपर्युक्त चुनौतियों और निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए सीमित आंकड़ों को देखते हुए, सामान्य मूल्य का निर्धारण धारा 9क(ग)(ii)((ख) के संबंध में किया गया है जो नीचे दिए गए अनुसार है:

"(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार निर्धारण किए गए अनुसार प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभों के लिए तर्कसंगत योग के साथ मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत"

तद्नुसार, मै. लाफ्टन (थाइलैंड) कं., लि.(थाइलैंड) के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निर्यात कीमत

63. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक ने प्रत्यक्ष तौर पर भारत में असंबंधित पक्षकार को संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी निर्यात किया है। निर्यातक/उत्पादक ने एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत तय करने के लिए समुद्री भाड़े, बीमा, पोर्ट हैंडलिंग, अन्य शुल्क, अंतरदेशीय भाड़ा, ऋण लागत, बैंकिंग शुल्क और पैकेजिंग लागत के प्रति समायोजन का दावा किया है। इस प्रकार, निर्यात कीमत के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण पाटन माज़िन तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार किया गया है।

iii. मै. डिंगघेंग न्यू मैटिरियल्स कं., लि., थाइलैंड और मै. थाई डिंग लि न्यू मैटिरियल्स कं., लि., थाइलैंड

सामान्य मूल्य

64. मै. थाई डिंग लि न्यू मैटिरियल्स कं., लि., ("टीडीएल") और डिंगघेंग न्यू मैटिरियल्स कं., लि., ("डिंघेंग थाइलैंड") में संबद्ध वस्तुओं का संबंधित उत्पादक है। दोनों कंपनियों ने निर्यातक की निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र में संगत सूचना उपलब्ध कराई है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि टीडीएल ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को प्रत्यक्ष तौर पर संबद्ध वस्तुओं की बहुत कम मात्रा अर्थात (***एमटी) की बिक्री की है। घरेलू बाजार में टीडीएल द्वारा की गई बिक्री भारत को किए गए कुल निर्यात का ***प्रतिशत से कम है और तद्नुसार वह सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्तता की जांच को संतुष्ट नहीं करता है। इस कारण से, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इन घरेलू बिक्रियों पर विचार नहीं किया है।

65. उत्तर से यह नोट किया जाता है कि डिंगघेंग थाइलैंड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं की है।

66. यह भी नोट किया जाता है कि दोनों कंपनियों ने चीन जन.गण. में अपनी संबंधित कंपनी से कच्चे माल (एल्युमिनियम कॉयल/फॉयल स्टाक) की खरीद की है। तद्नुसार, प्राधिकारी ने (क) कच्चे माल की एलएमई कीमत (ख) संबंधित उत्पादक की परिवर्तन लागत और एसजीए तथा (ग) तर्कसंगत लाभ मार्जिन के आधार पर दोनों कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित एक्स-फैक्टरी सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निर्यात कीमत

67. जांच की अवधि के दौरान, टीडीएल ने प्रत्यक्ष तौर पर और डिंगहेंग थाइलैंड के माध्यम से भी भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। टीडीएल ने प्रत्यक्ष तौर पर भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी तथा डिंगघेंग थाइलैंड के माध्यम से ***एमटी का निर्यात किया है। । डिंगघेंग थाइलैंड ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को प्रत्यक्ष तौर पर संबद्ध वस्तुओं का ***एमटी निर्यात किया है।

68. टीडीएल और डिंगघेंग थाइलैंड ने समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, गुणवत्ता छूट, विविध खर्च, ऋण लागत और बैंक शुल्क के आधार पर समायोजनों का दावा किया है। दोनों कंपनियों के लिए यथा-निर्धारित एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

चीन और थाइलैंड से सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

69. चीन और थाइलैंड के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

चीन और थाइलैंड से सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

70. चीन और थाइलैंड के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

III. इंडोनेशिया

इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया के किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलबध तथ्यों के आधार पर एक्स-फैक्टरी स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

72. इंडोनेशिया के किसी भी उत्पादक द्वारा सहयोग नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी ने एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत तय करने के लिए समुद्री भाड़े, बीमा, कमीशन, पोर्ट खर्च और अंतरदेशीय भाड़ा शुल्क के आधार पर उपयुक्त समायोजन करने के बाद लेन-देनवार डीजीसीआईऐंडएस आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तद्नुसार, इंडोनेशिया से निर्यातों पर एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है।

IV. मलेशिया

इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया के उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक्स-फैक्टरी स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

मलेशिया के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

74. मलेशिया के किसी भी उत्पादक द्वारा सहयोग नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी ने एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत तय करने के लिए समुद्री भाड़े, बीमा, कमीशन, पोर्ट खर्च और अंतरदेशीय भाड़ा शुल्क के आधार पर उपयुक्त समायोजन करने के बाद लेन-देनवार डीजीसीआईऐंडएस आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तद्नुसार, मलेशिया से निर्यातों पर एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है।

छ.1 पाटन मार्जिन

75. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, जैसाकि ऊपर में निर्धारण किया गया है, पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक	एनईपी यूएसडॉ./एमटी	सीएनवी यूएसडॉ./एमटी	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	रेंज
1	चीन	मै. जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स कं. लि.	***	***	***	***	20-30
2	चीन	मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल्स कं. लि. (जिसे अब दिनांक 19.05. 2021 से शानघई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कं. लि. के नाम से जाना जाता है)	***	***	***	***	20-30

3	चीन	मै. जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट स्टॉक कं. लि.	***	***	***	***	20-30
4	चीन	मै. हांगझोऊ फाइव स्टार एल्युमिनियम कं. लि.	***	***	***	***	20-30
5	चीन	मै. जियांग्सु फेनजीयुआन एमस्टार टेक्नोलॉजी कं. लि.	***	***	***	***	20-30
6	चीन	मै. कुनशान एल्युमिनियम कं. लि.	***	***	***	***	20-30
7	चीन	अन्य सभी	***	***	***	***	40-50
8	थाइलैंड	थाई डिंग लि न्यू मैटिरियल कं. लि., और	***	***	***	***	0-10
9	थाइलैंड	डिंघेंग न्यू मैटिरियल कं. लि.	***	***	***	***	0-10
10	थाइलैंड	मै. लाफ्टन	***	***	***	***	10-20
11	थाइलैंड	मै. वारपरोकरा पब्लिक कं. लि.	***	***	***	***	0-10
12	थाइलैंड	अन्य सभी	***	***	***	***	20-30
13	मलेशिया	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40
14	इंडोनेशिया	अन्य सभी	***	***	***	***	10-20

ज. <u>क्षति के निर्धारण और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच के लिए पद्धति</u>

76. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में *"पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..."* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाएगी जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

ज.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

77. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

i. भारतीय उद्योग के पास भारत में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। भारत में उस सीमा तक आयातों की कोई आवश्यकता नहीं है। मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग आदर्शतम स्तर तक अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय प्रयोक्ताओं/आयातकों का आयातों के प्रति कम कीमत के कारण और न कि घरेलू उद्योग के पास वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण झुकाव है। यह कानून की स्थापित स्थिति है कि मांग आपूर्ति में अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। आवेदक डीएसएम आईदेमितसु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी का संदर्भ लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं।

ii. संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष में 1858 एमटी से जांच की अवधि में 46,907 एमटी तक क्षति की पूरी अवधि के दौरान लगभग 2500 प्रतिशत तक बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत

की तुलना में आयातों में भी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि की विशेषता चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पाटनरोधी शुल्क लगाकर भी दर्शायी गई है।

iii. जांच की अवधि के दौरान कुल संबद्ध आयातों का 51 प्रतिशत 5.5 माइक्रोन्स से कम का एल्युमिनियम फॉयल का था और वह 23,953 एमटी तक हो गया जो एल्युमिनियम फॉयल के आयातों का 46,907 एमटी में से था। यही सही कारण है कि क्यों चीन से इस उत्पाद के विरुद्ध शुल्क लगाया जाना चाहिए।

iv. संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक हद तक कटौती हो रही है और उस पर दबाव पड़ रहा है।

v. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के द्वारा अपनाए गए बाजार के कारण क्षमता में वृद्धि से कमतर है।

vi घरेलू उद्योग ने देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि के अनुरूप अपनी क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता का विस्तार उचित प्रतिस्पर्धा और भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के प्रति एक कदम है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि क्षमता में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग अपनी बिक्री को बढ़ाने में सक्षम नहीं हुआ था क्योंकि वह पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण लागत में वृद्धि की सीमा तक कीमत में वृद्धि नहीं कर सके। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई। घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति और पाटित आयातों के बीच एक स्पष्ट कारणात्मक संबंध है।

vii. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में केवल 3 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि हुई जबकि संबद्ध देशों के लिए वह आधार वर्ष से जांच की अवधि तक 29 प्रतिशत वृद्धि हुई। चीन से आयातों पर शुल्क लगाए जाने के बाद बाजार हिस्सा 82 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, हालांकि वह पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि में 46 प्रतिशत होता है।

viii. घरेलू उद्योग के पास मालसूची आधार वर्ष से जांच की अवधि में लगभग दुगुना हो गई।

ix. लाभप्रदत्ता, ब्याज और कर-पूर्व लाभ, निवेश पर लाभ में आरंभ में वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरकर वह नकारात्मक मूल्य हो गया।

x. घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन उस स्थिति में भी गिरावट को दर्शाता है, जब ब्याज और ह्रास लागत पर विगत की भांति उसी स्तर पर विचार किया गया। इस प्रकार, ह्रास लागत, यदि कोई हो, में वृद्धि का घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण ही है।

xi. संबद्ध देशों के लिए पाटन और क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

xii. प्राधिकारी अन्य कारकों की जांच करने और पाटित आयातों तथा अन्य कारकों के द्वारा हुई क्षति को अलग करने के लिए बाध्य हैं, क्षति रहित कीमत के कानून के द्वारा उद्योग एनआईपी और उसके परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग की किसी अक्षमताओं अथवा गैर-आदर्श स्थिति को भी समाप्त करता है, जो शुल्कों की मात्रा का निर्धारण करने के लिए संगत है।

xiii. आयात थाइलैंड की ओर परिवर्तित हुए हैं, पाटन व्यापक तौर पर चीन से अन्य देशों की ओर परिवर्तित हुआ है जिसके फलस्वरूप पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद, घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है। इसके अलावा, चीन ने भी 5.5 माइक्रोन से अधिक के एल्युमिनियम फॉयल के पाटन को परिवर्तित कर 5.5 माइक्रोन और उससे कम के आयातों को शुरु किया। इस प्रकार, चीन से आयातों का परिवर्तित होना "अन्य कारक" नहीं है बल्कि एक कारक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है।

xiv. घरेलू उद्योग के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है, विरोधाभासी है। उनमें से कुछ का यह मत है कि घरेलू उद्योग को क्षमता के विस्तार के कारण क्षति हुई है और अन्य का यह कहना है कि घरेलू उद्योग ने बिल्कुल ही क्षमता का विस्तार नहीं किया है। पूर्व की जांच

के साथ घरेलू उद्योग की क्षमताओं की तुलना करने पर, यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के अनुरूप क्षमता में बढ़ोत्तरी की है।

xv. 5.5 माइक्रोन से कम के लिए मांग में वृद्धि मांग में वास्तविक वृद्धि नहीं है। यह पाटित कीमतों पर उत्पाद का अनुचित लाभ लेने के लिए आवश्यकता में परिवर्तन है। 5.5 माइक्रोन से ऊपर पर लगाए गए शुल्क के फलस्वरूप कीमतें 5.5 माइक्रोन से कम के आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, किसी विशेष वस्तु की मांग पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराती है। घरेलू उत्पादक को ऑर्डर देने का घरेलू उद्योग द्वारा कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें गिरावट आई थी।

xvi. ऐसे मामले में जहां पाटन अन्य स्रोतों पर शुल्क लगाए जाने के बाद नए स्रोतों की ओर परिवर्तित हुआ है, यह बहुत अधिक तर्कसंगत है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के फलस्वरूप कुछ सुधार देखा जाएगा। यूरोपीय कमीशन के विनियम के अनुच्छेद 3(5) में विशेष रूप से इसे एक कारक के रूप में माना जाता है जो क्षति को दर्शा रहे हों।

xvii. यूरोपीय कमीशन ने बेलारूस, जिसमें पाटनरोधी शुल्क अन्य देशों से विरुद्ध पहले से ही लागू थे, के मूल के पॉलिस्टर स्टेबल फाइबर्स के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया। यूरोपीय कमीशन ने अन्य स्रोतों के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क के मौजूद होने के तथ्य को ध्यान में रखकर क्षति का विश्लेषण किया। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हो रहा है, वास्तव में, घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव को दर्शाता है।

xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध अन्य कारकों को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। लॉकडाउन की अवधि 23 मार्च को शुरु हुई और यह संयंत्र जांच की अवधि के दौरान मुश्किल से एक सप्ताह के लिए बंद हुआ था। वास्तव में, कुछ घरेलू उत्पादकों ने अपने संयंत्र को पूर्ण रूप से बंद भी नहीं किया था।

xix. पोलैंड से आयरन अथवा नान-अलॉय स्टील के एंगल, शेप और सेक्सन्स तथा एच-बीम्स पर पाटनरोधी शुल्क थाइलैंड के मामले में विश्व व्यापार संगठन के पैनल की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई कि क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों की मौजूदगी इस प्रकार की होनी चाहिए जो संबद्ध देश से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ता हो जिससे कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं होने का निष्कर्ष निकाला जा सके। इस कानून में इसके निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है कि पाटन एकमात्र कारण होना चाहिए।

xx. इन्वटर्ड शुल्क का मुद्दा संगत नहीं है। कोई भी पक्ष्कार पाटित आयातों के आधार पर इसकी उत्तरजीविता की मांग नहीं कर सकता है।

xxi. हिंडालको ने कंपनी के लिए लाभ दर्ज किया है, कुल मिलाकर इसे संबद्ध वस्तुओं के लिए नहीं माना जा सकता है।

xxii. संबद्ध देश के रूप में बाहर किए जाने के उद्देश्य से, आयात का हिस्सा 3 प्रतिशत अथवा उससे कम होना चाहिए, मलेशिया का आयात हिस्सा 3.1 प्रतिशत है और इस कारण से इसे संबद्ध देश के रूप में बाहर नहीं किया जा सकता है।

xxiii. आवेदकों ने आयात का सारांश उपलब्ध कराया है। हितबद्ध पक्षकार आयात करने तथा विश्लेषण करने और प्राधिकारी को मात्रा बताने योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र हैं जिससे कि प्राधिकारी एक तर्कसंगत निर्णय ले सकें।

ज.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

78. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, यदि कोई क्षति भी हुई है तो वह स्वयं के कारण हुई है और उसके लिए आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ii. एल्युमिनियम फॉयल का 5.5 माइक्रोन से लेकर 80 माइक्रोन तक के कुल आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 37,567एमटी तक गिरावट हुई है। संबद्ध देशों से कुल आयातों में 2016-17 में 75,002एमटी से जांच की अवधि में 64,123एमटी तक गिरावट आई है।

iii. आयातों में वृद्धि के संबंध में ये दावे 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल के आयातों पर आधारित हैं। जांच की अवधि में 49,365 एमटी के कुल संबद्ध आयातों में से, 24,302एमटी का आयात 5.5 माइक्रोन से कम पर एल्युमिनियम फॉयल का हुआ है, अर्थात जांच की अवधि में कुल संबद्ध आयातों का लगभग 50 प्रतिशत 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम के फॉयल का था।

iv. घरेलू उद्योग की क्षमता में जांच की अवधि के दौरान 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग के उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग प्रत्येक वर्ष बढ़ा, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में 40 प्रतिशत वृद्धि रिकॉर्ड की जिसने इसकी उत्पादकता प्रतिदिन में भी वृद्धि की, याचिकाकर्ताओं और समर्थकों का बाजार हिस्सा भी जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है जो किसी वास्तविक क्षति को सिद्ध नहीं करता।

v. प्राधिकारी को थाइलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में नई पाटनरोधी जांच की बजाए प्रवंचना की जांच करनी चाहिए, जैसाकि याचिका में उल्लिखित तथ्यों के द्वारा सुझाव दिया गया। चीन से थाइलैंड तक आयातों का पैटर्न कंपनियों नामत: डिंग शेंग ग्रुप और लॉफ्टन इंडस्ट्रियल कंपनी लि. के द्वारा शुल्क की प्रवंचना के आधार पर है। प्राधिकारी को चीन और थाइलैंड से इन कंपनियों से आयातों की मात्रा और मूल्य की जांच करनी चाहिए।

vi घरेलू उद्योग न तो किसी कारणात्मक संबंध का दावा करता है और न ही इसने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो यह दर्शाता हो अथवा आरोप लगाता हो कि संबद्ध देश से कलर कॉटेड पर एल्युमिनियम फॉयल के आयात के द्वारा हुई वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति का खतरा है।

vii. आयातक घरेलू स्तर पर उत्पाद के उपलब्ध नहीं रहने के कारण जांच की अवधि के दौरान भारत में इस उत्पाद का आयात करने के लिए बाध्य थे। घरेलू उद्योग इस प्रकार के आयातों से किसी प्रकार की क्षति होने का दावा नहीं कर सकता है।

viii. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में चीन से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग को आगे संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ix. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए अन्य कारकों जैसे ट्रेड-वार, आर्थिक मंदी और एल्युमिनियम की खपत में विश्व व्यापी गिरावट के साथ-साथ कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

x. कथित पाटन और दावा की गई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि उद्योग ने अपने प्रमुख विकल्प के अनुसार इस उत्पाद का उत्पादन किया और यह उसके बाद क्षति का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि आपूर्ति के फलस्वरूप मांग-आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर आया और उसके साथ ही भारत में गुणवत्ता संबंधी मुद्दे भी थे। घरेलू उद्योग को वास्तविक अर्थों में किसी क्षति से नुकसान नहीं हुआ था और कारणात्मक संबंध के दावे की पुष्टि नहीं की गई है।

xi. कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी को 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर रक्षोपाय जांच में महानिदेशक (रक्षोपाय) के जांच परिणामों का संदर्भ लेना चाहिए जिसमें प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह माना था कि असामान्य रूप से अधिक ह्रास और वित्त शुल्क घरेलू उद्योग को हुए घाटे के लिए जिम्मेदार थे, जिसके फलस्वरूप कारणात्मक विश्लेषण असफल हो जाता है।

xii. क्षमता और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसके कारण आयात होता है और लाभ की अवधि के दौरान भी कोई क्षमता वृद्धि नहीं की गई थी। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे केवल क्षति की जांच के लिए याचिकाकर्ता की क्षमता के आधार पर अंतराल का मूल्यांकन करें कयोंकि अन्य उत्पादकों ने कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया।

xiii. जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक उत्पादन क्षति और उत्पादन में किसी गिरावट से इंकार करता है। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान नई क्षमता बढ़ाई गई थी, लेकिन यह बहुत कम था और इसे स्थिर होने में समय लगेगा और वास्तविक अर्थों में उत्पादन में इस वृद्धि के फलस्वरूप, क्षमता उपयोग के प्रतिशत में मामूली गिरावट आई।

xiv. बाजार बहुत मजबूत रहा है क्योंकि याचिकाकर्ताओं सहित भारतीय उत्पादकों के हिस्से में 39 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, जो बहुत अधिक वृद्धि है।

xv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से 2016-17 में 20.1 प्रतिशत से जांच की अवधि में 23.7 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। समर्थन करने वाले अन्य उत्पादकों के बाजार हिस्से में 2016-17 में 9.3 प्रतिशत से जांच की अवधि में 15.9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

xvi. जिंदल और रविराज क्षति की दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे स्वयं फॉयल स्टॉक जो अर्थ-तैयार चरण में विचाराधीन उत्पाद है, का आयात संबद्ध देशों से करते हैं और केवल फिनिशिंग कार्य करते हैं जिसमें रोलिंग और स्लिटिंग शामिल था। ऐसी प्रक्रिया को कोई महत्वपूर्ण निर्माण के रूप में नहीं माना जा सकता है जिस पर क्षति की जांच करते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए।

xvii. हिंडालको ने समग्र स्तर पर जांच की अवधि की बाद की अवधि में 77 प्रतिशत का भारी लाभ दर्ज किया है। हिंडालको की वार्षिक रिपोर्ट भारी मांग और किसी विशिष्ट फॉयल निर्माण इकाई की बिक्री से 25 करोड़ के लाभ के कारण भारतीय फॉयल निर्माण की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। हिंडालको ने विदेश स्थित फॉयल संयंत्र को बंद करने में लागत का वहन किया लेकिन फॉयल कारोबार अथवा पाटन से खतरा के संबंध में अध्यक्ष के संदेश में किसी समस्या का जिक्र नहीं किया गया है। भारतीय फॉयल निर्माण द्वारा कोई क्षति नहीं उठाई गई है और इसे पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

xviii. हिंडालको सहित भारतीय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कीमत संचलन के अनुरूप एल्युमिनियम की कीमत में वृद्धि की है जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि प्रयोक्ता ऊंची कीमतों का भुगतान करते हैं और उन्हें कभी भी कमतर कीमतों का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लागू होगा।

xix. जांच की अवधि के दौरान इसके पूर्व वर्षों की तुलना में असामान्य रूप से उच्च ह्रास लागत और वित्त शुल्क घरेलू उद्योग को हानि का वास्तविक कारण है और न कि इसका वास्तविक कारण आयात है।

xx. मलेशिया से आयातों को न्यूनतम के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि वे कुल आयात का 3 प्रतिशत हैं और मलेशिया के विरुद्ध जांच छोड़ दी जानी चाहिए।

xxi. इंडोनेशिया से आयातों में पूर्व वर्ष से 70 प्रतिशत से अधिक तक बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है और इस कारण से लेन-देनवार आयात आंकड़े उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

xxii. मलेशिया से आयात कुल आयातों का ठीक 3 प्रतिशत है। मलेशिया के विरुद्ध जांच इस नियमावली का उल्लंघन है। इंडोनेशिया से आयात भी केवल 4.13 प्रतिशत है, इस प्रकार, इन स्रोतों तक पाटन के परिवर्तन के संबंध में दावे का कोई आधार नहीं है।

xxiii. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान एल्युमिनियम की कीमतों में गिरावट के बावजूद उसी कीमत स्तरों को बनाए रखने में सफल रहा।

xxiv. बिक्री की लागत और बिक्री कीमत आधार वर्ष से तुलना किए जाने पर जांच की अवधि के दौरन उसी गति से बढ़ी है।

xxv. प्राधिकारी को अपने आप एल्युमिनियम फॉयल के आयातों के संबंध में चीन जन.गण. पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करनी चाहिए।

xxvi. घरेलू उद्योग को अब घाटा हो रहा था जब आयातों के कारण 2016-17 में घरेलू कीमतों में कटौती नहीं हो रही थी, घरेलू उद्योग 2017-18 और 2018-19 में बहुत अधिक लाभ अर्जित कर रहा था जब संबद्ध देश से आयातों ने घरेलू बिक्री कीमतों में कटौती करना शुरु किया।

xxvii. 5.5 माइक्रोन्स से लेकर 80 माइक्रोन्स तक के बीच एल्युमिनियम फॉयल कुल आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 27,172 एमटी तक गिरावट आई है।

xxviii. याचिकाकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं की कुल क्षमता और जांच की अवधि में मांग के बीच 91,856 एमटी का बहुत अधिक अंतर है।

xxix. पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले से संघर्ष कर रहे घरेलू प्रयोक्ता उद्योग पर दबाव पड़ेगा। इससे संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग-आपूर्ति में अंतर आगे और अधिक बढ़ेगा।

xxx. कीमत में कटौती और लाभप्रदत्ता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। जब कीमत में कटौती नकारात्मक रही है, घरेलू उद्योग घाटे में था जब कीमत में कटौती सकारात्मक थी, घरेलू उद्योग लाभ की स्थिति में था।

xxxi. याचिकाकर्ता की लाभप्रदत्ता विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उसे हिंडालको द्वारा इसकी वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में स्वीकार कर लिया गया है।

xxxii. घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में हानि हुई, संबद्ध देशों से कीमत में कटौती नकारात्मक थी। उसके बाद आयातों की पहुंच कीमत आधार वर्ष में 202 रु. प्रति किलोग्राम से बढ़कर जांच की अवधि में 223 किलोग्राम हो गई लेकिन घरेलू उद्योग को हानि हुई। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए हानि के कारण को किसी भी तरीके से आयातों की पहुंच कीमत से नहीं जोड़ा जा सकता है।

xxxiii. क्षमता और क्षमता का विस्तार जैसाकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है, प्राधिकारी द्वारा अवश्य संग्रहित किया जाना चाहिए। उत्पाद-वार और क्षमता कुल दावे का कोई अर्थ नहीं है। संस्थापित क्षमता जिसे आवेदन में दर्शाया गया है, केवल 1500 एमटी तक बदला है। केवल 5.5 माइक्रोन का उत्पादन करने के लिए याचिकाकर्ताओं को 67,500 अतिरिक्त घंटे की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसका मतलब प्राय: 9 रोलिंग मिल्स और विशाल संख्या में भट्ठियों और स्लिटिंग मशीन का होना है। इस प्रकार का निवेश कहीं भी नहीं देखा जाता है। इस प्रकार, क्षमता बढ़ाने का संपूर्ण दावा के लिए प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट जांच की आवश्यकता है।

xxxiv. एल्युमिनियम फॉयल पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप एचएसएन7615 के अंतर्गत तैयार कन्टेनरों का आयात होगा और इन्वर्टेड शुल्क की स्थिति होगी। इस प्रकार के आयातों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगेगा, जबकि कच्चे माल के आयातों पर 7.5 प्रतिशत + अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क लगेगा। यह शुल्क एसआरसी फॉयल का उपयोग करते हुए एसआरसी कन्टेनर उत्पादकों की एक गंभीर चिंता है।

xxxv. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सभी याचिकाकर्ताओं से हाउस फॉयल और एसआरसी फॉयल के वास्तविक उत्पादकों के रूप में उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जांच की अवधि सहित पिछले पांच वर्षों के लिए हाउस फॉयल और एसआरसी का प्रकार-वार उत्पादन और बिक्री की मांग करें, क्योंकि वे अपने उत्पादन और बिक्री के वास्तविक तथ्यों को डाउनस्ट्रीम बाजार को अपने कब्जे में लेने के लिए छुपाते रहे हैं। 5.5 माइक्रोन का उत्पादन करने के लिए समग्र क्षमता की तुलना हाउस फॉयल अथवा एसआरसी फॉयल क्षमता से नहीं की जा सकती है। केवल समग्र क्षमता को बताना क्षमता और उत्पादन की वास्तविकताओं का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस कारण से, एक प्रकार-वार उत्पादन याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

xxxvi. चीन से अन्य संबद्ध देशों की ओर पाटन के स्रोत का परिवर्तन होने के संबंध में दावे का कोई आधार नहीं है। 5.5 माइक्रोन से कम के फॉयल का आयात प्राथमिक रूप से वैश्विक मांग के अनुरूप उपभोक्ता की पसंदगी और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के कारण है।

xxxvii. घरेलू उत्पादकों द्वारा उपयोग की गई मशीनरी और प्रौद्योगिकी पुरानी और अप्रचलित है, जिसके फलस्वरूप घरेलू स्तर पर उत्पादित फॉयल के साथ विभिन्न गुणवत्ता जारी की गई।

xxxviii. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को कीमत समर्थन देना है और घरेलू उद्योग बढ़ती हुई कीमतों तक उसका लाभ उठाता है। घरेलू उद्योग ने जांच के आरंभ होने के बाद कीमतों में 35.40 रु. प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि की है।

xxxix. वारोपकोर्न ने केवल अर्थ-कठोर कन्टेनरों (एसआरसी फॉयल्स) के लिए फॉयल्स का निर्यात भारत को किया है। यह मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए था क्योंकि भारतीय उत्पादक इच्छित विनिर्देश के अनुसार एसआरसी फॉयल्स की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं था। हिंडालको और रविराज ने फार्मा/लचीलेदार पैकेजिंग पर ध्यान केन्द्रित किया और जिंदल एसआरसी फॉयल्स की सीमित आपूर्ति करता है।

xl. रविराज और पीजी फॉयल्स ने जनवरी, 2021 के महीने में फॉयल्स स्टॉक का लगभग 842.42 एमटी का आयात किया है और वह इसलिए किया जा रहा है कि पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। जबकि ये कंपनियां 172 रु. प्रति किग्रा(सीआईएफ) की औसत कीमत पर बहरीन, इंडोनेशिया और चीन जन.गण. जैसे देशों से फॉयल्स स्टॉक का आयात कर रहा है और उसके बाद उन्हें रोलिंग के बाद बेच रहा है, तब ऐसे संबद्ध देशों से 213 रु. प्रति किग्रा.(सीआईएफ) के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद की उच्चतर कीमत पर आयात याचिकाकर्ताओं को कोई हानि पहुंचा सकती है।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

79. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है और किए गए अनुरोधों पर विधिवत् विचार करने के बाद संगत पाटनरोधी नियमावली और अनुबंध III के अनुसार विभिन्न मानदंडों की जांच की है।

<u>संचयी आकलन</u>

80. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे यदि यह निर्धारित करता हो कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) है, अथवा जहां अलग-अलग देशों का आयात 3 प्रतिशत से कम है, संयची रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयात की गई वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध वस्तुओं का पाटन संबद्ध देशों से भारत में किया जा रहा है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ख. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा अलग अलग रूप में आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल प्रत्यक्ष रूप से आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की जा रही समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

82. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह उपयुक्त होगा कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन किया जाए।

83. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में *"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..."* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी।

84. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाएगी जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों, जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

85. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किया गया अनुरोध जिसे प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, की जांच और उसका समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है।

ज.4 <u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव</u>

क. <u>मांग/स्पष्ट खपत का आकलन</u>

86. भारत में इस उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में किया गया है।

भारत में मांग	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	27,643	28,244	32,199	34,813
समर्थकों की बिक्रियां	एमटी	12,630	19,302	21,930	23,268
अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्रियां	एमटी	13,363	12,332	12,035	12,175
संबद्ध देश	एमटी	1,858	17,647	35,889	46,907
थाइलैंड	एमटी	260	4,230	6,109	16,730
इंडोनेशिया	एमटी	853	6,804	11,176	3,399
मलेशिया	एमटी	707	484	887	2,476
चीन 5.5 से कम	एमटी	38	6,129	17,716	24,302
वह देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगता है-चीन जन.गण.	एमटी	73,112	36,552	19,343	14,757
अन्य देश	एमटी	7,368	20,970	19,900	20,651
कुल भारतीय मांग	एमटी	1,35,974	1,35,047	1,41,296	1,52,571

87. यह देखा गया है कि मांग में आधार वर्ष से मामूली रूप से 2017-18 में गिरावट आई है और उसके बाद 2018-19 तथा जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई।

ख. <u>संबद्ध देशों से आयात की मात्रा</u>

88. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वास्तविक स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:

आयात की मात्रा	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश	एमटी	1,858	17,647	35,889	46,907
थाइलैंड	एमटी	260	4,230	6,109	16,730
इंडोनेशिया	एमटी	853	6,804	11,176	3,399
मलेशिया	एमटी	707	484	887	2,476
चीन 5.5 से कम	एमटी	38	6,129	17,716	24,302
वह देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगता है-चीन	एमटी	73,112	36,552	19,343	14,757
अन्य देश	एमटी	7,368	20,970	19,900	20,651
कुल आयात की मात्रा	एमटी	82,338	75,169	75,132	82,315

89. यह देखा गया है कि:

क. संबद्ध देशों से आयातों में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया था कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में 2017 में चीन से 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के एल्युमिनियम फॉयल पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कई गुणा वृद्धि हुई। यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात 2017-18 से 2018-19 में लगभग दुगुना हो गया और उसके बाद उसमें आगे जांच की अवधि में वृद्धि हुई।

ख. जिन देशों पर शुल्क लग रहा है उनके आयातों में पाटनरोधी शुल्कों के लगाए जाने के बाद गिरावट आई।

ग. <u>सापेक्ष रूप में संबद्ध देशों से आयात</u>

90. सापेक्ष रूप में आयात निम्नलिखित को दर्शाता है:

निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देशों से आयात	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	%	3.01	26.25	47.74	59.66
खपत	%	1.37	13.07	25.40	30.74

91. यह देखा गया है कि उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में 3 प्रतिशत से जांच की अवधि में 59 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जबकि खपत की तुलना में आयात ने वही प्रवृत्ति दर्शाई है और वह आधार वर्ष में 1.36 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 30 प्रतिशत तक हो गई है।

92. इस प्रकार, आयातों में जांच की पूरी अवधि के दौरान पूर्ण रूप में तथा सापेक्ष रूप में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

ज.5 <u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव</u>

93. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुकने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के आधार पर घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति, बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत(एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. <u>कीमत में कटौती</u>

94. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुकने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	₹/एमटी	**	**	**	**
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	123	115
पहुंच कीमत	₹/एमटी	2,02,770	2,17,022	2,46,914	2,22,669
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	122	110
कीमत में कटौती	₹/एमटी	**	**	**	**
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	454	179	325
कीमत में कटौती	% रेंज	0-10	11-20	0-10	0-10

95. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है और इस प्रकार, घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है।

ख. <u>कीमत ह्रास और न्यूनीकरण</u>

96. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में ह्रास हो रहा है अथवा वे कम हो रही हैं, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की तुलना की गई है। वास्तविक स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	₹/एमटी	**	**	**	**
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	111.87	118.72	116.13
बिक्री कीमत	₹/एमटी	**	**	**	**
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	115.82	123.22	115.27
पहुंच कीमत	₹/एमटी	2,02,770	2,17,022	2,46,914	2,22,669
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	122	110
निम्नलिखित में परिवतर्न					
बिक्रियों की लागत		--	**	**	**
प्रवृत्ति		--	100	57.67	(21.88)
बिक्री कीमत		--	**	**	**
प्रवृत्ति		--	100	46.67	-50.25

97. यह देखा गया है कि बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत दोनों में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है। पहुंच मूल्य की भी वही प्रवृत्ति रही है। इस प्रकार, बिक्री की लागत, बिक्री कीमत और पहुंच मूल्य में जांच की अवधि में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि एक तरफ बिक्री की लागत में गिरावट, बिक्री की कीमत में गिरावट से कम है और दूसरी ओर पहुंच मूल्य में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट से बहुत नीचे है। बिक्री की लागत में पिछले वर्ष से जांच की अवधि में **अंकों तक गिरावट आई है, बिक्री कीमत में **अंकों तक गिरावट आई है और साथ ही पहुंच मूल्य में पिछले वर्ष से जांच की अवधि में 12 अंकों तक गिरावट आई है। इसि प्रकार आयातों में घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में बिक्री की लागत के स्तर तक वृद्धि करने नहीं दिया है और इसका घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।

ज.6 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड</u>

98. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी । ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों एवं सूचकांकों जिसका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर लाभ अथवा क्षमता का उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है: घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन का आकार, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक शामिल हैं, का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों पर वस्तुपरक तरीके से विचार करते हुए क्षति के मानदंडों की जांच की है।

क. <u>उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग</u>

99. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता का उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	47,004	47,004	48,504	61,593
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	103	131
उत्पादन	एमटी	31,887	31,818	37,078	39,324
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	116	123
क्षमता का उपयोग	%	68	68	76	64
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	113	94
घरेलू बिक्रियां	एमटी	27,643	28,244	32,199	34,813
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	116	126

100. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग ने 2018-19 में और जांच की अवधि में क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया था कि क्षमता में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि के अनुरूप बढ़ोतरी की गई है।

ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में मांग में वृद्धि को देखते हुए वृद्धि की गई है।

iii. क्षमता उपयोग में पिछले वर्ष तथा आधार वर्ष से जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ख. <u>लाभप्रदत्ता, निवेश पर आय और नकद लाभ</u>

101. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, निवेश पर लाभ और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
लाभ/हानि	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100.00)	(8.03)	(0.37)	(138.59)
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100.00)	94	107	(267)
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	265	279	87
निवेश पर लाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	80	70	(99)

102. यह देखा गया है कि:

i. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में 2018-19 तक मामूली रूप से सुधार हुआ है और जांच की अवधि में उसमें तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यह उद्योग चीन से पाटन के दुष्प्रभाव से उबरने की कोशिश कर रहा है और चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, यह उद्योग लाभप्रदत्ता में सुधार लाने में सक्षम था। लेकिन इस प्रकार का सुधार क्षणिक था क्योंकि 2017 में चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के शीघ्र बाद, आयातों ने संबद्ध देशों से बहुत अधिक हद तक वृद्धि करना शुरु कर दिया और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में हानि हुई। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बिक्री की लागत से कम है।

ii. पीबीआईटी, नकद लाभ और निवेश पर लाभ ये तीनों मानदंडों ने उसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है जो लाभप्रदत्ता की है। इन तीनों मानदंडों में 2018-19 तक सुधार हुआ है और जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।

ग. <u>मांग में बाजार हिस्सा</u>

103. क्षति की अवधि के दौरान मांग में बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	20.33	20.91	22.79	22.82
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*103*	*112*	*112*
समर्थकों सहित अन्य उत्पादक	%	19.12	23.42	24.04	23.23
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*123*	*126*	*122*
संबद्ध देशों का आयात	%	1.37	13.07	25.40	30.74
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*956*	*1,858*	*2,249*
अन्य आयात	%	59.19	42.59	27.77	23.21
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*72*	*47*	*39*

104. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान मामूली रूप से वृद्धि हुई है। यह आधार वर्ष से जांच की अवधि में 2.5 प्रतिशत तक ऊपर गया है, जबकि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में सतत रूप से और बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है जो आधार वर्ष में 1.36 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में में 29.3 प्रतिशत हो गई है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि वे मांग में वृद्धि के बावजूद बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम नही रहे हैं। यह भी तर्क दिया गया था कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद चीन के द्वारा खाली किए गए बाजार हिस्से का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि इसे पूर्ण रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था।

घ. <u>रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी</u>

105. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	768	922	955	1,076
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	124	140
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	116	123
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	94	88
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	157	162

106. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता और मजदूरी में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ङ. <u>मालसूची</u>

107. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
औसत माल सूची	एमटी	796	801	1,176	1,709
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	148	215

108. यह देखा गया है कि क्षति की पूरी अवधि के दौरान मालसूची में वृद्धि हुई है। यह आधार वर्ष से जांच की अवधि तक दोगुनी हो गई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग इस तथ्य के बावजूद संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है कि मांग में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग ने बिक्री कीमत पर बहुत अधिक समझौता किया है। जांच की अवधि में अंतिम भंडार उच्चतम स्तर पर था।

च. <u>वृद्धि</u>

109. यह देखा गया है कि उत्पादन और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक रही है और नकद लाभ तथा निवेश पर लाभ के संबंध में वृद्धि जांच की अवधि में नकारात्मक थी।

वृद्धि	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	(0.22)	14.19	5.71
घरेलू बिक्रियां	%	-	2.13	12.28	7.51
नकद लाभ- लाख रु.	%	-	62	5	(219)
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	-	5.84	(0.32)	(5.48)

छ. <u>घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

110. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं को छोड़कर अन्य कारकों की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात की गई सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिसके कारण कीमत में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती के फलस्वरूप भारतीय बाजार में कीमत पर दबाव पड़ा है। संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और इस कारण से यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता था।

ज.7 <u>क्षति और क्षति मार्जिन का परिमाण</u>

111. घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। विचाराधीन उत्पाद के क्षति रहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। क्षति रहित कीमत पर विचार क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से प्रत्येक पीसीएन की पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है, वही विवेचना यूटिलिटी के साथ की गई है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन की गणना सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए की गई है और उसी उत्पादन पर विचार प्रति यूनिट निर्धारित लागत तय करने के लिए की गई है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च उत्पादन की लागत में नहीं जोड़ा गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित लाभ (22 प्रतिशत की दर से पूर्व कर) की अनुमति अनुबंध-III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत तय करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी। इस प्रकार से निर्धारित प्रत्येक पीसीएन के लिए क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार तुलनीय पीसीएन के लिए संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक	एलवी यूएसडॉ./एमटी	एनआईपी यूएसडॉ./एमटी	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	रेंज
1	चीन	मै. जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स कं. लि.	***	***	***	***	10-20
2	चीन	मै. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल्स कं. लि. (जिसे अब दिनांक 19.05. 2021 से शानघई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कं. लि. के नाम से जाना जाता है)	***	***	***	***	10-20
3	चीन	मै. जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट स्टॉक कं. लि.	***	***	***	***	10-20
4	चीन	मै. हांगझोऊ फाइव स्टार एल्युमिनियम कं. लि.	***	***	***	***	10-20
5	चीन	मै. जियांग्सु फेनजीयुआन एमस्टार टेक्नोलॉजी कं. लि.	***	***	***	***	10-20
6	चीन	मै. कुनशान एल्युमिनियम कं. लि.	***	***	***	***	10-20
7	चीन	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40
8	थाइलैंड	थाई डिंग लि न्यू मैटिरियल कं. लि., और	***	***	***	***	20-30
9	थाइलैंड	डिंघेंग न्यू मैटिरियल कं. लि.	***	***	***	***	20-30
10	थाइलैंड	मै. लाफ्टन	***	***	***	***	30-40
11	थाइलैंड	मै. वारपरोकरा पब्लिक कं. लि.	***	***	***	***	20-30
12	थाइलैंड	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40
13	मलेशिया	अन्य सभी	***	***	***	***	20-30
14	इंडोनेशिया	अन्य सभी	***	***	***	***	20-30

झ. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

112. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो उसी समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग की निर्यात कार्य-निष्पादन और उत्पादकता शामिल है। नीचे इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

113. अन्य देशों से आयात संबद्ध देशों से आयात कीमत की तुलना में अधिक है और मात्रा के मामले में कम है। आगे चीन से आयात पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है।

ख. निर्यात कार्य-निष्पादन

114. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग व्यापक तौर पर घरेलू बाजार में हैं। किसी भी मामले में प्राधिकारी ने अपनी क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

115. क्षति की अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति हो सकती थी।

घ. कपनी के अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

116. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ही घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर विचार किया है। घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति केवल संबद्ध वस्तुओं के मामले में है।

ङ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

117. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धति नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती थी।

च. मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

118. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की समग्र अवधि के दौरान सतत रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार से, यह घरेलू उद्योग को क्षति है जो मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन के कारण नहीं हुआ था।

ञ. क्षति और कारणात्मक संबंध के लिए संगत कारक

119. निम्नलिखित मानदंड क्षति और कारणात्मक संबंध के निर्धारण के लिए संगत हैं:

क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों में पूर्ण रूप से, भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

ख. पाटित आयातों के कारण, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

ग. आयातों का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ता है।

घ. आयात घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को उत्पादन की लागत की सीमा तक भी बढ़ाने से रोक रहा है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय हानि हो रही है। लाभों में गिरावट के फलस्वरूप, नकद लाभ/नकद प्रवाह और निवेश पर लाभ में गिरावट आई है।

ट. प्रकटन प्रश्चात टिप्पणियां

क. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

120. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

ट.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

121. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकटन संबंधी टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है:

i. यूसीएजे ने अपने अनुरोध में न तो यह कहा है कि भारत में वर्तमान में विद्युत वाहन बैटरी फॉयल की कोई मांग नहीं है और न ही यह कहा है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। भारत में विद्युत वाहन के लिए बैटरी फॉयल की कोई मांग नहीं है और कोई भी कार्रवाई का कारण यूएसीजे के लिए नहीं उठा है। बैटरी फॉयल को बाहर किए जाने के लिए उनके दावा सिर्फ संभावित मांग के आधार पर था।

ii. यूसीएजे एक संबद्ध वस्तुओं का एक निर्यातक नहीं है और इसने जांच की अवधि के दौरान भारत में बैटरी फॉयल की किसी मात्रा का निर्यात नहीं किया है।

iii. प्राधिकारी ने ठीक ही टिप्पणी की है कि एल्युमिनियम फॉयल का निर्माण फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट(एफआरपी) और इनगोट से किया जा सकता है। यूरोपीय कमीशन ने अर्मेनिया, ब्राजील और चीन जन.गण. के मूल के कुछ एल्युमिनियम फॉयल के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाते समय 7 अप्रैल, 2009 की कमीशन विनियम 287/2009 में यह माना कि एल्युमिनियम फॉयल का निर्माण रोलिंग एल्युमिनियम इनगोट्स अथवा फॉयल-स्टॉक के अपेक्षित मोटाई तक किया जा रहा है।

iv. प्राधिकारी ने 12 उत्पादों को बाहर रखने के साथ सही तरीके से विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित किया। घरेलू उद्योग एढेसिव टेप और कलर कॉटेड एल्युमिनियम फॉयल को बाहर रखने पर सहमत है तथा वह प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि प्राधिकारी बाहर रखने जाने के लिए एढ़ेसिव टेप का उल्लेख करें क्योंकि यह एल्युमिनियम फॉयल (<80 माइक्रोन) है जिसका दोनों तरफ एढ़ेसिव से कोट किया हुआ है और उसके साथ ही कलर कॉटेड एल्युमिनियम फॉयल का भी उल्लेख करें क्योंकि यह एल्युमिनियम फॉयल सीटीएच 7607 के अंतर्गत पड़ने वाला या तो पीवीडीएफ (फ्लूओरिन कार्बन) का पीई(पोलिएस्टर) कोटिंग है।

v. कोई ठोस साक्ष्य अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा बेची जा रही समान वस्तु की गुणवत्ता खराब है।

vi निर्दिष्ट प्राधिकारी के जांच परिणाम और उसके बाद डीएसएस आइडेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट के आदेश के अनुसार, गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को बाहर रखने जाने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है।

vii. प्राधिकारी ने प्राप्त अनुरोध के आधार पर शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल कं. लि. का नाम बदलकर संघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कं. लि. करने का प्रस्ताव किया, हालांकि उन्होंने व्यापार सूचना 12/2018 के अनुसार नाम में परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा संलग्न नहीं किया है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे परिवर्तन की प्रकृति का उल्लेख करें तथा यह भी उल्लेख करें कि वह कंपनी के नाम में परिवर्तन के कारण से ही है क्योंकि यह परिवर्तन कंपनी के अंग्रेजी नाम को ही प्रभावित करता है और न कि चीनी नाम को प्रभावित करता है।

viii. प्रतिवादियों ने सभी खर्चे जो निर्यात कारोबार का महत्वपूर्ण भाग है, जो निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित है, को छुपाया है। एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए अलग-अलग आधारों पर खर्च का दावा करते हुए अलग-अलग निर्यातकों के लिए कोई औचित्य नहीं है जब उनमें से सभी ने सीआईएफ स्तर तक भारतीय क्रेताओं को बिक्री की है।

ix. घरेलू उद्योग क्षति और कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के लिए प्राधिकारी के प्रस्तावित निष्कर्ष से पूर्ण रूप से सहमत है। संबद्ध देशों से आयातों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है और यह घरेलू उद्योग के कीमत मानदंडों तक पहुंच गया है।

x. उपभोक्ताओं और आम जनता पर पाटनरोधी शुल्क का व्यापक स्तर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क का विगत में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और शुल्कों को लगाए जाने से इस उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा।

xi. बढ़ती हुई मांग के कारण, घरेलू उद्योग ने हाल में अपनी क्षमता में वृद्धि की थी और इन नई क्षमता विस्तार को चलाने में उत्पादकों को सक्षम बनाने के वास्ते यह आवश्यक है कि बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए समुचित शुल्क लगाया जाए।

xii. घरेलू उत्पादक को उचित कीमत पर आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं के हितों को पूरा करने के लिए पाटित आयातों के कारण हुई क्षति से उबरना चाहिए।

xiii. उपभोक्ताओं के पास मालसूची का अपेक्षाकृत अधिक स्तर बनाए रखना होगा, यदि वे आयात किए गए माल पर निर्भर करते हैं। हालांकि, घरेलू उद्योग से खरीद की स्थिति में, मालसूची होल्डिंग को अपेक्षाकृत बहुत कम स्तरों पर रखा जा सकता है।

xiv. चीन पर 2017 से संबद्ध वस्तुओं पर इन शुल्कों को लगाए जाने के बावजूद, प्रयोक्ता उद्योग ने वृद्धि दर्शाई है।

xv. 3 आवेदकों, 12 अन्य उत्पादकों और 2 नए उत्पादकों, जो घरेलू बाजार में आने वाले महीनों में अपना निर्माण आरंभ करेंगे, के बीच आपस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है और घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी कीमतें होंगी जिससे घरेलू उद्योग को लाभ मिलेगा। आयात विभिन्न स्रोतों से भी हो रहे हैं। इस कारण से एकाधिकार बाद की कोई संभावना नहीं है।

xvi. घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि घरेलू उद्योग का आकड़ा, जो चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य के लिए आधार है, को प्रकट किया जाना है। घरेलू उद्योग भाग लेने वाले निर्यातकों के सत्यापन रिपोर्टों, निर्यातकों के साथ हुए पत्राचारों और प्रश्नावली के आरंभिक उत्तर को प्रस्तुत किए जाने के बाद, निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई किसी सूचना के प्रकटन का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है।

xvii. पाटनरोधी शुल्क यूएसडॉ./एमटी में व्यक्त किए गए शुल्क, पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा के रूप में ही लगाया जा सकता है।

ट.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

122. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकटन संबंधी टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है:

i. प्राधिकारी प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर निष्कर्ष देने के लिए ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर्रस बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार बाध्य है। प्राधिकारी ने इन कार्रवाहियों को कायम रखने की क्षमता के बारे में प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा उठाई गई आरंभिक आपत्तियों के बारे में नोट करने में असफल रहे हैं।

ii. प्राधिकारी फॉयल स्टॉक से एल्युमिनियम फॉयल, जिसका अधिकांशत: आयात उन्हीं देशों से किया जाता है कि केवल री-रोलिंग में शामिल दो आवेदकों के मुद्दे की जांच करने के असफल रहा है।

iii. घरेलू उद्योग के पास 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल के उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। घरेलू उद्योग ने इस उत्पाद के लिए भी वास्तविक क्षति का दावा किया है, जब उन्होंने जांच की अवधि की अंतिम तिमाही में बाजार में इसे लाया है।

iv. चीन से विचाराधीन उत्पाद उसी जांच में अन्य संबद्ध देशों के लिए विचाराधीन उत्पाद से अलग है। इसके फलस्वरूप, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां उसी देश से दो अलग-अलग उत्पाद उप-प्रकारों पर अलग-अलग शुल्क लगेगा और दो अलग-अलग अवधियों के लिए लगेगा। यह उस सिद्धांत का उल्लंघन है जहां पाटन संपूर्ण रूप में उत्पाद के लिए निर्धारित किया जाता है।

v. प्राधिकारी परस्पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पूरा नहीं किए जाने के संबंध में कानूनी अनुरोधों पर विचार करने में असफल रहे हैं और इस प्रकार से संचयी क्षति विश्लेषण नहीं करना चाहिए था।

vi प्राधिकारी इस तथ्य की जांच करने में असफल रहे हैं कि क्या घरेलू उद्योग से यह उत्पाद मानक के अनुरूप है और यह भी कि क्या अस्वीकरण दर मामूली है।

vii. समान स्थितियों में घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र के संबंध में अन्य जांच प्राधिकारों, यूएससआईटीसी, चीन से एल्युमिनियम फॉयल में, जांच सं. 701-टी-570 और 731-टीए-1346 (अंतिम) और यूरोपीय कमीशन विनियम (ईयू) 2015/1081 दिनांक 3 जुलाई, 2015 , जिसके माध्यम से उसी उत्पाद की विवेचना करते हुए रूस के मूल के कुछ एल्युमिनियम फॉयल के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, स्पष्ट रूप से मूल सामग्री से फॉयल का उत्पादन और फॉयल स्टॉक की पहचान करता है और औद्योगिक प्रसंस्करण क्रियाकलापों के रूप में फॉयल स्टाक्स अथवा फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स से रोलिंग और अन्य क्रियाकलाप को मानता है।

viii. भाग लेने वाले प्रत्येक उत्पादक-निर्यातक और अन्य के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति के बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से 5.5 माइक्रोन से ऊपर और 5.5 माइक्रोन से नीचे के फॉयलों को इन देशों में से प्रत्येक देश से पाटन माज्रिन की गणना करते समय माना गया है।

ix. मलेशिया से आयात जो 3 प्रतिशत से कम हैं, न्यूनतम है और उसे जांच में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

x. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आंकड़ों की जांच नहीं कर पाए। उनके द्वारा दिया गया आंकड़ा विश्वसनीय नहीं है।

xi. थाइलैंड और इंडोनेशिया दोनों से किया गया एल्युमिनियम फॉयल का कुल आयात पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मामूली रूप से बढ़ा है, इस कारण से, इन देशों के विरुद्ध 5.5 माइक्रोन फॉयल्स को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है और इसके अलावा इन देशों से मात्रा में मामूली वृद्धि का घरेलू उद्योग पर कोई बड़ा मात्रा संबंधी प्रभाव नहीं हो सकता है।

xii. प्राधिकारी घरेलू उद्योग लागत और कीमतों तथा उसी समय अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की वैश्विक कीमत की प्रवृत्तियों पर प्रभाव डालते हुए, जांच की अवधि में 25 प्रतिशत की सीमा तक क्षमता वृद्धि के प्रभाव पर विचार नहीं कर पाए।

xiii. पीसीएल स्तर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कथित पाटित आयातों के कारण कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है, कम कीमत पर बिक्री नहीं हुई है, कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण का प्रभाव नहीं देखा गया है।

xiv. प्राधिकरण ने 'चिपकने वाले टेप' को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा है। प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में इसकी पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है । प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अंतिम जांच परिणाम में उत्पाद अपवर्जन को "एल्यूमीनियम फॉयल एडहेसिव टेप" के रूप में वर्णित करें।

xv. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जता है कि वे प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले अंतिम जांच परिणामों में प्रतिवादी का नाम ठीक करते हुए “कुनशान एल्युमिनियम कं. लि.” के रूप में उल्लेख करें।

xv. प्राधिकारी ने भारत में कुल घरलू उत्पादन के एक अनुपात के रूप में रेंज फार्म में भी जिंदल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादन किए गए और बेचे गए अल्ट्रा लाईट गेज की मात्रा के बारे में नहीं बताया है। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या अल्ट्रा लाईट गेज अन्य महीनों में भी बेचा गया था। दिंसबर, 2019, एक महीने में बिक्री व्यापारिक मात्राओं का प्रतिनिधिक नहीं हो सकता है।

xvi. दो अन्य प्रमुख उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान अल्ट्रा लाईट गेज का उत्पादन नहीं किया जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में इस प्रकार को शामिल किए जाने की वैधता पर प्रश्न खड़ा करता है।

xvii. मांग आपूर्ति में अंतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी विशेष उत्पाद को बाहर किए जाने के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इस उत्पाद को बाहर किए जाने में डाउनस्ट्रीम उद्योग के हितों को भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। प्राधिकारी ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और यूएई के मूल के अथवा से निर्यात किए गए "ग्लेज्ड किया हुआ न्यूजप्रिंग को छोड़कर, रोल्स अथवा शीट्स में न्यूज प्रिंट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी मूल जांच में दिनांक 19 जनवरी, 2021 के जांच परिणामों में उसी रूप में निर्णय लिया।

xviii. घरेलू उद्योग के आधार पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है क्योंकि उन्होनें जांच की अवधि के दौरान अल्ट्रा लाईट गेज का निर्माण नहीं किया और व्यापारिक रूप से उसकी बिक्री नहीं की और उसके बजाय संबद्ध देशों से उसका आयात किया होगा।

xix. पाटनरोधी शुल्क लगाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की एकाधिकारवादी स्थिति मजबूत होगी।

xx. प्राधिकारी जांच के क्षेत्र से बैट्री फॉयल्स को बाहर किए जाने के लिए अनुरोध पर वस्तुनिष्ठ तरीके से जांच करने में असफल रहे। शुल्क लगाने के लिए पूर्व शर्तों अर्थात् क्षति पहुंचाते हुए पाटित कीमत पर आयात वर्तमान मामले में संतोषजनक नहीं है। जांच की अवधि के दौरान भारत में बैटरी फॉयल्स का कोई आयात नहीं हुआ था। बैट्री फॉयल्स की कीमत और सामान्य और एनआईपी से बहुत अधिक थी। वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के उद्देश्यों से सभी प्रकार के फॉयल्स को बाहर रखा गया है। बैट्री फॉयल्स लिथियम-इओन बैट्री निर्माताओं की आवश्यकतों को पूरा करने के लिए यूएसीजे फॉयल मलेशिया एसडीएन बीएचडी द्वारा विकसित विशिष्ट फॉयल्स हैं।

xxi. याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि उन्होंने भारतीय बाजार में बैट्री फॉयल्स की बिक्री की है हालांकि, वे इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं कि क्या उसका उत्पादन उनके द्वारा किया गया है और उसकी बिक्री व्यापारिक मात्राओं में की गई है।

xxii. यूएसीजे फॉयल मलेशिया एसडीएन बीएचडी द्वारा निर्मित बैट्री फॉयल्स और भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्मित फॉयल्स के बीच बहुत अधिक अंतर है। सामान्य एल्युमिनियम फॉयल्स और मैटल एलायज का विशिष्ट फॉयल्स तकनकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

xxiii. बैट्री फॉयल्स पर शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में विद्युत वाहनों और अन्य समान विद्युत पॉवर पर आधारित उत्पादों के लिए संभावनाओं पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। यूएसीजे फॉयल मलेशिया एसडीएन बीएचडी ने जांच की अवधि के दौरान तथा क्षति की अवधि के दौरान "बैट्री फॉयल्स" अथवा संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।

xxiv. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य तय करने के लिए जांच की अवधि के दौरान एल्युमिनियम इनगोट की लागत के रूप में एलएमई कीमत पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकारी को अपेक्षाकृत अधिक अनुपात का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल उद्योग एक उच्च लाभ वाला नहीं है।

xxv. यदि प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जानी है, तब प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(1)(ख) के अनुसार शुल्क की सिफारिश करते समय प्रकटन विवरण में निर्धारित क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन में से कमतर पर विचार करें।

xxvi. प्राधिकारी को उचित विश्लेषण करने के उद्देश्य से एडेशिव टेप्स और कलर कॉटेड एल्युमिनियम फॉयल के आयातों को बाहर रखने के लिए आयात आंकड़ों को संशोधित करने के बाद घरेलू उद्योग पर आयातों के मात्रा संबंधी प्रभाव को अवश्य ही फिर से जांच करनी चाहिए।

xxvii. घरेलू उद्योग को दिसंबर, 2019 में इस उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री के शुरु किए जाने तक 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल के आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो सकती थी।

xxviii. यह कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में बहुत अधिक गिरावट हुई है। चीन जन.गण. से 80 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल के आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 50 प्रतिशत तक गिरावट आई है। यह कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में कमी आई है। 80 माइक्रोन के कम के एल्युमिनियम फॉयल के आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 18 प्रतिशत तक गिरावट आई है। इस कारण से, प्रकटन विवरण के पैरा 43 में प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है, सही नहीं है।

xxix. यह कि घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है और बढ़ती हुई ह्रास लागत के कारण पीबीआईटी में गिरावट देखी गई है।

xxx. सामान्य मूल्य के उद्देश्य से लाफ्टन के लिए निर्धारित उत्पादन की लागत अयथार्थ रूप से अधिक प्रतीत होता है और उस पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई वास्तविक लागत सूचना के आधार पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, लाफ्टन के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन को ठीक किए जाने की आवश्यकता है।

xxxi. उसके बाद लागत आंकड़ा यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने लाफ्टन के लिए प्रत्येक पीसीएन के वास्ते अलग-अलग परिवर्तन लागत पर विचार किया है जबकि परिवर्तन लागत में पीसीएन के बीच बहुत अधिक हद तक अंतर नहीं है क्योंकि पीसीएन के बीच लागत में अंतर प्राथमिक रूप से कच्चे माल की लागत को अलग-अलग कर प्रभावित होता है और परिवर्तन लागत तुलनीय रहता है क्योंकि परिवर्तन लागत एक विशिष्ट आबंटन पद्धति के आधार पर लागत के आबंटन के अलावा कुछ नहीं है।

xxxii. ऐसा प्रतीत होता है कि लाफ्टन के मामले में प्राधिकारी द्वारा जिस ऊपरी मद लागत/परिवर्तन पर विचार किया गया है वह कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार नहीं है। लाफ्टन के मामले में परिवर्तन लागत *** थाई बाट प्रति एमटी है जैसाकि कंपनी द्वारा परिशिष्ट-8 में दावा किया गया है और जिसके विरुद्ध प्राधिकारी ने *** थाई बाट प्रति एमटी (मीडियम गेज) तक परिवर्तन लागत लिया है जिस पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है और कंपनी की वास्तविक परिवर्तन लागत को ही अपनाया जाना चाहिए।

xxxiii. प्रमुख कच्चे माल लागत जो फॉयल स्टॉक की लागत है, के संबंध में यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने *** यूएसडॉ. प्रति एमटी (*** बाट प्रति यूएसडॉ. की दर से ***टीएचबी) की लागत की गणना की है जो स्पष्ट रूप से इनगोट की एलएमई लागत पर आधारित है, पूर्ण रूप से बहुत अधिक चढ़ा-बढ़ाकर तथा कंपनी द्वारा खर्च की गई कच्चे माल की वास्तविक लागत से बहुत अधिक प्रतीत होता है।

xxxiv. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एसआरसी और हाउस फॉयल को बाहर नहीं करने का निर्णय उचित नहीं है। बाहर रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि उक्त उत्पादों की आपूर्ति भारत में मांग के अनुसार नहीं की गई है और आयात आवश्यक थे।

xxxv. प्रकटन यह दर्शाता है कि जिंदल इंडिया ने 2019 से 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल का निर्माण करना शुरु कर दिया था और उन्होंने दिसंबर, 2019 में अपनी पहली वाणिज्यिक मात्रा की बिक्री की। यह तब हुआ है जब वर्तमान मामले की जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 है। इस प्रकार, यदि वे उक्त प्रकार के उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रहे थे तब यह जांच की अवधि के दौरान केवल लगभग 4 महीने के लिए थी क्योंकि दिसंबर, 2019 में ही स्वीकार्य तौर पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरु हुआ और प्रयोक्ता जांच की अवधि के बहुत बड़े हिस्से के लिए उसका आयात करने के लिए मज़बूर थे। 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल को केवल इस कारण से उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहार किया जाना चाहिए।

xxxvi. 6.3 माइक्रोन फॉयल्स के लिए बाहर करने संबंधी अनुरोध को फिर से दोहराया गया है क्योंकि उसका आयात गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण किया जा रहा है और प्रयोक्ता भारतीय सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसाकि हमारे अनुरोध में दर्शाया गया है।

xxxvii. निर्माता द्वारा क्षमता संबंधी दावा उत्पाद आधार और उन मात्राओं जिन्हें उन्होंने क्षमता को तय करने के लिए प्रत्येक उत्पाद के लिए माना है, के अनुसार होने की आवश्यकता है। निर्माताओं द्वारा क्षमता का वर्तमान दावा पूर्ण रूप से गलत है।

xxxviii. इनगोट चरण से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाला एक उत्पादक और संबद्ध देशों सहित अन्य देशों से आयात किया गया फॉयल स्टॉक/एफआरपी से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उत्पादक को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यदि रविराज और जिंदल जैसे आयात करने वाले उत्पादकों को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना जाता है तब क्षति संबंधी जांच हिंडालको और अन्य कंपनियों के लिए पृथक रूप से किया जाना चाहिए।

xxxix. प्रकटन यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात में आधार वर्ष में 1858एमटी से जांच की अवधि में 46,907 तक वृद्धि हुई है। लेकिन आयात में इस प्रकार की वृद्धि के मूल कारण की जांच और उसका समाधान बिल्कुल ही नहीं किया गया है। आयात का मूल कारण विचाराधीन उत्पाद के अपेक्षित प्रकारों का उत्पादन करने के लिए घरेलू उत्पादकों की क्षमता संबंधी बाधाएं हैं और इस मामले में आयातों में वृद्धि और क्षति के दावे का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को कथित पाटित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी थी।

xl. प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद का प्रकार-वार आयात, याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध सदृश्य क्षमता और क्षति की अवधि के दौरान इन प्रकारों के वास्तविक उत्पादन के तथ्यों को अवश्य प्रकट करना चाहिए जिससे कि आयातों और क्षति का वास्तविक कारण समझा जा सके।

xli. कथित क्षति को भी आयात की गई संबद्ध वस्तुओं से नहीं जोड़ा जा सकता है। जब कीमत में कटौती 2017-18 की अवधि में 11-20 प्रतिशत के दायरे में थी तब घरेलू उद्योग को पीबीटी स्तर पर कम हानि हुई थी और जब जांच की अवधि में कीमत में कटौती के अंतर में 0-10 प्रतिशत तक गिरावट आई, तब घाटे में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई। वास्तव में, निवेश पर लाभ जो 2017-18 की अवधि में सकारात्मक था, तब नकारात्मक हो गया जब कीमत में कटौती आधी हो गई। आयात और क्षति के बीच कोई संबंध नहीं है।

ट.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

123. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध दोहराए गए हैं। इन अनुरोधों की जांच पहले ही इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर की गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त/नए संगत अनुरोधों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की है:

क. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध वस्तु का निर्माण इनगोट के चरण से किया गया है और फ्लैट रोल्ड उत्पाद के चरण से एल्युमिनियम फॉयल का निर्माण करने पर विचार केवल प्रोसेसिंग के रूप में किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि इस मुद्दे की जांच प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम में संगत स्थान पर विस्तारपूर्व की गई है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इसकी विगत कार्य-पद्धति के अनुरूप है।

ख. कुछ उत्पाद प्रकारों को बाहर किए जाने के लिए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों ने कुल मिलाकर अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है। यद्यपि, इस प्रकार के दावे की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्राधिकारी के सामने नहीं लाया गया है, यह भी नोट किया जा सकता है कि मांग और आपूर्ति में अंतर किसी उत्पाद प्रकार को बाहर किए जाने के लिए आधार नहीं है। जहां तक 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल का संबंध है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य का सत्यापन किया है कि वे संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और उन्होंने जांच की अवधि में वाणिज्यिक मात्राओं में बिक्री शुरु कर दी है। बैट्री फॉयल को बाहर नहीं रखने के कारणों की भी जांच प्राधिकारी द्वारा विस्तार से की गई है। 6.3 माइक्रोन के कम से एल्युमिनियम फॉयल्स को बाहर रखने के संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गुणवत्ता के अंतर को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस

साक्ष्य नहीं लाया है। चूंकि घरेलू उद्योग उसका उत्पादन कर रहा है, अत: इसे उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

ग. उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किए गए उत्पाद प्रकार अर्थात् एडहेशिव टेप और कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉयल के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एडहेशिव टेप को "एडहेशिव टेप एल्युमिनियम फॉयल है (< 80 माइक्रोन से कम) जिसका एक तरफ अथवा दोनों तरफ टेप के रूप में उपयोग किए जाने के लिए एडहेशिव से कोट किया हुआ हो" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉयल को "सीटीएच 7607 के अंतर्गत आने वाले कोटिंग, पीवीडीएफ (फ्लोरीन कार्बन) की या तो पीई(पोलिएस्टर) कोटिंग के साथ एल्युमिनियम फॉयल" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

घ. प्राधिकारी एल्युमिनियम की एलएमई कीमतों और अन्य परिवर्तन लागत जिसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि वे गलत हैं, को अपनाकर उनके द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य के संबंध में मै. लाफ्टन (थाइलैंड) कं. लि. द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं। इसके अलावा, उपभोग मानदंडों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है और ऊपरी मदों के विभाजन की पद्धति भी सही नहीं है। कच्चे माल की एलएमई कीमतों का ब्यौरा देने वाले निर्यातक ने यह अनुरोध किया है कि कच्चे माल की उनकी वास्तविक लागत दरअसल एलएमई कीमतों से उच्चतर है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में कच्चे माल की खपत आकड़ा और परिवर्तन लागत पद्धति, दोनों की फिर से जांच करने के बाद ***यूएसडॉलर/एमटी के रूप में सामान्य मूल्य में संशोधन किया।

ड. शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल कं. लि. का अपना नाम बदल कर शंघाई शुनहो एल्युमिनियम फॉयल कं. लि. करने के तर्क के संबंध में, कंपनी द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए और कंपनी द्वारा दावा किए गए परिवर्तन की प्रकृति के संबंध में, प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई कंपनियों के नाम के बदले में नई कंपनी के नाम का भ्री उल्लेख किया जा सकता है। कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि यह केवल कंपनी के अंग्रेजी नाम में परिवर्तन है और चीनी नाम वही है। नाम में इस परिवर्तन का कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अथवा पहचान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार, प्राधिकारी शंघाई शेनहुओ एल्युमिनियम फॉयल कं. लि. से शंघाई सुनहो एल्युमिनियम कं. के नाम में परिवर्तन से सहमत हैं।

<u>भारतीय उद्योग के हित</u>

124. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में इस उत्पाद के कीमत के स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से पाटन की कार्य-पद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा जो देश के सामान्य हित में है, की स्थिति फिर से स्थापित की जा सके। इस कारण से, पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से किसी भी रुप में संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा और इस कारण से यह उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

<u>जनहित</u>

125. प्राधिकारी ने इस पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्क लगाया जाना व्यापक तौर पर जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण इस उत्पाद के घरेलू उद्योग, आयातकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने पर आधारित है।

126. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना जिसमें उनके व्यापार पर पाटनरोधी

शुल्क के संभावित असर के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के वास्ते एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तन की क्षमता, स्रोतों को बदलने की घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न नई स्थिति के प्रति समायोजन में संभावित रूप से गति लाने अथवा उसमें विलंब करने वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी। अनेक प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, प्रयोक्ताओं ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप कीमत में वृद्धि होगी, हालांकि उनमें से किसी ने भी शुल्क लगाए जाने के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि किस प्रकार से एल्युमिनियम फॉयल की इन कीमतों का उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में विशिष्ट प्रश्नों का निर्धारण किया है, यह नोट किया जाता है कि प्रयोक्ताओं में से किसी ने भी संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन किए जाने योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। वर्तमान में, विचाराधीन उत्पाद पर अन्य स्रोत से भी पाटनरोधी शुल्क लग रहा है, प्रयोक्ताओं के द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि विगत में लगाए गए शुल्क का समग्र रूप से प्रयोक्ताओं अथवा उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि अन्य स्रोत पर शुल्क लगाए जाने के बाद भी प्रयोक्ता उद्योग ने वृद्धि दर्शाई है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देशों से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का आयात भी हतोत्साहित होगा और यह प्रयोक्ता उद्योग को एक निष्पक्ष एवं प्रतिस्पधी बाजार उपलब्ध कराएगा। यह प्रयोक्ता उद्योग को आयात पर निर्भर रहने के लिए भी हतोत्साहित करेगा। घरेलू उद्योग ने भी बहुत अधिक मात्रा में पूंजी निवेश किया है और हाल की अवधि में अपनी क्षमता का विस्तार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दो नए उत्पादकों ने अपने संयंत्र को स्थापित किया है और अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करने वाले हैं, पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाए जाने से संबंधित उत्पाद के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर बहुत कम है, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा।

127. शुल्कों को लगाया जाना घरेलू उद्योग के हित में होगा जिसे पाटित आयातों के कारण क्षति उठानी पड़ी है। ये शुल्क इस तथ्य को सुनिश्चित करेंगे कि घरेलू उद्योग बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकता है और प्रयोक्ताओं को विकल्पों की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जो व्यापक जनहित में होगा।

128. इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समग्र रूप से जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

क. <u>निष्कर्ष</u>

129. दिए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए और ऊपर में किए गए उल्लेख पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

(i) विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है और इस प्रकार इसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।

(ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

(iii) वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

(iv) वे कारक जैसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव का परिमाण नहीं बताना, देश में क्षमता विस्तार जो यह सुनिश्चित करेगा कि मांग और आपूर्ति में कोई अंतर, भारतीय उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और संबद्ध वस्तुओं पर विगत में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं होना तर्कसंगत तरीके से यह दर्शाते हैं कि शुल्कों को लगाया जाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

ख. <u>सिफारिशें</u>

130. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा नियमावली के संबंध में पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर दिया गया था और पाटित आयातों के कारण सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति सिद्ध करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और क्षति के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

131. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी इस नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधान के संबंध में प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तद्नुसार प्राधिकारी चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में दर्शायी गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से करते हैं।

132. इस उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन किए जाने योग्य मूल्य और सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9 क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों का लागू स्तर होगा।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7606	80 माइक्रोन और उससे कम का एल्युमिनिम फॉयल*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	मै जियांग्सु . झोंगजी लेमिनेशन .कं मैटिरियल्स .लि	506.81	एमटी	यूएसडॉ .
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	मै .शंघाई शानहुई एल्युमिनियम फॉयल्स कं.लि .	398.45	एमटी	यूएसडॉ .
3.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	मै. जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट स्टॉक कं. लि.	523.67	एमटी	यूएसडॉ .
4.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	मै हांगझोऊ . स्टार फाइव एल्युमिनियम कं. लिमिटेड	523.67	एमटी	यूएसडॉ .
5.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण सहित कोई	मै . जियांग्सु . फेनजीयुआन	510.24	एमटी	यूएसडॉ .

				भी देश	एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कं. लि.			
6.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	मै. कुनशान एल्युमिनियम कं. लि.	577.59	एमटी	यूएसडॉ.
7.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 से 6 में उल्लिखित कंपनी को छोड़कर कोई उत्पादक	976.99	एमटी	यूएसडॉ.
8. dggg	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन.गण	सभी	976.99	एमटी	यूएसडॉ.
9.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	मै. थाई डिंग लि न्यू मैटिरियल कं . .लि,	100.07	एमटी	यूएसडॉ.
10.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	मै. डिंगहेंग न्यू मैटिरियल कं . .लि	100.07	एमटी	यूएसडॉ.
11.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	मै .लाफ्टन (थाइलैंड) कं.., लि.	93.53	एमटी	यूएसडॉ.
12.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	मै. वारपरोकरा पब्लिक कं. लि.	178.47	एमटी	यूएसडॉ.
13.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	क्रम सं. 9,10,11,12 में उल्लिखित कंपनी को छोड़कर कोई उत्पादक	339.93	एमटी	यूएसडॉ.
14.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड को छोड़कर कोई भी देश	थाइलैंड	कोई भी	339.93	एमटी	यूएसडॉ.
15.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया को छोड़कर कोई भी देश	कोई भी	850.45	एमटी	यूएसडॉ.

16.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड को छोड़कर कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	850.45	एमटी	यूएसडॉ.
17.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया को छोड़कर कोई भी देश	कोई भी	422.28	एमटी	यूएसडॉ.
18.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड को छोड़कर कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	422.28	एमटी	यूएसडॉ.

* एल्युमिनियम फॉयल चाहे वह प्रिंटेड हो अथवा नहीं या पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक अथवा 80 माइक्रोन और उससे कम की मोटाई (अनुमत्य सहनशीलता के साथ) की समान पैकिंग सामग्री में निम्नलिखित शामिल नहीं है:

i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के दायरे की मोटाई वाला एल्युमिनियम फॉयल।

ii. अलुअलु लेमिनेट

iii. परिवर्तित अल्ट्रा लाइट गेज

iv. एल्युमिनियम फॉयल कम्पोजिट

v. 500 मि.मी. से कम चौड़ाई वाले कैपेसिटर्स के लिए एल्युमिनियम फॉयल

vi इच्ड अथवा फोर्म्ड एल्युमिनियम फॉयल्स

vii. एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल

viii. उपयुक्त नॉन क्लैड एल्युमिनियम फॉयल से सज्जित

ix. बीयर बोतल के लिए एल्युमिनियम फॉयल

x. एल्युमिनियम – मैग्नीज – सिलिकॉन आधारित और/अथवा क्लैड एल्युमिनियम – मैग्जीन्स – सिलिकॉन आधारित अलॉय, चाहे वह घटा हुआ हो अथवा नहीं हो।

xi. एल्युमिनियम फॉयल एडहेसिव टेप्स

xii. कलर कॉटेज एल्युमिनियम फॉयल

<u>आगे की प्रक्रिया</u>

133. केन्द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार किए जाने के बाद इनके विरुद्ध अपील 1995 यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनिमय 1975 और सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTOR GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 18th June 2021

OI Case No.-18/2020

Subject: Final Findings-Anti-dumping investigation concerning imports of Aluminium foil 80 microns and below originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand and Indonesia.

F. No. 06/21/2020-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time thereof;.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s. Raviraj Foils Ltd., and M/s Jindal India Ltd., (hereinafter referred to as the 'applicants' or 'applicant companies' or "domestic industry)" have jointly filed a duly substantiated application before the Designated Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging dumping of 'Aluminium Foil 80 Microns and below' (hereinafter referred to as subject goods or product under consideration or PUC), originating in or exported from China PR, Malaysia, Indonesia, and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), alleging dumping of subject goods and consequent injury to the domestic industry and requested for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

2. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicants to justify initiation of investigation issued a public notice vide Notification No. 06/21/2020 - DGTR dated 20th June 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Rule, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. Procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:

   a. The Authority notified the Embassies/Representatives of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

   b. The Authority issued a public notice dated 20th June 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.

   c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users in India, other Indian producers, and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification.

   d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

   e. The Embassy of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names

and addresses of the known producers/exporters from China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand.

f. The Authority sent Exporter's Questionnaire to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. Dingsheng Aluminium Industries Hong Kong Trading, China
ii. Dong Guan Kai Yuan Plastication, China
iii. Hangzhou Dingsheng Imp Exp Co Ltd, China
iv. Henan Mingtai Technology Development Co Ltd, China
v. Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd, China
vi. Jiangsu Fengyuan Aluminium Master Technology Co Ltd, China
vii. Jiangsu Zhongji Lamination Material Co Limited, China
viii. Kunshan Aluminium Co Luoyang Longding Aluminium Industries Co Ltd, China
ix. Peixian Fengyuan Import and Export Trade Co. Ltd., China
x. Zhengzhou Mingtai Industry Co, Ltd, China
xi. PT Alumindo Light Metal, Indonesia
xii. PT Starmas Intl Aluminium Industry, Indonesia
xiii. PT Beesco Indonesia
xiv. PT Intibumi Alumindotama Industry, Indonesia
xv. Ezy Metal Enterprise, Malaysia
xvi. MH Megah Maju Enterprise, Malaysia
xvii. Modal Gagasan Plt, Malaysia
xviii. Uacj Foil Malaysia SDN BHD, Malaysia
xix. Loften Thailand Co Ltd, Malaysia
xx. Thai Ding Li New Materials Co, Malaysia
xxi. Propack Pacific Pte Ltd, Malaysia
xxii. Toyal Thailand Co Ltd, Malaysia
xxiii. Varopakorn Public Company Ltd, Malaysia

g. In response, the following producers/exporters from the subject countries filed exporter's questionnaire in the prescribed format:

i. Thai Ding Li New Materials Co., Ltd
ii. Dingheng New Material Co., Ltd
iii. Hagzhou Dingsheng Import and Export Co Ltd
iv. Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading co Ltd
v. Jinagshu Dingsheng New Material Joint Stock Co Ltd
vi. Shangqiu Yangguang Aluminium Material Co Ltd
vii. Kunshan Aluminium Co Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co. Ltd.
viii. Jiangsu Zhongji Lamination Matrial Co (HK) Ltd
ix. Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co Ltd
x. Varopakorn Public Company Limited

xi. Loften (Thailand) Co., Ltd.

xii. Hangzhou Five Star Aluminium Co Ltd

h. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. Indomax Industries

ii. Jil Pack (Importer)

iii. Dadra Eximp Private Limited

iv. Samsung India Electronic Pvt Ltd

v. Paharpur 3P Private Limited

vi. The Indian Flexible Packaging and Folding Carton Manufacturers Association (IFCA)

vii. Essel Propack Ltd

viii. Huhtamaki PPL Ltd

ix. Uflex Ltd

x. Silver Foils Pvt. Ltd.

xi. Rockdude Impex Private Limited

xii. Paramount Universal Private Limited

xiii. Veeram Natural Products Pvt. Ltd.

xiv. Graco Foils

xv. Dalfo Flexipack Pvt. Ltd.

xvi. Nagreeka Indcon Products (P) Ltd

xvii. Unistone Panels Pvt Ltd

xviii. G M Alloys Pvt. Ltd.

xix. Jewel Packaging Pvt. Ltd.

xx. Blue Star Ltd.

xxi. Banco Products (India) Ltd.

xxii. R S Foils Pvt. Ltd.

xxiii. Macleods Pharmaceuticals Ltd.

xxiv. Dalal Packaging

xxv. Betts India Private Limited

xxvi. Cadbury India Limited

xxvii. Ansa Print Pack Pvt. Ltd.

xxviii. Green Pack Foils Pvt. Ltd.

xxix. Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd.

xxx. Hitachi Home & Life Solutions (India) Ltd.

xxxi. Jhaveri Flexi Laminate Pvt. Ltd.

xxxii. Jain Packaging Pvt. Ltd.

xxxiii. Cadilla Pharmaceuticals Ltd.

xxxiv. Pfizer Limited

xxxv. K A Alu Foil

xxxvi. Nipra Industries Pvt. Ltd.

xxxvii. Positive Packaging Industries Ltd.

xxxviii. The Paper Products Ltd.

xxxix. Polycom Associates

xl. Supermak Industries

xli. Rainbow Plastics India Ltd.

xlii. Ranbaxy Laboratories Ltd.

xliii. Koch-Glitsch India Limited

xliv. Swastik Flexipack Pvt. Ltd.

xlv. Alutop Co. Ltd.

xlvi. Hindustan Latex Limited

xlvii. Danna Laminates

xlviii. Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

xlix. Technova Tapes India Pvt. Ltd.

l. Foilpack industries

li. Climate Systems India Ltd.

i. In response following importers filed importer questionnaire response:

i. Indomax Industries

ii. Jill Pack

iii. Dadra Eximp Private Limited

iv. Unistone Panels Pvt Ltd

j. Following users filed user questionnaire response:

i. Samsung India Electronic Pvt Ltd

ii. Paharpur 3P Private Limited

iii. The Indian Flexible Packaging and Folding Carton Manufacturers Association (IFCA)

iv. Essel Propack Ltd

v. Huhtamaki PPL Ltd

vi. Uflex Ltd

vii. Silver Foils Pvt. Ltd.

viii. Rockdude Impex Private Limited

ix. Paramount Universal Private Limited

x. Veeram Natural Products Pvt. Ltd.

xi. Graco Foils

xii. Dalfo Flexipack Pvt. Ltd.

xiii. Nagreeka Indcon Products (P) Ltd

k. The Authority, upon request, granted extension till 15th August, 2020 to the exporters to file the questionnaire response and another extension was granted till 22nd August, 2020.

l. The Authority directed the parties to share the non-confidential version of their response with the list of interested parties. The parties exchanged the non- confidential version of the response with other interested parties through email.

m. Further information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the information provided by applicant domestic Industry by way of table study, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of the Final Findings.

n. Investigation was conducted on for the period from 01st April 2019 to 31st March 2020 (12 months) (hereinafter referred to as the 'Period of Investigation' or 'POI'). The injury analysis covered the period from 01st April 2016 – 31st March 2017, 01st April 2017 – 31st March 2018, 01st April 2018 – 31st March 2019 and the POI.

o. Request was made to the Directorate General of Commercial intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

p. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their submissions orally in the oral hearing held on 24th February 2021 which was attended by various parties. The interested parties who presented their views at the oral hearing were advised to file written submissions of their views expressed orally. The interested parties were also provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by opposing interested parties.

r. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this Final Findings.

s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

t. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 07.06.2021 and the interested parties were allowed time up to 14.06.2021 to comment on the same. The comments on Disclosure Statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

u. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

v. '***' in this Final Findings represents information furnished by an interested party/any other party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

w. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as 1 US$ = Rs. 71.65.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions made by the Domestic industry

4. The following are the submission made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

i. The product under consideration in the present petition is "Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)" excluding the following:

a. Aluminium Foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 microns originating from China PR.

b. Alu Alu Laminate: Alu Alu Laminate of 40 - 50 mic in AA8079 & AA8021, is a multi-layered opaque laminate where Aluminium foil and is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.

c. Ultra Light Gauge Converted: Aluminium foil having thickness of 5.56 mic to 7 micron which is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.

d. Aluminium Foil Composite: Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.

e. Aluminium Foil for capacitors width below 500 mm: Aluminum foil for capacitors is an Aluminum foil of 5 micron gauge with width below 500 mm 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.

f. Etched or formed Aluminium Foils: Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.

g. Aluminium composite panel: Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.

h. Clad with compatible non clad Aluminium Foil: A corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to high-strength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry, such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.

i. Aluminium Foil for beer bottle: Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.

j. Aluminium-Manganese-Silicon based and/or Clad Aluminium-Manganese-Silicon based alloys, whether clad or unclad: with post brazing yield strength greater than 35 MPA, falling under tariff heading 7607 for use in heat exchangers including radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, heater cores, evaporators, heat ventilation and air conditioning (HVAC) systems and parts thereof.

ii. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act 760711, 76071110, 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 and 76072090. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

PCN

iii. The Applicants proposed for the adoption of Product Control Numbers (PCNs) on two broad categories as bare foil and converted foil for fair comparison between different types of products. Bare foil is plain foil and converted foil is backed with, paper, kraft, polythene etc.

iv. Exclusion requests- With regard to exclusion requests made by the interested parties, the domestic industry has submitted as follows:

Battery Foil

a. The domestic industry is capable of manufacturing battery foil and has been regularly supplying the same to esteemed customers such as BHEL. Documentary proof of the same was enclosed with the written submissions. Hindalco's Al LiB Battery foil has been tested & qualified against highest standards of foil performance as per Space applications (VSSC/ISRO, BHEL) & also the auto applications. Hindalco is manufacturing Aluminium battery foils in India and actively partnering LiB manufacturing revolution for EVs / various other applications.

b. The company is working actively with all battery manufacturers, who are setting up plants in India under the guidance of NITI Aayog to fulfil the vision of "Aatmanirbhar Bharat".

Color Coated Aluminium Foil

c. As stated during the oral hearing and the written submissions, the domestic industry agrees for exclusion of color coated aluminium foil.

Aluminium Foil below 5.5 micron

d. The product scope in the previous investigation did not include aluminium foil below 5.5 micron because domestic industry could not produce the same. Jindal has already started commercial production of Aluminium foil below 5.5 micron. Jindal has already provided invoices for merchant sales for below 5.5 micron and production capability of Jindal cannot be doubted.

e. The fact that Hindalco and Raviraj do not produce Aluminium foil below 5.5 micron does not mean that the below 5.5 micron is not produced by the domestic industry. It is not necessary that all the producers should be able to make all kinds of product.

f. As far as product not being shown on the website is not a criteria for exclusion of any product and that does not mean that the product is not being manufactured by the domestic industry.

g. Just because Uflex does not know about Jindal producing aluminium foil below 5.5. micron does not mean the product is not being manufactured. The applicants have filed detailed data before the authority and the authority has verified the same. The applicants will provide any other information needed to be submitted to aid the complete verification process.

SRC Foil

h. SRC foil is not a new product in the market and Hindalco has been producing the same since ages. They are producing it in sufficient quantities. The applicants are producers of the subject goods and their business involves selling subject goods. Total imports of SRC is almost 7,290 MT in the POI and demand for SRC is much more than that in the market and that demand is being fulfilled by the domestic industry only.

Adhesive Tape

i. The domestic industry does not currently manufacture adhesive tape. Even though the domestic industry can produce this product type, the domestic industry has no objection to exclusion of the same from the product scope of the present investigation, considering that the Designated Authority has applied a test of actual production as the criteria. Authority has applied a test of actual production as the criteria.

v. There is neither a prescription nor a proscription for defining a product under consideration. The WTO has held that there is no legal mandate with regard to what shall be product under consideration. Analysis of past findings of various investigating authorities shall show that there is no legal requirement of (a) internal homogeneity within the product under consideration, (b) inter-se substitutability of various types of the product under consideration.

vi. The WTO Panel report in the matter of Farmed Salmon held that "any enterprise that produced any form of the like product should be considered, at least in the first instance, a "producer" of the like

product, and as such, part of the domestic industry." The Panel did, however, envisaged some circumstances which may not be sufficient to consider an entity as a "producer" of the product however such circumstances are case specific. While it is appreciated that any activity cannot be treated as "production", the "sufficient activity" needs to be adjudged on an individual case basis. Substantial activity takes place from converting FRP to Aluminium foil.

vii. The Authority had considered in the case of SDH transmission that if substantial transformation is made to raw material to be come a final product, then such activity is considered as "production". The producers, namely, Raviraj and Jindal, are carrying out activities which result, in a substantial transformation of the inputs, i.e. Aluminium Foil Stock into a distinct and different final product, i.e., Aluminium Foil.

viii. The facts of the cases, *Oxo Alcohols Industries' Association vs Designated Authority [2001 (130) ELT 58], Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from China PR, Korea, the European Union, South Africa, Chinese Taipei, Thailand and the United States of America, and Anti-dumping investigation concerning imports of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of ASTM Grade 304 with all its variants, originating in, or exported from European Union, Korea RP, South Africa, Taiwan and USA* cited by the other interested parties are different than the present case. The goods produced by the domestic industry cannot be excluded from the product scope. Products not being manufactured by the domestic industry has already been excluded from the product scope. The party has referred to the case without even showing how it applies to the present case.

Quality Issue

ix. It is denied that domestic foil is not a like product to imported foil owing to high number of pinhole counts in the former. The exported goods also have large number of pinholes and there is no BIS for how many holes should be there in the foil. This issue was raised in the previous investigation as well and the Authority was of the view that the applicants are selling the subject goods as per the government prescribed standards only.

x. The users/importers, in their response have not identified any technical/ physical difference between the imported and domestic goods. Contrary to that, the domestic industry has received appreciation and quality approval certificates from the customers. Quality is not a criterion to treat a product as dislike article under Anti-dumping law.

xi. Difference in quality is not a sufficient justification for exclusion of a product as has been held by the Designated Authority and upheld by the Hon'ble CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited Versus Designated Authority.

xii. As far as the rejection rate of domestic industry is concerned, it has come down to a significant level. The rejection rate of domestic industry is low and the statements made by the users/ importers are exaggerated.

xiii. Hindalco produces all kinds of foil which are used in either food packaging or pharmaceutical or high end battery cars. Even if Hindalco and Raviraj do not produce the same, it is sufficient that one of the applicants produces the subject goods.

xiv. Hindalco produces SRC and house foil more than their captive consumption and cater to the domestic market. SRC and House foil is being produced by the other Indian producers also. There are other producers in the domestic market who produce SRC and house foil, other than Hindalco. The Indian capacity for SRC and house foil is sufficient to cater to the domestic demand. It is not true that Hindalco will have a dominating position.

C.2 Submissions made by the other interested parties

5. The following are the submission made by the other interested parties with regard to product under consideration and like article:

i. A lot of emphasis is put on the fact that there are several process involved in producing aluminium foil from foil stock and it is done with an intention to protect import of foil stock. Foil stock is Aluminium foil of higher micron, if foil stock is excluded from the product scope, the entire PUC can be vitiated. Petitioners cannot ask for exclusion of certain goods being imported. Foil stock is a semi-finished stage of the PUC.

ii. The Authority has initiated an anti-dumping investigation concerning imports of flat rolled products. Raviraj and Jindal India who are petitioners in the earlier investigation as well as present investigation along with Hindalco, have been excluded from this case since they are importers of Foil Stock from the subject country. In light of this, the Authority should not have initiated the present investigation.

iii. The Authority in final finding in "Anti-dumping investigation concerning imports of Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel originating in or exported from China PR"; Anti-dumping investigation concerning imports of "Hot-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel" originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia, held that processors cannot be producers.

iv. USITC in Aluminium Foil from China, Investigation Nos. 701- TA-570 and 731-TA-1346 (Final) and European Commission Regulation (EU) 2015/1081 of 3 July 2015 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain Aluminium foils originating in Russia, concluded that other producers engaged only in processing activities did not qualify to be considered as domestic industry.

v. The petitioners have deliberately and mischievously explained the production process of the PUC from the intermediate stage of rolling the foil stock to foil which is essentially a conversion or down-gauging operation and does not qualify as manufacturing activity. Only manufactured products can be included as per Para 3.10 and 3.14 of the Manual of DGTR.

vi. Though the subject good are classified under Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975, it is merely indicative and for the Anti-Dumping duty to be levied the same must be recommended in accordance with product description and usage.

vii. Exclusion request- Following exclusions have been requested by the opposing interested parties:

a. Battery Foil- None of the Indian producers were able to develop Battery foils as per the technical and mechanical standards mentioned by UFO/UFOM. Battery foil are specialized foils which cater to the needs of Li-Ion battery manufacturers around the world are used in the manufacture of high-performance rechargeable Li-Ion batteries, primarily used for electric vehicles and certain other electronic appliances such as smartphones, laptops etc. No Indian producers manufactures foils of 15 microns thickness with quality/specifications required for Battery foils which distinguishes UFOM/UFO from the PUC.

b. No technical specification for Battery foil sold has been provided the petitioners. UACJ Foil Malaysia Sdn Bhd has provided the mechanical and chemical specifications of 'Battery Foils' produced by the company and compared the same with foils manufactured by the Petitioners. The 'battery foils' manufactured by UACJ Foil Malaysia Sdn Bhd and foils manufactured by Petitioners are not like articles.

c. Aluminium foil below 5.5 micron- Hindalco and Raviraj does not produce Aluminium Foils below 5.5 microns and the same has been stated on their website. PCN wise data submitted by the applicants show that ULG below 5.5 production of two companies, i.e. Hindalco and Raviraj is Nil. Jindal has also produced some quantities only in the POI. Thus, unless it is proved that they have produced and sold commercial quantity of ULG below 5.5 micron Aluminium foil, the same should be excluded from the product scope. Jindal's ability to produce commercial quantities of the PUC during the POI is doubtful. Hence, Aluminium Foil of less than 5.5 microns was imported into India during the investigation period in significant quantities.

d. The Authority must call for specific capacity for AL Foil Below 5.5 Mic and their actual production and sales during the POI and the same should be compared with demand for the product in the country during the POI.

e. Aluminium Foil Adhesive Tapes- Adhesive tapes are value added products which has Aluminium Foil as one of their constituent materials, which are specifically use for binding cluster pipes in refrigerators and to enhance heat dissipation. The domestic industry does not produce such Adhesive tapes, which alone suffices to exclude this product from the purview of the PUC.

f. House foils and Semi Rigid Container (SRC)- House foil and SRC foils should be excluded from the scope of PUC as they are being produced in insufficient volumes and supplied in some small volumes in the market after depriving the users from adequate material. The producers are not focussed on manufacturing these two types of foil. They are being sold in some quantities in the domestic market so as to seek inclusion of these types into the scope of PUC. Jindal Aluminium Ltd. intimated 2 buyers about its inability to supply SRC at the required quantity due to (a) overbooking of capacity and (b) supply issues due to fire at their factory. Authority must determine product exclusions as per the recent matter of DMAC.

g. In India 2 types(thickness) of HHF are mainly sold, one is 10.5 Micron, second is 18 micron. First one having 90% of the market share. 18 micron some are making, 10.5 nobody is making. Reason being rolling to 10.5 micron takes too much time and production is very less. So, if a plant has 500 tonne capacity for SRC, it can only produce 100 tonnes of HHF if run at full capacity. Imposing ADD on it will create a severe scarcity and hamper consumers directly.

h. After application of ADD, it would be impossible to compete with the dominant player, Hindalco, in the downstream market. Hence, exclusion of House and SRC foil from the scope of PUC is essential to avoid this situation. Particularly, Hindalco has been manufacturing SRC but that is only for Captive Consumption and during POI did not sell any SRC material in India to any manufacture of SRC. It would play a monopoly role after ADD is imposed as it would supply material to Alchaw Metprint Ltd. who does Job Work for it.

i. Color coated Aluminium foil- The domestic industry does not manufacture color coated aluminium foil. This fact was accepted by them during the oral hearing also. In the earlier ADD investigation, the Hon'ble CESTAT upheld the representation by Unistone and Indomax and upheld that color coated aluminium foil is not being produced by the domestic industry, thus should be excluded from the product scope. Accordingly, color coated aluminium foil should be excluded from the present investigation as well.

viii. DGTR Manual at para 3.10 notes that, mere competence without any production or merchant sales may not be sufficient to include an item in the definition of the PUC. The PUC should include those items, which are produced and commercially sold in the domestic market by the respective domestic industry.

ix. The Hon'ble CESTAT in *Oxo Alcohols Industries' Association vs Designated Authority [2001 (130) ELT 58]* held that if the products are not manufactured by the domestic industry, the import of same product cannot cause injury to domestic industry and therefore such product should be excluded from the levy of anti-dumping duty.

x. Reliance was also made on various Anti-Dumping investigations which included imports of *Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from the Peoples Republic of China, Republic of Korea, the European Union, South Africa, Chinese Taipei, Thailand and the United States of America*, and Anti-dumping investigation concerning imports of *Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel of ASTM Grade 304 with all its variants, originating in, or exported from European Union, Korea RP, South Africa, Taiwan and USA.*

xi. The import of 5.3 micron foil down gauges the composite laminated structure, reduces carbon footprint and consumption of plastics; hence, is the need of the industry. Authority is requested to direct the petitioners to submit the details of their production of foils below 5.5 micron for verification as the largest user, Uflex, has no information regarding supply of the same.

Quality Issue

xii. 6.3 micron foil is used for flexible packaging laminate as a barrier material to protect food contamination. The product produced by domestic industry is not like article to the imported product for the reason of having high number of pinhole count. Due to this quality issue, even after imposition of duty, 6.3 micron foil would be imported and should be excluded from product scope.

xiii. The Authority should consider quality issues, like air pockets in foil, flatness, oxidation etc. with the users while determining the product scope. In another ADD matter of DMAC, imports of a specific type were allowed as Indian producers were not supplying such specific type required by the specific segment of users.

xiv. Foil supplied by the domestic industry has a lot of quality issue like air pocket in the foil roll, flatness, free flow, oxidation, contamination of the foil etc. and due to that the rejection rate of the domestic industry is very high. The Authority kindly decide the product scope base on the quality and quality supplied by the domestic industry.

xv. Authority may have an objective examination of actual imports, especially in case of exclusions while defining PUC. The non-confidential version has no information of transaction-wise import data for excluding the products leading to withholding crucial information.

xvi. Authority may require relevant test reports and videos of testing done on domestic products to establish the facts that the goods are not suitable for their specific uses and have a range of quality issues like pin-holes, thickness, not capable of working on high speed machines.

C.3 Examination by the Authority

6. Number of interested parties has raised number of issues with regard to the scope of the product under consideration in the present case. Interested parties have sought exclusion of a large number of product types from the scope of PUC on the grounds that the domestic industry is not capable of producing the product type or supply the product in the desired product type, or the quality of the product produced and supplied by the domestic industry is different. The arguments of interested parties have been examined after calling relevant information from the parties and examine the same during the desk verification.

7. The product under consideration as noted in the initiation notification is "Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)" excluding the following:

i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.

ii. Alu Alu Laminate- Alu Alu Laminate of 40 - 50 mic in AA8079 & AA8021, is a multi-layered opaque laminate where Aluminium foil and is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.

iii. Ultra Light Gauge Converted- Ultra Light Gauge Converted is an Aluminium foil having thickness of 5.5 6 mic to 7 mic which and is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.

iv. Aluminium Foil Composite- Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.

v. Aluminum foil for capacitors width below 500 mm- Aluminum foil for capacitors is an Aluminum foil of 5 micron gauge with width below 500 mm 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.

vi. Etched or formed Aluminium Foils- Etched or formed Aluminium Foils is Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.

vii. Aluminium composite panel- Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.

viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil- Clad with compatible non clad Aluminium Foil is a corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to high-strength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.

ix. Aluminium Foil for beer bottle- Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.

x. Aluminium- Manganese- Silicon based and/ or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad- with post brazing yield strength greater than 35 MPA, falling under tariff heading 7607 for use in heat exchangers including radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, heater cores, evaporators, heat ventilation and air conditioning (HVAC) systems and parts thereof.

8. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act 760711, 76071110 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 and 76072090. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

9. The Authority notes that the subject goods are being imported in various microns. The applicants had proposed product control numbers (PCN) in order to make PCN to PCN comparison. Considering the parameters that impact the associated cost and prices of the product, and after taking into account the submissions made by the various interested parties, the Authority notified a PCN methodology vide communication no 06/21/2020-DGTR, dated 14th September, 2020. The PCN methodology adopted in the present investigation is as follows:

Sl.No.	Type of Foil	Micron Range	Bare/converted
1.	Alu Alu Stock	45-60 micron	
2.	Home Foil	9 -18 micron	
3.	Light Gauge (LG)	7-18 micron	
4.	Medium Gauge (MG)	20-60 micron	
5.	Semi Rigid Container (SRC)	33 - 80 micron	
6.	Ultra Light Gauge Bare	5.5 - <7 micron	
7.	Ultra Light Gauge Bare	Below 5.5 micron	
8.	Cigarette Foil	Below 7 micron	Bare
9.	SRC Converted	33 - 80 micron	
10.	Medium Gauge (MG) Converted	20-60 micron	
11.	Home Foil Converted	9 -18 micron	
12.	Light Gauge (LG) Converted	7-18 micron	Converted

10. The product under consideration is manufactured from foil stock. Foil stock is flat rolled aluminium (FRP) and is produced by rolling ingot. In other words, Aluminium Flat Rolled products (FRP) are rolled further into foils. The essential difference between the two is in thickness. The FRP have thickness greater than 80 microns. It may be rolled into foil or consumed as it, or printed/laminated (also called backed) with paper, board, plastic or other packaging materials. Aluminium foils may be printed either by the producers or by converters or by end consumers. A significant investment is involved to roll FRP into foils.

11. With regard to the contention that petitioners have misled the Authority by explaining that Aluminium foil is produced from foil stock/FRP directly, it is noted that this is the settled principle and has been recognized by the Authority in the past in previous anti-dumping investigation against China where the product scope was aluminum foil 5.5 to 80 micron. The Authority had applied the same principle in the safeguard investigation which was concluded in 2009. In the present case Aluminium foil is the product scope and the input material for the same is FRP. Thus, applicants are free to import input material and that does not interfere with the eligibility of the producers.

12. The product under consideration in the present investigation is "Aluminium Foil" and the domestic producer of Aluminium foil is the manufacture of the like article. The production activity needs to be

seen in this context. For instance the Authority in the anti dumping investigation concerning imports of Stainless steel flat products, where hot rolled and cold rolled stainless steel products were part of the scope of the PUC, did not consider producers of cold rolled producers as producers of stainless steel flat products as, such producers were either importing hot rolled flat products or were purchasing the same from the other domestic producers, it could lead to double counting of production and the value addition was less. At the same time, the Authority in the Cold Rolled Flat products case, which concluded its sunset review in January 2021, considered producers in unorganized sector (who were manufacturing from the stage of Hot rolled) as domestic producers. Thus, producer needs to be defined based on the product defined in the investigation. It is not important that all the producers need to be backward integrated.

13. The product under consideration is Aluminum foil having thickness of 80 microns or below. Since the part of the product is already attracting duty from China, the product already attracting duty has been excluded for the purpose of present investigation.

14. Different types of Aluminum foil are comparable in term of essential product characteristics including physical, production technology, manufacturing process, plant & equipment, functions & usage, etc. While different aluminum foils have different specific end applications, it is noted that all aluminum foil essentially performs the same function. Different categories/types are intended to meet different end-user requirements. The design of the aluminum foil differs as per the end -use requirements. However, the operations and machinery necessary for manufacturing are essentially the same for producing different kinds of aluminum foil. Different types of aluminum foils constitute one article and it would not be appropriate to exclude product types, if the domestic industry is manufacturing the like article to the product being imported into India.

15. The Authority considered the exclusion requests of the interested parties. The opposing interested parties have requested for the following exclusions and the Authority has examined all the exclusion request hereinunder:

    i. Battery Foil

    ii. Aluminium foil below 5.5 micron

    iii. House foil and SRC foil

    iv. Adhesive tapes

    v. Color coated Aluminium foil

i. Battery foils – As regards exclusion of battery foil, it is noted that the interested parties have claimed that battery foil is a specialised kind of foil and the domestic industry is unable to manufacture battery foil in the desired specification. However, the domestic industry has submitted documentary evidence to show production and sale of battery foil. Hindalco has submitted that its Battery foil has been tested & qualified against highest standards of foil performance. Hindalco is manufacturing Aluminium battery foils in India and actively partnering LiB manufacturing revolution for EVs / various other applications.

   A producer/exporter which has not exported the subject goods to India during the POI has sought exclusion of battery foils for Lithium Ion batteries used in manufacturing of batteries for electric vehicles. The producer agrees that presently there is no production of electric vehicle batteries in India. Consequently, there was no demand for such battery foils in India during POI. The domestic industry has submitted invoices of their sales of such battery foils to BHEL which was utilized in space applications having a higher technical threshold. This establishes the capability of the dometic industry to manufacture the product in case of demand. Therefore, the Authority does not to exclude such a product from the scope of PUC.

ii. Aluminium foil below 5.5 micron - As regards the exclusion of Aluminium foil below 5.5 microns, it is seen that Jindal India had started manufacturing Aluminium foil below 5.5 micron since 2019 and they sold their first commercial quantity in December 2019. Jindal has also submitted various invoices indicating the total commercial quantity sold during the period of investigation. Thus, the Authority has verified that Jindal India has produced and sold commercial quantity of Aluminium foil below 5.5 microns, during the period of investigation. As regards the fact that Hindalco and

Raviraj are not producing ULG below 5.5 micron, it is seen that it is not necessary that each and every constituents of the domestic industry should produce and supply each and every type of product. In fact, in a situation where a large number of producers are producing and selling a product which has a large number of product types, it is quite natural that every producer tends to focus on some product types and none of the producers could wish to produce entirety of the product range. Thus, where the domestic industry is already manufacturing a type of subject goods, that cannot be excluded from the scope of product under investigation. Accordingly, the request for exclusion of Aluminium foil below 5.5 micron cannot be accepted.

iii. SRC and House foil - As regards exclusion of SRC and House foil, it is noted that the product types are imported into India and the domestic industry is producing and supplying the like article to these product type. In fact, SRC and house foil is being manufactured by all three petitioning companies and they have submitted invoices to substantiate the same. The other interested parties have not given any legal or factual basis for justifying exclusion of these two types of foil from the product scope. The opposing interested parties have contended that since the domestic industry is not producing these types in sufficient quantities and are not focussed on producing these types, it should be excluded from the product scope. It is seen that the opposing interested parties have not submitted any evidence on record to show that the domestic industry is not capable of producing these types of subject goods and is not selling in the domestic market. It is seen that the domestic industry is capable of producing these types of aluminium foil and also supplying these types to the domestic market. Further, in any case, it is noted that this kind of product type is produced and supplied by more than one producer. In case possible demand supply gap does not justify exclusion of particular product type.

iv. Aluminium Foil Adhesive Tapes - Aluminium Foil Adhesive Tapes - As regards exclusion of adhesive tapes, the domestic industry has contented that they are capable of producing this type but not producing the same at present. It is noted that since adhesive tapes are not being produced by the domestic industry at present and there were no production of the same in the POI as well, the same can be excluded from the product scope. Post the issuance of disclosure statement, certain interested party have requested that the adhesive tape be appropriately redefined. Accordingly, Adhesive tape is defined as "Adhesive tape is Aluminium foil (< 80 mic) single side or both sides coated with adhesive for use as tape".

v. Color coated aluminium foil - As regards exclusion of color coated aluminium foil, the same was excluded in the previous investigation on the ground that the domestic industry is not manufacturing the same. Since the fact remains same for the present investigation also, color coated aluminium foil to be excluded from the product scope. Color coated Aluminum foil is defined as "aluminium foil with either PE(polyester) coating of PVDF(flourine Carbon), coating falling under CTH 7607". .

16. Several opposing interested parties have made claim that the product quality being supplied by the domestic industry is not good and the number of pinholes are very high as compared to the number of pinholes in the imported product. It is noted that this concern was raised during the previous anti dumping investigation against China also and the Authority held that there is no standard prescribed by BIS with regard to maximum pinholes in an aluminium foil. If the government has prescribed certain standards of a product and the product supplied by the domestic industry conform to such standards, the consumers cannot contend that the product type produced by the domestic industry does not meet the desired standards. It is also noted that nothing substantial has been provided by the interested parties to demonstrate difference in quality of the product supplied by the domestic industry and imported into India. In fact the domestic industry has submitted evidence to show that the rejection rate has declined significantly.

17. As regards the contention that the domestic industry does not have sufficient capacity to meet the demand of ULG in the country, the authority notes while there may be a demand supply gap in the Country, the concern raised by the domestic industry is about dumping of the product in the market. Foreign producers can certainly fill the gap in the Country by bringing the product at a fair price. Demand supply gap does not justify dumping of the product in the Country.

18. In view of the foregoing, para 7 and 15 the scope of product under consideration for the purpose of present investigation is as follows as read with para 7 and 15:

"Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)" excluding the following:

i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.

ii. Alu Alu Laminate

iii. Ultra Light Gauge Converted

iv. Aluminium Foil Composite

v. Aluminum foil for capacitors width below 500 mm

vi. Etched or formed Aluminium Foils

vii. Aluminium composite panel

viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil

ix. Aluminium Foil for beer bottle

x. Aluminium- Manganese- Silicon based and/ or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad

xi. Adhesive tapes

xii. Color coated aluminium foil

19. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. The subject product produced by the domestic industry are comparable to the Product under consideration in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The Authority holds that the subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the Product under consideration, in accordance with the AD Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the Domestic Industry

20. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:

i. The Application has been filed by M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd. & M/s Jindal India Ltd. Applicants have neither imported subject goods from subject countries nor are related to any producer or exporter of subject goods. The applicants thus constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and that the application satisfies the requirement of standing under Rule 5(3) of the Rules.

ii. A number of other domestic producers have filed letter supporting the application filed. The applicants, along with supporters account for 82% of share of the total domestic production.

iii. The supporters have, post oral hearing, filed a letter declaring their production, sales, capacity and capacity utilization. That itself is sufficient to understand the intention of the supporters. They have disclosed all critical information before the Authority. Disclosure of such information will validate the standing and injury claimed by the domestic industry.

iv. The previous anti-dumping investigation was filed with regard to the same product scope and the applicants of the present case were applicants in the previous investigation as well. The Authority treated them as an eligible domestic industry under Rule 2 (b).

v. The allegation that Raviraj and Jindal are merely downgauging the product thus they are merely processors and cannot be called as producers of the subject goods, cannot be accepted. The product can be produced from foil stock/FRP (ranges from 80-300 micron). While Raviraj and Jindal produces subject goods from the stage of aluminium stock, Hindalco is producing foil from its own ingot. However, both are the producers of the subject goods.

vi. Aluminium foil and foil stock/FRP are two distinct product and it gets established from the fact that there is a separate anti dumping investigation ongoing considering the product scope as FRP. The Authority has considered two different product scope in two different investigation. The Authority in past, during the safeguard investigation had considered FRP and foil under one investigation, but as two different products, and analysed every information separately for Aluminium foil and FRP.

vii. The European Commission had also conducted investigation on imports of certain aluminium foil originating in Armenia, Brazil and the People's Republic of China. The production process of subject goods was recognized as follows "Aluminium foil is manufactured by rolling aluminium ingots or foil-stock to the desired thickness".

viii. The WTO Panel report in the matter of Farmed Salmon held that "any enterprise that produced any form of the like product should be considered, at least in the first instance, a "producer" of the like product, and as such, part of the domestic industry." The Authority had considered in the case of SDH transmission that if substantial transformation is made to raw material to be come a final product, then such activity is considered as "production". The producers, namely, Raviraj and Jindal, are carrying out activities which result, in a substantial transformation of the inputs, i.e., Aluminium Foil Stock into a distinct and different final product, i.e., Aluminium Foil.

ix. It is entirely immaterial whether the producer is backward integrated. For instance, in the matter of PTA, while one producer had its own raw material, one was purchasing. That does not mean that the company buying raw material is not producing PTA, as it is not backward integrated.

x. The reference made to copper pipes and tubes case is incorrect. The said case also excludes producers who are importing mother tube and drawing the pipes and tubes and in this case mother tube is also the product under consideration.

xi. Facts of the previous anti-dumping investigation of Aluminium Foil originating in China PR and present investigation is not the same as regards eligibility of Raviraj. Raviraj, in the present case has not imported the subject goods from the subject countries. Thus, it qualifies to be the domestic industry in the present investigation.

xii. The careful reading of the finding of International Trade Commission, USA in Aluminium Foil from China, Investigation No 701-TA-570 and 731-TA-1346 and EU Regulation 2015/1081 of 3 July 2015 suggests that all kinds of producers/ whether roller or not, manufacturing any type of aluminum foil were treated as domestic producers of the subject goods.

xiii. The opposing interested parties had a chance to oppose such determination after the final findings were issued in the 2017 case but none of the partis raised this issue during the oral hearing or before the CESTAT. The determination of the Authority in the previous case, and rightly so has attained finality.

D.2 <u>Submissions made by other interested parties</u>

21. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to scope and standing of the domestic industry:

i. M/s Hindalco is the only integrated producer of the aluminium foil stock and foils, and the Raviraj Foils Ltd., Jindal India Ltd. and other applicant producers are mere converters or processors of imported foil stocks into foils by downgauging the foil stock and they are not engaged in the production of subject goods in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

ii. A producer who is not engaged in manufacturing of 'like article' and merely engaged in ancillary work with minor value additions, does not constitute a domestic industry. Reliance is placed on an application filed by the domestic industry in an investigation concerning copper pipes and tubes basing which the CVD investigation has been initiated on 25.9.2020 vide File No.04/10/2020-DGTR.

iii. Conversion of final product from penultimate stage with no significant value addition does not constitute manufacturing. The alleged dumped article and the input material at the penultimate stage in such cases both fall within the scope of PUC.

iv. The Authority found that Raviraj Foils benefitted from the dumping and disqualified them from being a constituent of the domestic industry as they imported the subject goods from China PR and sold them in the domestic market without giving any plausible reasons for importing the product when the company was engaged in the production of the same.

v. Raviraj and Jindal India are importing foil stock and therefore cannot claim the status of domestic industry. Moreover, after importing FRP from subject countries, claiming unfair competition from imports of PUC is inappropriate.

vi. The Authority may examine the standing of the domestic industry as it has been noted in an AD investigation of Aluminium Foil originating in China PR under Para 46 of Final Findings No. 14/06/2015-DGAD (Mar. 10, 2017) that Raviraj Foils is not an appropriate constituent of the domestic industry as volume of imports by the company increased after POI.

vii. Authority erroneously continued the AD investigation as Jindal is only a converter and not a producer. Authority ought to review the continuation of imposed duty in the 2017 case and withdraw the same *ab initio* as the duties have been imposed based on a wrong determination of domestic industry.

viii. In anti dumping investigation concerning import of Hot-rolled Flat products of stainless steel from China PR, it was stated that at least a 35% value addition to an end product is required to constitute a separate product. The essential difference between Aluminium Foil Stock and Foil is only of thickness, which amounts to an average value addition of not more than 26% which is not significant to qualify as a separate product.

ix. The supporters have not complied with the Trade Notice No. 13/2018 dated 27.09.2018, where the Authority provided two annexes to be filled by the supporters. None of them have followed that and have simply filed one page letter in support. Absence of such information affects the product scope, standing and material injury to the domestic industry.

x. No supporting producer's questionnaire response has been filed, hence, data pertaining to other Indian producers cannot be considered and the investigation should be terminated on this sole count.

D.3 Examination by the Authority

22. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".*

23. The application was filed by M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd. and M/s Jindal India Ltd. and was supported by M/s Greenberry Foils India Ltd, M/s PG Foils Ltd., M/s Alutech Packaging Pvt Ltd, M/s R S Foils Pvt Ltd and M/s Shree Venkateshwara Electrocast. Further, there are a few other producers of the subject goods, apart from the applicants and supporters.

24. As per the Anti-dumping Rules, the Authority is required to examine whether (a) domestic producers expressly supporting the application account for more than twenty five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and (b) the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. The applicants constitute 50.2% of the total domestic production and with supporters; applicants constitute 82.83% of the total Indian production.

25. The Authority considers that none of the applicants needs to be excluded from the scope of domestic industry since neither they have imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation, nor are they related to any exporter or importer of the subject goods. The fact that Ravi Raj imported certain quantities of the subject goods in the previous anti-dumping investigation has no

relevance in the present case because as per the facts established in the present case, Raviraj has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation.

26. As regards the contention that since Raviraj and Jindal are mere processors of the subject goods and they manufacture aluminium foil by merely downgauging Aluminium foil of higher micron, it is noted that as observed above, subject goods can be manufactured either through Ingot or through flat rolled product (FRP). A backwardly integrated producer manufactures the subject goods from the stage of Ingot, like Hindalco is one such producer. Whereas subject goods can be manufactured from foil stock/FRP as well and Jindal and Raviraj manufactures the subject goods from foil stock. Foil stock is a distinct product from Aluminium foil and this gets established by the fact that Authority, at present, is undertaking a separate anti-dumping investigation concerning dumped imports of foil stock. Also, in the previous anti dumping investigation, where the scope of the subject goods was similar to the present investigation and the same applicant companies filed an anti dumping application. The Authority already treated the applicant companies as eligible domestic producers of the subject goods. Raviraj was excluded from the scope of the previous investigation on account that they imported certain quantities of the subject goods from the subject country during the period of investigation and that is not the case in the present investigation, thus there is no ground to exclude Raviraj from the scope of domestic industry or to treat Jindal and Raviraj as ineligible domestic producers.

27. As regards the contention that the supporters have not filed the information in compliance with the Trade notice no 13/2018 dated 27.09.2018, it is seen that all the supporters, post oral hearing filed information with regard to their production, sales, capacity and capacity utilisation. It is noted in this regard that the applicant companies, even without any support, account for major proportion.

28. The Authority after examining the information on record and submissions made by the interested parties has determined that M/s Hindalco, M/s Jindal India and M/s Raviraj Foil constitute "domestic industry" within the meaning of Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

E. ISSUES OF CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by the domestic industry

29. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:

i. The questionnaire responses filed by the parties are grossly deficient and violates the norms of confidentiality. The opposing interested parties, i.e., the exporter, importer and users completely ignored the requirements set up for them in the trade notice 10/2018 dated 7th September 2018, and several users like Huhtamaki, Essel Propack, Paharpur 3P, Uflex etc. have not filled any details in any of the costing format, information regarding PUC, sales, cost, purchases, imports etc.

ii. The applicants are severely handicapped in advancing its arguments in view of excessive confidentiality that has been resorted by the responding exporters/producers. The non-confidential version of the response filed by the opposing interested parties do not permit a reasonable understanding of the substance of the information filed on confidential basis.

iii. The trade notice cannot be selectively binding of the Domestic industry alone, but instead it is binding on all the parties irrespective of type of response being filed by them. Moreover, the domestic industry has given reasoning for not providing certain price information on actual basis and has duly provided non-confidential summary of the same to enable the other interested parties to understand the data.

iv. Domestic industry has declared all the necessary information and has claimed only sensitive information as confidential. The application was accompanied with confidentiality summary which explained the reason for claiming certain information confidential.

v. NIP is one of the most sensitive information. Also, the issue of non-disclosure of NIP has caused serious prejudice to the interested parties have already been settled by the CESTAT in its recent order in the matter of AIA Engineering vs Union of India.

vi. The DGTR had given guidelines to the parties to file and share non confidential version of submissions with the other parties through email to serve the purpose of "public file". The interested parties ignored this guideline and failed to adhere to the stipulated time limit. It was only

after the sending repeated mails and getting two extensions that the interested party finally shared the questionnaire responses.

E.2 Submissions made by other interested parties

30. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality:

i. The domestic industry comprising of the 3 producers, Raviraj Foils, Hindalco Industries and Jindal India has not complied with the specific requirement in the Trade Notice No. 10/2018 dated 07.09.2018 and the reasoning given by the domestic industry that the reporting of actual figures as required under Trade Notice will lead to disclosure of business sensitive information to the domestic producers inter-se and to other interested parties questions the rationale of the Trade Notice itself.

ii. The domestic industry has also failed to provide non-confidential summaries that permit a reasonable understanding of the substance in the Petition, as required under *Rule 7 of the AD Rules and Article 6.5 of the WTO ADA.*

iii. The methodology for arriving at the final non-injurious price for the domestic industry, compared with the landed value of imports to arrive at the injury margin is not disclosed, leaving ambiguities on how the final non-injurious price was arrived at.

iv. The Authority may direct the domestic industry to provide information along with a non-confidential summary of the same as the information filed already is grossly deficient and its non-confidential version violates the requirements under Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 1/2013 (Dec. 09, 2013) issued by DG.

v. The domestic Industry has also failed to comply with the confidentiality requirements. Despite request transaction wise import data has not been provided. The Authority should take note of the CESTAT Decision in Exotic Décor Pvt. Ltd. vs Designated Authority. The production and sales volume of individual petitioners as well as other Indian producers have been kept confidential, further, non-confidential disclosure of performance indicators has not been made. The Authority should properly examine these confidentiality claims as per Hon'ble Supreme Court decision in Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority 2003 (158) E.L.T. 673 (S.C.).

vi. No confidential disclosure has been made on the performance parameters of the domestic industry and the same should be disclosed as per Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority (2003 (158) E.L.T. 673 (SC)) and Rule 7 of AD Rules.

vii. The domestic industry has no locus to raise the claim regarding excessive confidentiality of other interested parties, when its own confidentiality claims are excessive in nature.

E.3 Examination by the Authority

31. Various submissions have been made by the applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined below.

32. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"Confidential Information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

33. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties through circulation of email.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Submission made by the Domestic Industry

34. The following miscellaneous submissions have been made by domestic industry:

i. Imposition of duty will not impact the demand supply gap. In fact the domestic industry has recently expanded capacity and there will other producers who will make expansion. The domestic capacity is sufficient to meet the demand of the country, thus there is no question of demand supply gap.

ii. The argument that no ADD should be recommended on PUC as domestic suppliers would increase the foil price disproportionately, lacks reasoning and logic. The industry was incurring losses earlier because of unfair imports. Imposition of duty is likely to lead to some increase in selling price. It has not been established how the price increase has not followed the movement of input costs.

iii. The investigation has been initiated for price correction and for providing a level playing field. The importers/users have unduly benefited themselves from dumped imports for a long period. The users should demonstrate how imposition of duty is going to affect its prices and to what to extent. Without providing any reasoning or evidence, such claims should be rejected by the Authority. The users have not demonstrated how the ADD will impact them.

iv. The Annual report of Hindalco in not the true representative performance of the company in aluminum foil segment. The Chairman of the company speaks for the company as a whole. Similarly, the figures mentioned in the annual report represents company as a whole. Hindalco is a multi-product company, thus Hindalco's annual report cannot be relied on the map the performance of the company. The companies have submitted their data before the Authority and it will be seen that the domestic industry has suffered material injury.

v. The contention of the other interested parties that 'the move of the Indian companies including Hindalco, increasing the aluminium prices in line with international price movements is not justified' is not a justification for not taking action against dumped imports.

vi. There is no verifiable evidence put on record to show that the manufacturing process and technology of Hindalco and subject countries producers are different. Also, it is a well settled principle of law that the domestic industry needs to be seen as it exists. The Hon'ble Tribunal in the matter of Nippon Zeon Co. Ltd *versus* Designated Authority held the same.

vii. Change in technology does not render the products as different as has been considered by the Authority in past several cases such Cold Rolled Flat products.

viii. The other interested parties are free to analyze import data and submit it before the authority. The Authority will in any case call its own imports and make due analysis in the findings.

ix. Jindal has three manufacturing plants and one of them caught fire in September 2017 the plant was shut for a period from September to December 2017. During that period all the other plants were completely operational.

x. Unfortunately, the domestic industry never got an opportunity to capture the market share emptied by Chinese imports. It was completely taken over by present set of subject countries. Detailed submission made in written submission is referred to and relied upon.

F.2 Submissions made by other interested parties

35. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

i. The Authority has prima facie evidence regarding dumping and injury to domestic industry as per Para 15 of the Initiation Notification. However, the same is not 'sufficient evidence' in accordance with Rule 5(3) of the AD Rules. Moreover, the authority did not determine 'accuracy' and 'adequacy' of information as per Article 5.3, Article 3.5 of AD Agreement and does not fulfil standards laid down by the WTO Panel in Mexico-Pipes and Tubes, US-Softwood Lumber from Canada, Guatemala – Cement II.

ii. Aluminium Foil is an eco-friendly alternative to plastic bags and imposition of AD Duty will further worsen the demand-supply gap for the subject goods.

iii. No ADD should be recommended on the PUC as domestic suppliers would increase the foil price disproportionately, impacting the users heavily. Last ADD imposed on China PR for foils between 5.5 micron to 80 microns resulted in domestic suppliers increasing price from Rs. 35 to Rs. 40 per kg, which was a substantial rise and users had to bear duties which such product was not available at adequate quantity and desired quality.

iv. Domestic industry is trying to block all competitive sources of procurement for user industries so that they can increase product costing and monopolize the market which would cause injury to flexible packaging industry in India.

v. The information provided by the domestic industry with respect to sorting of transaction wise imports data clarifying how the exclusion has been considered is not at all sufficient.

vi. The contentions against Loften is not at all true and should be rejected by the Authority. It is contended that Loften group was founded in August 2000, in China and now they have expanded to Thailand. This is wrong. Loften Thailand has no ownership held by any Chinese entity and that was the case applicable even in the POI which alone is relevant.

vii. As per the domestic industry FRP and Aluminium foil are two different products because there is an ongoing investigation on FRP. This means that Hindalco is seeking protection on both, input material and finished goods.

viii. The global caster technology is efficient and widely followed whereas Hindalco uses Hot Milling technology. Hindalco's incompetence cannot be used to burden the users with additional duties. A product-wise production, total number of hours used and available should be examined.

ix. Authority must determine other factors as per Para (v) of Annexure II to AD Rules. One of the units of Jindal Ltd. was shut down for a considerable period due to fire, which led to considerable loss and this information has been suppressed.

x. China's market share of 90% in the base year has come down to 50% and this gap has been filled-in by domestic industry. Further, petitioner's high price despite decline in metal prices indicates their dominant position.

xi. Hindalco does not have the raw material i.e. foil stock to supply it to the downstream industries and when they themselves are importing due to capacity issue. There should be no restriction on imports for users also.

xii. An interested party Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd), which is a producer/exporter of subject goods has claimed that they have undergone a name change and is now referred as Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd. They have also attached the requisite approval they have received for the same from the Chinese Authorities.

F.3 Examination by the Authority

36. The Authority has noted all the miscellaneous submissions by all other interested parties and has examined all aspects of the submissions.

37. With regard to the submissions made by interested parties that the domestic industry is trying to block all the competitive source of procurement and imposition of duty will lead to monopoly of the domestic industry, it is noted that the purpose of the anti-dumping law is to create a level playing field for production and consumption of the goods in the Indian market by protecting domestic production of the goods against unfair trade practices of producers from other countries. It is also noted that existence and sustainability of a domestic production base is important for general economic development which has to be protected against injurious dumping. In any case, imposition of anti-dumping duties does not create a situation of monopoly as the imports from other suppliers including those from the subject countries are not prevented from competing in the Indian market. However, the Authority has examined the cost and price behaviour of the domestic producers in this finding in an objective manner to arrive at the conclusion on injury and causal link to address the concerns of the consumer industry.

38. With regard to the contention that imposition of duty will lead to disproportionate price increase of the subject goods, it is noted that the anti-dumping investigation has been initiated on the ground that the domestic industry is selling the subject goods below the cost of sale due to presence of dumped imports in the market, thus, in case duty is levied, it will only provide a fair priced market to the domestic industry where they can sell the subject good at least above the cost of sale.

39. With regard to unreliable data presented by the domestic industry, it is noted that none of the other interested parties have submitted analysed import data to show discrepancy in the import data filed by the domestic industry. However, the Authority has called for the import data and has analysed imports independently.

40. The authority accepts to change name of the of Shanghai *Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd*, to *Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd* based on request received.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Normal Value

41. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.2 Submissions made the Domestic Industry

42. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to normal value:

i. The responding exporters must establish that the elements of costs referred for determination of normal value are appropriately reflected in the records kept by such exporters or producer under investigation. In the event of not appropriate match of such records, the Authority shall reject the claim of individual dumping margin.

ii. The Authority should follow para 1 to 6 of Annexure I to the rules for determination of normal value only if the responding Chinese are able to demonstrate that their costs and prices can be adopted. The Authority should follow para 7 of Annexure I to the rules for determination of normal value for Chinese producers.

iii. The Domestic industry has not been able to gather information on prices of subject goods in market economy third country and thus even constructed value in such third market economy was not possible. Further, the domestic industry does not have any information on export of subject goods from any market economy third country to other country.

iv. Normal value has been determined on the basis of best estimates of cost of production of subject goods in the subject countries considering cost of production in India along with associated selling, general and administrative expenses, and reasonable profit.

v. The producer in Thailand has benefited from Chinese raw material, thus, domestic selling prices or cost of production in these countries cannot be considered for determination of normal value.

vi. These prices does not represent comparable price in the ordinary course of trade for the like article. The Designated Authority is not bound to adopt the cost of production of the exporter without satisfaction whether the same reasonably reflect the cost associated with production and sale of the product under consideration.

vii. The reference has been made to the findings issued in "Rubber Chemicals viz. MBT CBS TDQ PVI and TMT imports from China and PX 13 6PPD from China and Korea RP", wherein, the authority was of the opinion that since Korean producers were exporting raw material from China at unfair prices, their cost records did not reasonably reflect cost of production and hence liable to be rejected.

viii. The approach adopted by the Authority was upheld by the Hon'ble Tribunal [Kumho Petrochemicals Co. Ltd. Vs. Designated Authority, reported in 2015 (322) E.L.T. 514 (Tri. - Del.)], and was subsequently affirmed by the Hon'ble Supreme Court as well [Kumho Petrochemicals Co. Ltd. v. Designated Authority - 2016 (342) E.L.T. A48 (S.C.)].

ix. The other interested parties do not want the authority to use higher ratio in the determination of the constructed normal value. The applicants content that the Authority may consider the practice being followed by the DGTR in determining the constructed normal value. The applicants do not have any further comments on this.

x. The sole obligation on the Designated Authority is to determine individual dumping margin and not individual normal value. This has been confirmed by WTO in US-Japan Hot Rolled products and also by the Indian Supreme Court in the matter relating to certain catalysts and thereafter in the matter relating to PTA.

xi. Provisions relating to determination of SGA and profit under Annexure-I clearly provide that SGA and profit can be determined on the basis of information relating to other producer from the same country in certain situations. This establishes that the constructed normal value is not always solely based on the data pertaining to the producer concerned. Such being the case, it cannot be said that the normal value can only be determined on the basis of data of the company concerned.

xii. Cost of production of the Thailand producers cost of production is likely to not be representative of the cost of the subject goods in normal market scenario. The import price of FRP which is a key raw material is significantly cheap thus the cot will not reasonable reflect the cost associated with the products in terms of AD Rules. In such a situation, the Authority may, upon verification, reject the cost of raw material for the determination of normal value as the raw material prices are distorted.

xiii. None of the exporter/producer have denied the fact of dumping. Dumping margin claimed for the subject countries is on the facts available. The other interested parties may provide accurate and reliable information in this regard.

xiv. The Authority may kindly check the sufficiency of information provided by the exporters and completion of value chain while determining the normal value and export price for the responding exporters. In the event of incomplete value chain and incomplete information by the exporters/producers, the Authority is requested to reject the information provided by them and use the facts available. The dumping margin calculated by the domestic industry shows that there is significant dumping of the subject goods.

G.3 Submissions made by other interested parties

43. The following submissions were made by other interested parties with regard to normal value:

i. The Normal Value calculation method submitted by the domestic industry is legally untenable. Reference was made to a recent sunset review concerning *"Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium Commercial vehicles"* originating in or exported from China PR.

ii. The ratio of profit for the main aluminium rolled producers is at 5% or lower in 2019 and 2020 and the authority should not use a higher ratio in the determination of the constructed normal value.

iii. All the related entities in the Dingsheng Group, both from China PR and Thailand, namely, producers/exporters who are involved in export of the product under consideration have filed a response. The Respondents have also provided sufficient details of export price and dumping margin in their questionnaire response. The companies in the Dingsheng Group identified by the domestic industry on the basis of USITC investigation concerned Aluminium Foil of less than 5.5 micron, further, the value chain of these products to USA are not identical to that of India.

iv. Related entities that are not producing aluminium foil in China PR but other aluminium products are not required to participate in the anti-dumping investigation concerning aluminium foil.

v. The domestic industry's argument to reject cost of production of producers/exporter in Thailand on the ground that certain raw materials are being sourced from China PR is contrary to *Para. 1 of Annexure 1 of the Anti-Dumping Rules.*

vi. The domestic industry is considered as a producer of the PUC when it is producing subject product from foil stock, similarly producers/exporters from subject countries should also be treated as producers/exporters and normal value should be determined based on the prices or costs as recorded in the books of cooperating exporters.

vii. India has no legal basis under the agreements of the WTO to calculate normal value in anti-dumping investigation of products from China using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the GATT.

viii. While constructing the normal value the Authority accepted the petitioners' computation based on the last option without exhausting the first two options of *Para 7 of Annexure I of the AD Rules* because the relevant information is not available with the petitioners.

ix. Authority may not use surrogate country methodology in calculating normal value, regardless of whether China is treated as a market economy due to the principle of *pacta sunt servanda*, Section 15 of China's Accession Protocol to WTO and Appellate Body Report on EC- Fasteners initiated by China PR.

x. China should not be treated as a non-market economy as per China's accession protocol to WTO, the same was also confirmed by the WTO appellate body in "EC-Fasteners". US and EU in their respective bilateral agreement with China had also noted about the expiry of non-market economy status after 15 years after China enters WTO.

xi. Authority may determine normal value on the basis of normal value of producers and exporters in the countries of exports and reject the contention of determining normal value based on India's cost of production as the petitioners themselves import from subject countries.

xii. The Normal value estimated by the domestic industry is inflated and exaggerated and this is to disregard appropriate prices of raw materials and international pricing standards. The domestic industry failed to take in to consideration LME prices for Aluminium ingots, which is a globally accepted standard.

xiii. Loften did not purchase any Raw material from its related parties. All purchases of raw materials have been made from unrelated parties. Only about 60% exports have been to India and it cannot be said that its manufacturing only for India.

xiv. The Authority was requested to seek from the domestic industry data of their export prices in POI which can be compared to the domestic process offered by them in the same period to Indian buyers as they have been exporting at a much lower price.

xv. The dumping margin estimates of the domestic industry are inflated by approx. 10% and dumping margin of 30 – 45% claimed in the petition for China PR and Thailand is exaggerated.

xvi. The determination of dumping should solely be on data supplied by the cooperating producers, as domestic industry is taking advantage by (a) importing sheet coils above 200 microns and only rolling to produce PUC; (b) blocking the import of foil by de-linking it to metal (raw material) exchange price by taking recourse to anti-dumping duties.

xvii. Individual margin should be determined for the exporter based on the response filed by them.

xviii. The calculation of dumping margin is misleading as petitioner has calculated a too high and unrealistic dumping margin. The normal offer from suppliers comes to USD2550 which has been stated to be USD3000-4000, which is simply not possible.

G.4 Examination by the Authority

44. The Authority had sent questionnaire to the know producer/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in the investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

i. M/s Loften (Thailand) Co. Ltd, Thailand

ii. M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint Stock Co. Ltd., China PR

iii. M/s Dingsheng Aluminium Industries (Hongkong) Trading Co. Ltd.

iv. M/s Hangzhou Dingsheng Import and Export Co. Ltd., China PR

v. M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co. Ltd., China PR

vi. M/s Shanghai Shenhuo Aluminium Foils Co. Ltd.

vii. M/s Kunshan Aluminium Co M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co. Ltd. China PR

viii. M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co. (HK) Ltd

ix. M/s Shangqiu Yangguang Aluminium Materials Co., Ltd.

x. M/s Varopakorn Public Co., Ltd

xi. M/s Dingheng New Materials Co., Ltd, Thailand

xii. M/s Thai Ding Li New Materials Co., Ltd, Thailand

Market Economy status for Chinese producers

45. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that my conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

46. It is noted that while, the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since neither of the responding producer and the exporter from China PR have submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provision of para 7 of Annexure I of the Rules.

47. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from China PR have been determined as below.

I. <u>China PR</u>

a. <u>Determination of normal value for China PR</u>

48. As none of the producers from China PR has filed the supplementary questionnaire response for market economy treatment, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on "any other reasonable basis".

49. The Authority has therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and additional of reasonable profits. `The constricted normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

b. Determination of export price

i. **M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.**

50. M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods directly to unrelated customers in India and also through its related trading company M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited. M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd and M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format.

51. It is noted that during the POI, M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. has exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India and *** MT through M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited to unrelated customers in India. The companies have claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, sales commission, bank charges and credit cost which have been allowed by the Authority. Further, it is noted that M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited has exported the subject goods to India at a loss. Accordingly, loss incurred by M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited has been adjusted by the Authority while calculating the ex-factory export price. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

ii. M/s Shanghai Shenhuo Aluminium Foils Co. Ltd. (Now Known as Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd w.e.f. 19.05.2021)

52. M/s Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods directly to unrelated customers in India. It is noted that the company has exported the subject goods to India manufactured by itself and also purchased from a related trader M/s Shangqiu Yangguang Aluminium Materials Co., Ltd who in turn has purchased the subject goods from an unrelated Chinese producer. It is also noted that some minor quantities have also been exported by M/s Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd. purchased from unrelated producers in China PR. The unrelated Chinese producers whose goods have been exported to India by M/s Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd. have not filed exporter questionnaire response. Therefore, Authority has taken only those export transactions to India which are manufactured by M/s Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd. for determining the ex-factory export price and landed value. M/s Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd and M/s Shangqiu Yangguang Aluminium Materials Co., Ltd have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format.

53. It is noted that during the POI, M/s Shanghai Shenhuo Aluminium foil Co., Ltd. has produced and exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India. The responding producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses and credit cost which have been allowed by the Authority. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

iii. **M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd & M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co Ltd**

54. M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd ("Jiangsu Dingsheng") and M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co Ltd ("Hangzhou Five Star") are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. Jiangsu Dingsheng and Hangzhou Five Star have exported the subject goods directly to India and also through related trading companies, M/s Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd ("Dingsheng I&E") and M/s Dingsheng Aluminium Industries (Hongkong) Trading Co., Limited ("Dingsheng HK"). All the 4 companies, namely, Jiangsu Dingsheng, Hangzhou Five Star, Dingsheng I&E and Dingsheng HK have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format.

55. It is noted that during the POI, M/s Jiangsu Dingsheng has produced and exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India and *** MT has been exported to India through related exporters. It is further noted that during the POI, M/s Hangzhou Five Star has produced and exported *** MT to India through related exporters. All these exports were made to unrelated customers in India. The responding producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, sales commission, bank charges and credit cost which have been allowed by the Authority. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

iv. M/s Kunshan Aluminium Co. Ltd., China PR

56. M/s Kunshan Aluminium Co.Ltd is producer of the subject goods. During the POI M/s Kunshan has exported *** MT subject goods directly to unrelated customer in India. The producer/ exporter has claimed the adjustment on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost which have been allowed by the Authority. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

v. M/s Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co., Ltd.

57. M/s Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co., Ltd., is the producer and exporter of subject goods. The company has exported subject goods directly as well as through its related company namely Peixian Fengyuan Import and Export Trade Co., Ltd., China PR. During POI, Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co., Ltd., has directly exported *** MT of PUC to India, out of which Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co., Ltd., has sourced *** MT and *** MT from two different unrelated producers/suppliers namely Shanghai Sitan Aluminum Co., Ltd., and Longxi Northwest Aluminum Industry Co., Ltd., China PR respectively and rest was produced by itself. Since Shanghai Sitan Aluminum Co., Ltd., and Longxi Northwest Aluminum Industry Co., Ltd., China PR, have not filed their exporters questionnaire response with the DGTR, the same quantity has not been considered to workout ex-factory export price, which constitute only *** % of total exports to India by Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co., Ltd.

58. Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co., Ltd., has also exported *** MT of PUC to India indirectly through one related trader namely Peixian Fengyuan Import and Export Trade Co., Ltd., China PR, out of which Peixian Fengyuan Import and Export Trade Co., Ltd., China PR has directly exported *** MT of PUC to India and *** MT of PUC to India indirectly through another unrelated trader namely Trade Partners Pte, Singapore. Since Trade Partners Pte, Singapore has not filed its exporter's questionnaire response with the DGTR. Hence the same quantity has not been considered to workout ex-factory export price, which constitute only *** % of total exports to India by Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co., Ltd. It has been observed that the related trader has incurred a loss of ***% and reported the same in relevant appendices. While arriving at ex-factory export price, impact of such loss has been duly considered.

59. Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co., Ltd., China PR, has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and any other expenses. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co., Ltd., has been determined and same is shown in Dumping Margin table below.

II. **Thailand**

i. **M/s. Varopakorn Public Company Limited, Thailand.**

Normal Value

60. Varopakorn Public Company Limited, has provided information pertaining to their sales and cost of production in the exporter's questionnaire. It is noted from the response that during the POI the company has sold *** MT of PUC in domestic market and exported *** MT of to India. Since, domestic sales are less than 5 % of export to India, it does not satisfy sufficiency test for determination of normal value. There is no export of PUC. Therefore the normal value is determined in terms of Section 9A(c)(ii)(b). Accordingly, normal value determined for M/s. Varopakorn Public Company Limited (Thailand) is mentioned in the dumping margin table below.

Export price

61. It is noted that the producer has exported *** MT of subject goods directly to unrelated party in India during POI. The exporter/producer has claimed adjustment towards Ocean Freight, Insurance, Port handling and other charges, Inland freight, Credit cost, banking charges and packaging cost to arrive at ex-factory export price. Thus the dumping margin for export price has been worked out as mentioned in the dumping margin table.

ii. M/s Loften (Thailand) Co., Ltd

Normal Value

62. M/s Loften (Thailand) Co., Ltd, has provided information in the prescribed exporter's questionnaire format. The PUC in the present case has a large number of grades nomenclature as PCNs. It is noted from the response that during the POI the company has not sold any quantity of subject goods in domestic market. The next available option for determination on normal value in terms of the prescribed hierarchy is third country sales. However, given the factual matrix where the product has several grades it is not feasible to identify single country which could be appropriate for all PCNs. Keeping in view the aforesaid challenge and limited data provided by the exporter the normal value was determined in terms of Section 9A(c)(ii)(b) which is as under:

"(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6)."

Accordingly, normal value determined for M/s. Loften (Thailand) Co. Ltd (Thailand) is mentioned in the dumping margin table below.

Export price

63. It is noted that during the POI, the producer has exported *** MT of subject goods directly to unrelated party in India. The exporter/producer has claimed adjustment towards Ocean Freight, Insurance, Port handling and other charges, Inland freight, Credit cost, banking charges and packaging cost to arrive at ex-factory export price. Thus the dumping margin for export price has been worked out as mentioned in the dumping margin table.

iii. M/s. Dingheng New Materials Co., Ltd, Thailand and M/s Thai Ding Li New Materials Co., Ltd, Thailand

Normal Value

64. M/s Thai Ding Li New Materials Co., Ltd. ("TDL") and Dingheng New Materials Co., Ltd. ("Dingheng Thailand") are related producers of subject goods in Thailand. Both the companies have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format. It is noted from the response that TDL has sold very small quantity (*** MT) of the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market. The sales made by TDL in the domestic market are less than 1 % of total exports to India and accordingly do not satisfy the sufficiency test for determination of normal value. Therefore, Authority has not considered these domestic sales for determination of normal value.

65. It is noted from the response that Dingheng Thailand has not made any sales of subject goods in the domestic market during the POI.

66. It is also noted that both the companies have purchased the raw material (Aluminum Coil/Foil Stock) from their related company in China PR. Accordingly, the Authority has determined normal value for both the companies based on (a) LME prices of raw material (b) conversion cost and SGA of respective producer and (c) reasonable profit margin. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

67. During the POI, TDL has exported the subject goods to unrelated customers in India directly and also through Dingheng Thailand. TDL has exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India and *** MT through Dingheng Thailand.

Dingheng Thailand has exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India.

68. TDL and Dingheng Thailand have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, quality discount, misc expenses, credit cost and bank charges. The ex-factory export price as determined for both the companies is given in the dumping margin table.

Determination of normal value for all the non-cooperative producers from China and Thailand

69. Normal Value for non-cooperative producers/exporters from China and Thailand has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below:

Determination of export price for all the non-cooperative producers from China and Thailand

70. The export price for other non-cooperative producers / exporters from China and Thailand have been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The export price so determined is mentioned in the dumping margin table below:

III. Indonesia

Determination of normal value for Indonesia

71. The Authority notes that none of the producers/exporters from Indonesia has participated in the present investigation. For the non-cooperative producers/exporters, the Authority has determined normal value at ex-factory level on the basis of facts available.

Determination of export price for Indonesia

72. In the absence of cooperation by any producer of Indonesia, the Authority has determined the net export price based on the transaction wise DGCI&S import data after making appropriate adjustment on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses and inland freight charges to arrive at net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level at exports from Indonesia has been calculated.

IV. Malaysia

Determination of normal value for Malaysia

73. The Authority notes that none of the producers/exporters from Malaysia has participated in the present investigation. For the non-cooperative producers/exporters, the Authority has determined normal value at ex-factory level on the basis of facts available.

Determination of export price for Malaysia

74. In the absence of cooperation by any producer of Malaysia, the Authority has determined the net export price based on the transaction wise DGCI&S import data after making appropriate adjustment on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses and inland freight charges to arrive at net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level at exports from Malaysia has been calculated.

G.1 Dumping Margin

75. Considering the normal values and export prices determined as above, the dumping margin for producers/exporters from the subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Dumping Margin Table

Sl. No.	Country	Producer	NEP USD/MT	CNV USD/MT	DM	DM%	Range
1	China	M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd	***	***	***	***	20-30
2	China	M/s Shanghai Shenhuo Aluminium Foils Co. Ltd. (Now Known as Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd w.e.f. 19.05.2021)	***	***	***	***	20-30
3	China	M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
4	China	M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30

5	China	M/s Jiangsu Fengyuan Aluminium Mstar Technology Co., Ltd.,	***	***	***	***	20-30
6	China	M/s Kunshan Aluminium Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
7	China	All Others	***	***	***	***	40-50
8	Thailand	Thai Ding Li New Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	0-10
9	Thailand	Dingheng New Materials Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
10	Thailand	M/s Loften (Thailand) Co. Ltd	***	***	***	***	0-10
11	Thailand	M/s Varopakorn Public Company Limited	***	***	***	***	0-10
12	Thailand	All Others	***	***	***	***	10-20
13	Malaysia	All Others	***	***	***	***	30-40
14	Indonesia	All Others	***	***	***	***	10-20

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

76. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…".* In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

H.1 Submissions made by Domestic Industry

77. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

i. The Indian industry has sufficient capacity to cater to the demand in India. There is no requirement of imports into India to that extent. Despite increase in demand the domestic industry has not been able to utilize its capacity to the optimum level. This clearly indicates that the Indian users/importers are inclined towards imports because of low price and not because of non-availability of goods with the domestic industry.It is a settled position of law that demand supply gap does not justify dumping. The applicant refers and relies on DSM Idemitsu Limited versus Designated Authority.

ii. The imports from subject countries increased significantly to the tune of almost 2500% throughout the injury period from 1858 MT in the base year to 46,907 MT in the POI. Imports have also increased in relation to production and consumption. This increase is also characterised by the imposition of anti-dumping duty in imports of the subject goods from China PR.

iii. During the POI 51% of the total subject imports was of Aluminium Foil of less than 5.5 microns and amounted to 23,953 MT out of 46,907 MT of Aluminium Foil imports. This is the precise reason why duty should be imposed against this product from China.

iv. The imports from subject countries are significantly undercutting and depressing the prices of the domestic industry.

v. The capacity, production, capacity utilisation of the domestic industry has increased over the injury period. The increase in production is lower than increase in capacity because of market captured by dumped imports from subject countries.

vi. The domestic industry has increased its capacity in line with the increase in demand for the subject goods in country. Capacity expansion by the domestic industry is a step towards a fair competition and fulfilling the demand of the Indian market. Production of the domestic industry did not increase as much as the capacity increased. The domestic industry was able to increase it's sale because they did not increase the price to the extent of increase in cost, due to presence of dumped imports. This led to significant financial losses to the domestic industry. There is a clear causal link between the dumped imports and the injury being suffered by the domestic industry.

vii. The market share of the domestic industry increased slightly by 3% only, whereas, same for the subject countries increased by 29% from base year to the POI. This market share after imposition of duty on Chinese imports should have reached a level of 82%, however, the same remains at 46% in the POI due to dumped imports.

viii. The inventories with the domestic industry almost doubled in the POI from base year.

ix. The profitability, PBIT, ROI increased initially thereafter declined significantly to negative values in the POI.

x. Performance of the domestic industry shows a deterioration even if interest and depreciation cost is considered at the same level as in the past. Thus increase in depreciation cost, if any has no impact on the injury being suffered by the domestic industry and injury is solely account of dumped imports from the subject countries.

xi. The dumping and injury margin for the subject countries is significant.

xii. Authority is obliged to examine other factors and segregate injury caused by dumped imports and by other factors, the industry by way of NIP law also removes any inefficiencies or non ideal situation of the domestic industry while determining NIP and consequently the injury margin which is relevant for the quantification of duties.

xiii. Imports has shifted to Thailand, dumping has largely shifted from China to other countries, leading to continued injury to the domestic industry despite antidumping measure in force. Further, even China shifted dumping of aluminum foil of above 5.5 micron to imports of 5.5. micron and below. Thus, shifting imports from China is not "other factor" but one of the factor causing injury to the domestic industry.

xiv. The interested parties arguments on domestic country not having sufficient capacity is contradictory. Some of they are of an opinion that domestic industry has suffered injury due to capacity expansion and others say the domestic industry has not added capacities at all. Upon comparing the capacities of the domestic industry with the previous investigation, it will be seen that the domestic industry has increased the capacity in line with the increase in demand.

xv. The increase in demand for below 5.5 micron is not a genuine increase in demand. It is shift in requirement to take undue advantage of the product at dumped prices. Duty imposed on above 5.5 micron led to massive increase in imports below 5.5. micron from China. Further, demand for a particular good does not justify dumping. There is no evidence by interested parties of placing orders to the domestic producer which was declined.

xvi. In a case where dumping has shifted to new sources after imposition of duty on other sources, it is most logical that the situation of domestic industry would show some improvement as a result of anti-dumping duty in force. Article 3(5) European Commission Regulation specifically considers this as a factor showing injury.

xvii. The European Commission imposed definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in Belarus, wherein anti-dumping duties were already in place against other countries. The EC conducted the injury analysis keeping the fact of existence of antidumping duty in place in against other sources. The fact that of domestic industry is recovering, in fact, shows the impact of dumping on the domestic industry.

xviii. The other factors listed by the interested parties have not been established by the interested parties. The lockdown period began on 23rd March and the plant shut down during the POI was hardly for a week. In-fact some of the domestic producers did not even completely shut down its plant.

xix. The WTO Panel Report in the matter of Thailand – Anti-Dumping Duties on Angles, Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel And H-Beams from Poland observed that existence of other factors causing injury should be such that vitiates or breaks the causal link between dumping from subject country and injury to the domestic industry so as to conclude no injury on account of dumped imports from subject country. The law does not warrant a determination that dumping should be the sole cause.

xx. The issue of inverted duty is irrelevant. A party cannot demand its survival on the strength of dumped imports.

xxi. Hindalco has reported profit for company as a whole it cannot be considered for the subject goods.

xxii. In order to be excluded as subject country the share of import should be 3% or below, import share of Malaysia is 3.1%, hence cannot be excluded as subject country.

xxiii. The applicants have provided the import summary. The interested parties are free to procure imports and make analysis and provide quantifiable evidence to the Authority enabling the Authority to make a reasoned decision.

H.2 Submissions made by other interested party

78. The following submissions were made by other interested parties with regard to injury and causal link:

i. No injury to the domestic industry, if there is any injury, that is self inflicted, cannot be attributed to imports.

ii. Total imports of Aluminium foil between 5.5 micron to 80 micron has declined by 37,567 MT in the POI as compared to the base year. The total imports from subject countries have declined from 75,002 MT in 2016-17 to 64,123 MT in the POI.

iii. The claims regarding increase in imports is based on the import of Aluminium foil below 5.5 microns. Out of total subject imports of 49,365 MT in the POI, imports of 24,302 MT is of Aluminium Foil at less than 5.5 micron i.e. approximately 50% of total subject imports in the POI was of Aluminium Foil of less than 5.5 micron.

iv. The capacity of the domestic industry increased 30% during the POI, the production of DI increased significantly during the POI, capacity utilization of the domestic industry increased every year, domestic industry recorded 40% in the number of employees during the POI which also increased its productivity/day. The market share of petitioners and supporters also shows a positive trend during the POI which do not establish any material injury.

v. The Authority should investigation circumvention rather than fresh anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from Thailand as suggested by the facts stated in the petition. The pattern of imports from China to Thailand is on account of circumvention of duty by entities namely Ding Sheng Group and Loften Industrial Co., Ltd. The Authority should examine the volume and value of imports from these companies from China and Thailand.

vi. Domestic industry neither claims any causal link nor placed in evidence in this respect which shows or alleges that there is any material injury or threat of material injury by the import of color coated aluminium foil from subject country.

vii. The importers were forced to import the instant product into India during the POI due to unavailability of the same domestically. The domestic industry cannot claim to suffer any injury from such imports.

viii. Performance of the domestic industry improved post imposition on ADD on Chinese imports. There is no need for further protection of domestic industry.

ix. There is an absence of causal link between dumped imports and injury to the Domestic Industry. Injury caused to the Domestic Industry, if any, is attributable to other factors like trade war, economic slowdown and worldwide decrease in aluminium consumption coupled with increased cost of raw materials.

x. There is no causal link between alleged dumping and injury claimed as the industry produced the product as per their choice leading and it cannot claim injury thereafter as supply led to a large

demand-supply gap and a range of quality issues in India. The domestic industry did not suffer from any injury in real terms and the claims of causal link are unsubstantiated.

xi. In order to evaluate the causal link, the Authority should refer to the findings of the Director General (Safeguards) in the safeguards investigation on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 Series, wherein, the Authority categorically held that abnormally high depreciation and finance charges were responsible for the losses to the domestic industry as a result of which the causation analysis fails

xii. There is a wide gap between capacity and demand due to which imports take place and no capacity was added, even during the profit period. Authority was requested to evaluate the gap based on the petitioner's capacity only for injury examination as other producers did not provide any data.

xiii. Highest production during POI rules out any decline in production and injury. Further, new capacity was added during POI but it was only miniscule and would take time to stabilise and this increase in production in real terms led to slight decline in percentage of capacity utilization.

xiv. The market has been robust as share of Indian producers, including the petitioners, increased from 39% to 48% which is a huge increase.

xv. The market share of domestic industry has increased from 20.1% in 2016-17 to 23.7% in the POI. Market share of other supporting producers has increased from 9.3% in 2016-17 to 15.9% in the POI.

xvi. Jindal and Raviraj cannot claim injury as they themselves import foil stock, which is PUC at semi-finished stage, from subject countries and only do finishing work which involved rolling and slitting. Such process cannot be considered as any significant manufacturing which should not be considered while examining injury.

xvii. Hindalco has registered huge profits of 77% in the post POI period at overall level. Annual Report of Hindalco showcases the healthy state of Indian foil manufacturing on account of huge demand and profits of 25 crore from sale of a particular foil manufacturing unit. Hindalco incurred costs in closing foil plant overseas; but no problem has been narrated in the Chairman's message with respect to foil business or threat from dumping. No injury has been incurred by the Indian foil manufacturing and it does not need ADD protection.

xviii. Indian companies including Hindalco has increased aluminium price in line with international price movements which is not justified as the users end up paying high prices and never get the benefit of lower prices as ADD would be put in place.

xix. Abnormally high depreciation costs and finance charges during the POI compared to its previous years is the actual cause of loss to the domestic industry and not imports.

xx. Imports from Malaysia should be treated as de minimis as they constitute 3% of the total imports and investigation against Malaysia should be dropped.

xxi. Imports from Indonesia have dropped significantly by more than 70% from the previous year, hence, transaction-wise import data needs to be provided.

xxii. The imports from Malaysia accounts for exact 3% of the total imports. Investigation against Malaysia is in violation of rules. Imports from Indonesia also accounts for only 4.13%, thus, claim regarding shift of dumping to these sources have no ground.

xxiii. The domestic industry managed to maintain the same price levels despite decline in prices of the Aluminium during the POI.

xxiv. The cost of sales and selling price have moved in tandem during the POI upon comparison with the base year.

xxv. The Authority should suo moto review the existing anti-dumping duty on China PR concerning imports of Aluminium Foil.

xxvi. The domestic industry was incurring losses when the imports were not undercutting the domestic prices in 2016-17, the domestic industry was earning substantial profit in 2017-18 and 2018-19, when the imports from the subject country started undercutting domestic selling prices.

xxvii. Total imports of aluminium foil between 5.5 microns to 80 microns have declined by 27,172 MT in the POI as compared to the base year.

xxviii. Even after the increase in capacity of the petitioners, there is a substantial gap of 91,856 MT between the total capacity of Petitioners and demand in the POI.

xxix. Imposition of anti-dumping duty will put pressure on an already struggling domestic user industry. It will also further worsen the demand-supply gap for the subject goods.

xxx. There is no co-relation between price undercutting and profitability. When price undercutting has been negative, the DI was in losses; when price undercutting was positive, the DI was in profits.

xxxi. Petitioners' profitability has been severely impacted due to significant increase in global prices of raw material to produce the PUC. The same has been admitted to by Hindalco in its Annual Report 2018-19.

xxxii. DI made losses in the base year, price undercutting from subject countries were negative. There after landed price of imports increased from Rs202/Kg in the base year to Rs223/Kg in the POI but the DI turned into losses. Thus, the cause of losses claimed by the petitioners cannot be linked to landed price of imports in any manner.

xxxiii. Capacity and capacity expansions as claimed by the petitioners must be collected by the Authority product wise and total claims of capacity have no meaning. Installed capacity as shown in the application has changed by 1500 MT only. Only to produce 5.5, micron the petitioners might need 67500 additional hours which means almost 9 rolling millsand huge no of furnaces and slitting machines. Such investment is nowhere seen. Thus, the whole claim of capacity addition needs specific examination by the Authority.

xxxiv. Imposition of ADD on aluminium foil would lead to import of finished containers under HSN7615 and there will be a situation of inverted duty. Such imports would attract a duty of 10% only whereas imports of raw material would attract a 7.5% customs duty + ADD additional. This levy is a serious concern of the SRC container producers using SRC foil.

xxxv. Authority was requested to call in type-wise production and sale of House foil and SRC foil for the past 5 years, including POI, from all petitioners to evaluate their status as bona fide producers of House Foil and SRC Foil as they have been hiding the real facts of their production and sale to rig the downstream market. The overall capacity to produce 5.5 micron is not comparable with House Foil or SRC foil capacity. Just stating overall capacity is not sufficient to gauge the realities of capacity and production, hence, a type wise production should be provided by the petitioners.

xxxvi. The claim regarding source of dumping shifting from China to other subject countries is without basis. The imports of foil less than 5.5 micron are primarily due to consumer preference and technological upgradation in tandem with global demand.

xxxvii. The machinery and technology used by the domestic producers are old and obsolete resulting in various quality issued with domestically produced foils.

xxxviii. The purpose of anti-dumping duty is to provide a price cushion to the domestic industry and domestic industry takes advantage of the same by increasing prices. The domestic industry has increased prices by Rs. 35.40 per kg post initiation.

xxxix. Varopakorn has only exported foils for semi-rigid containers (SRC foils) to India. It was to bridge the demand-supply gap as Indian producers were unable to provide the requisite volume of SRC foils, as per the desired specification. Hindalco and Raviraj focused on pharma/flexible packaging and Jindal has a very limited supply of SRC foils.

xl. Raviraj and PG Foils have imported about 842.42MT of Foils Stock in the Month of January 2021 and the same is being done because there is no adequate supply. While these companies are importing Foils Stock from countries like Bahrain, Indonesia and China PR at an average price of Rs172/Kg (CIF) and thereafter selling them after rolling, how come a higher priced import of PUC at Rs213/Kg (CIF) level from subject countries could do any harm to the petitioners.

H.3 Examination by the Authority

79. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the relevant Anti-Dumping Rules and Annexure III after duly considering the submissions made.

Cumulative Assessment

80. Para (iii) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti- dumping investigation. the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. Margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the import of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for, more than seven percent of the import of like article; and

b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

81. The Authority notes that:

a. The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

c. Cumulative assessment of the effect of the imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like article offered by the Domestic Industry in the Indian market.

82. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the Domestic Industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries.

83. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic industry, *taking into account all the relevant facts, including the volume of the dumped imports, their effect on the prices of the domestic market for like articles and consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.*

84. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is, otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory. profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping. etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

85. The submissions made by interested parties with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.

H.4 Volume effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

a. Assessment of Demand/Apparent Consumption

86. Demand or apparent consumption of the product in India has been determined as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources.

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of domestic industry	MT	27,643	28,244	32,199	34,813

Sales of Supporters	MT	12,630	19,302	21,930	23,268
Sales of other Indian producer	MT	13,363	12,332	12,035	12,175
Subject Countries	MT	1,858	17,647	35,889	46,907
Thailand	MT	260	4,230	6,109	16,730
Indonesia	MT	853	6,804	11,176	3,399
Malaysia	MT	707	484	887	2,476
China below 5.5	MT	38	6,129	17,716	24,302
Country attracting ADD-China PR	MT	73,112	36,552	19,343	14,757
Other Countries	MT	7,368	20,970	19,900	20,651
Total Indian Demand	MT	1,35,974	1,35,047	1,41,296	1,52,571

87. It is seen that demand has slightly declined in 2017-18 since the base year and increased thereafter in 2018-19 and the POI.

b. <u>Import Volumes from the subject countries</u>

88. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from the subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The factual position is as follows:

Imports Volume	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject Countries	MT	1,858	17,647	35,889	46,907
Thailand	MT	260	4,230	6,109	16,730
Indonesia	MT	853	6,804	11,176	3,399
Malaysia	MT	707	484	887	2,476
China below 5.5	MT	38	6,129	17,716	24,302
Country Attracting ADD-China	MT	73,112	36,552	19,343	14,757
Other Countries	MT	7,368	20,970	19,900	20,651
Total Imports Volume	MT	82,338	75,169	75,132	82,315

89. It is seen that:

a. Imports from the subject countries have increased throughout the injury period. It was contended by the domestic industry that imports of subject goods increased by many folds post imposition of anti-dumping duty on aluminium foil 5.5 micron to 80 micron from China in 2017. It is seen that imports from the subject countries almost doubled in 2018-19 since 2017-18 and thereafter further increased in the POI.

b. Imports from country attracting duties have declined post imposition of anti-dumping duties.

c. <u>Subject Countries Imports in relative terms</u>

90. Imports in relative terms shows as follows:

Imports from subject countries in relation to	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	%	3.01	26.25	47.74	59.66
Consumption	%	1.37	13.07	25.40	30.74

91. It is seen that imports from the subject countries in relation to production has increase from 3% in POI to 59% in the POI, whereas imports in relation to consumption has shown the same trend and has increased from 1.36% in the base year to 30% in the POI.

92. Thus, imports have increased significantly in absolute as well as relative term throughout the injury period.

H.5 Price Effect of Dumped imports on the Domestic Industry

93. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries have been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realisation, selling price and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price Undercutting

94. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	123	115
Landed price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	122	110
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	454	179	325
Price undercutting	% Range	0-10	11-20	0-10	0-10

95. It is seen that the landed prices from the subject countries have been below the selling price of the domestic industry, thus undercutting the domestic prices.

b. Price Suppression and Depression

96. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices, changes in the costs and prices over the injury period have been compared. The factual position is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	111.87	118.72	116.13
Selling Price	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	115.82	123.22	115.27
Landed price	₹/MT	2,02,770	2,17,022	2,46,914	2,22,669
Trend	Indexed	100	107	122	110

Change in					
Cost of Sales		--	***	***	***
Trend		--	100	57.67	(21.88)
Selling Price		--	***	***	***
Trend		--	100	46.67	-50.25

97. It is seen that cost of sales and selling price both have increased till 2018-19 and declined thereafter in the POI. The landed value has also followed the same trend. Thus, the cost of sale, selling price and landed value have declined in the POI. It is seen that at one hand, decline in cost of sale is less than decline in selling price, and on the other hand, decline in landed value is way below the decline in selling price. Cost of sale has declined by ** points in the POI since the previous year, the selling price has declined by ** points and at the same time landed value has declined by 12 points in the POI since the previous year. Thus, imports have not let the domestic industry to increase its prices even to the level of cost of sale and have depressing effect of the selling price of the domestic industry.

H.6 Economic Parameters of the Domestic Industry

98. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and submissions made.

a. Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

99. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	47,004	47,004	48,504	61,593
Trend	Indexed	100	100	103	131
Production	MT	31,887	31,818	37,078	39,324
Trend	Indexed	100	100	116	123
Capacity utilization	%	68	68	76	64
Trend	Indexed	100	100	113	94
Domestic sales	MT	27,643	28,244	32,199	34,813
Trend	Indexed	100	102	116	126

100. It is seen that:

i. Domestic industry has enhanced capacity in 2018-19 and in the POI. It was contended by the domestic industry that capacity has been enhanced in line with the increase in demand for the subject goods.

ii. Production and sale of the domestic industry have increased in view of the increase in demand.

iii. Capacity utilisation has declined in the POI since the previous year as well as the base year.

b. <u>Profitability, Return on investment and Cash profits</u>

101. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Profit/Loss	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100.00)	(8.03)	(0.37)	(138.59)
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100.00)	94	107	(267)
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	265	279	87
ROI	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	80	70	(99)

102. It is seen that:

i. It is seen that profitability of the domestic industry has improved slightly till 2018-19 and declined drastically in the POI. The domestic industry has contended that the industry was trying the recover from the ill effect of dumping from China and post imposition of ADD on China, the industry was able to improve the profitability. But such improvement was short lived as soon after the imposition of ADD on China in 2017, imports started to increase significantly from the subject countries and resultantly, the domestic industry witnessed losses in the POI. It is seen that the selling price of the domestic industry is below the cost of sale.

ii. PBIT, cash profit and ROI, all three parameters have followed the same trend as the profitability. All these parameters have improved till 2018-19 and declined significantly in the POI.

c. <u>Market share in demand</u>

103. Market share in demand over the injury period is given in the table below:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic industry	%	20.33	20.91	22.79	22.82
Trend	*Indexed*	*100*	*103*	*112*	*112*
Other producers including Supporters	%	19.12	23.42	24.04	23.23
Trend	*Indexed*	*100*	*123*	*126*	*122*
Subject country imports	%	1.37	13.07	25.40	30.74
Trend	*Indexed*	*100*	*956*	*1,858*	*2,249*
Other imports	%	59.19	42.59	27.77	23.21
Trend	*Indexed*	*100*	*72*	*47*	*39*

104. It is seen that the market share of the domestic industry has slightly increased over the injury period. It has gone up by 2.5% in the POI since the base year whereas market share of the subject countries has increased consistently and significantly from 1.36% in the base year to 29.3% in the POI. The domestic industry has contended that they have not been able to increase the market share despite there is

increase in demand. It was also contended that the domestic industry could not take advantage of the market share emptied by China post imposition of ADD, because it was completely highjacked by the dumped imports from the subject countries.

d. Employment, productivity and wages

105. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
No. of employees	No.	768	922	955	1,076
Trend	Indexed	100	120	124	140
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	116	123
Productivity per employee	MT/No	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	94	88
Wages	₹ Lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	133	157	162

106. It is seen that number of employees, productivity and wages have increased throughout the injury period.

e. Inventories

107. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Average inventory	MT	796	801	1,176	1,709
Trend	Indexed	100	101	148	215

108. It is seen that inventories have increased throughout the injury period. It has doubled from the base year to the POI. The domestic industry has contended that the domestic industry has not been able to sell the subject goods despite the fact that there is increase in demand and the domestic industry has highly compromised on the selling price. The closing stock in the POI was at the highest level.

f. Growth

109. It is seen that growth of the domestic industry in terms of production and sale have been positive during POI and growth in terms of cash profits and return on investment was negative in the POI.

Growth	Units	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	%	-	(0.22)	14.19	5.71
Domestic Sales	%	-	2.13	12.28	7.51
Cash Profit - Rs. Lacs	%	-	62	5	(219)
Return on Capital Employed	%	-	5.84	(0.32)	(5.48)

g. Factors affecting domestic prices

110. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price of the domestic industry, causing price

undercutting. The price undercutting has led to price depression in the Indian market. The demand for the subject goods increased over the injury period and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices.

H.7 Magnitude of Injury and Injury Margin

111. Non-Injurious Price for the domestic industry has been determined on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price of each PCN from each of the subject country for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as per procedure prescribed in Annexure-III. The non-injurious price for each PCN so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries for comparable PCN to determine the injury margin as follows:

Injury Margin table

Sr. No.	Country	Prducer	LV USD/MT	NIP USD/MT	IM	IM%	Range
1	China	M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
2	China	M/s Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd. (Now Known as M/s Shanghai Shunho Aluminium Foil w.e.f 19.05.2021)	***	***	***	***	10-20
3	China	M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd	***	***	***	***	10-20
4	China	M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
5	China	M/s Jiangsu Fengyuan Aluminium Mstar Technology Co., Ltd.,	***	***	***	***	10-20
6	China	M/s Kunshan Aluminium Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
7	China	All Others	***	***	***	***	30-40
8	Thailand	Thai Ding Li New Materials Co., Ltd and.	***	***	***	***	20-30
9	Thailand	Dingheng New Materials Co., Ltd	***	***	***	***	20-30
10	Thailand	M/s Loften (Thailand) Co. Ltd.	***	***	***	***	30-40

11	Thailand	M/s Varopakorn Public Company Limited	***	***	***	***	20-30
12	Thailand	All Others	***	***	***	***	30-40
13	Malaysia	All Others	***	***	***	***	30-40
14	Indonesia	All Others	***	***	***	***	20-30

I. OTHER KNOWN FACTORS AND CAUSAL LINK

112. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

a. Volume and price of imports from third countries

113. Imports from other countries are at higher than import price from subject countries or low in volume. Further imports from China are already attracting anti-dumping duty.

b. Export Performance

114. It is seen that domestic industry is largely in the domestic market. In any case, the Authority has considered the data for domestic operations for its injury analysis.

c. Development of Technology

115. There are no known material developments in technology over the injury period. Changes in the technology could not have caused claimed injury to the Domestic Industry.

d. Performance of other products of the company

116. The Authority has considered performance of the domestic industry only in respect of product under consideration. The injury claimed to the domestic industry is only in respect of the subject goods.

e. Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

117. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

f. Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

118. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it is the injury to the domestic industry was not due to contraction in demand or changes in pattern of consumption.

J. FACTORS RELEVANT FOR INJURY AND CAUSAL LINK

119. The following parameters are relevant for injury and causal link determination:

a. Dumped imports from the subject counties have increased in absolute terms, in relation to production and consumption in India.

b. Dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry.

c. Imports have depressing effect on the selling price of the domestic industry.

d. Imports are preventing the domestic industry from raising its prices even to the extent of cost of production, leading to financial losses. The decline in profits has led to decline in cash profits/cash flows and return on investment;

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

120. Following are the post disclosure submissions made by the Domestic Industry and Other interested parties.

K.1 Submissions made by the domestic industry

121. Following are the brief of comments to disclosure submitted by the domestic industry.

i. UCAJ in their submission neither stated that there is no demand for electric vehicle battery foil in India at present, nor that they have not exported the subject goods to India during the POI. There is no demand for battery foil for EV in India and no cause of action has arisen to UACJ. Their claim for exclusion of battery foil was solely on the ground of potential demand.

ii. UCAJ is not an exporter of the subject goods and has not exported any quantity of Battery foil in India during the POI.

iii. Authority rightly observed that Aluminium Foil can be manufactured from both flat rolled product (FRP) and Ingot. European Commission, in Commission Regulation 287/2009 of 7 April 2009 while imposing provisional anti-dumping duty on imports of certain Aluminium Foil originating in Armenia, Brazil and the People's Republic of China, held that Aluminium foil is manufactured by rolling aluminium ingots or foil-stock to the desired thickness.

iv. Authority rightly defined the PUC with the exclusions of 12 products. The domestic industry agrees to the exclusion of Adhesive tapes and Color coated Aluminium foil and requests the authority to specify the Adhesive tape in the exclusion as it is Aluminium foil (<80 mic) both sides coated with adhesive and also to specify the Color coated Aluminium foil as it Aluminium Foil with either PE (polyster) coating of PVDF (fluorine Carbon), coating falling under CTH 7607.

v. No substantial evidence has been put on record by the other interested parties to sow that the quality of the like article being sold by the domestic industry is bad.

vi. As per the Designated Authority finding and subsequent CESTAT order in DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority, difference is quality is not a sufficient justification for exclusion of a product.

vii. The authority proposed to change name of Shanghai *Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd,* to *Shanghai* Sunho *Aluminium Foil Co. Ltd.* based on request received, however they have not enclosed the prescribed proforma for name change as per Trade Notice 12/2018. The authority is requested to specify the nature of change and specify that the same is only due to name change in the company as the change affects only the English name of the company and not the Chinese name.

viii. The respondents have suppressed all expenses forming the important part of an export transaction, which are required to determine net export price. There is no justification for different exporters claiming expenses on different account to determine ex-factory export price when all of them have sold to Indian buyers at CIF level.

ix. The domestic industry completely agrees with the proposed conclusion of the Authority for Injury and Causal link analysis. Imports from the subject countries have increased significantly and has hit the price parameters of the domestic industry.

x. There shall be no adverse impact of ADD on consumers and public at large. The ADD's have had a positive impact on the performance of the domestic industry in the past and the imposition of duties shall arrest the decline in performance of the industry.

xi. Owing to the increasing demand the domestic industry had increased its capacity recently and for the producers to be able to run these new capacity expansions, it is necessary that adequate measures are imposed to ensure fair competition in the market.

xii. The domestic producer should recover from the injury suffered due to the dumped imports to cater to the consumers' interest to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports.

xiii. The consumers will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material. However, in case of procurement from the domestic industry, inventory holding can be kept at much lower levels.

xiv. Despite of the duties on subject goods since 2017 on China, the user industry has shown growth.

xv. There is enough inter-se competition between the 3 applicants, 12 other producers and 2 new producers who will commence their manufacturing in the coming months in the domestic market and the domestic industry will have competitive prices thereby benefitting the domestic industry. Imports are also coming from various sources too. Hence, there is no possibility of monopoly.

xvi. The domestic industry requests the data of the domestic industry which is the basis for the normal value in China PR to be disclosed. The domestic industry requests the non-confidential version of disclosure of the verification reports of the participating exporters, communications exchanged with exporters and any information filed by the exporter post filing of initial questionnaire response.

xvii. Anti-dumping duty may be imposed only as fixed quantum of anti-dumping duty, expressed as duty in US$/MT.

K.2 <u>Submissions by other interested parties</u>

122. Following are the brief of comments to disclosure submitted by the domestic industry

i. The Authority is bound as per decision of the Supreme Court in Automotive Tyre Manufacturers vs DA, to give findings on all issues raised by the respondents. The Authority has failed to take note about the preliminary objection raised by the user industries about maintainability of the proceedings.

ii. The Authority has failed to examine the issue of two applicants involved in only re-rolling of the Aluminium foils from foil-stock, mostly imported from the same countries.

iii. The domestic industry does not have capacity to produce Aluminium foil below 5.5 micron. The domestic industry has claimed material injury for this product as well when they have introduced this in market in the last quarter of POI.

iv. The PUC from China is different from the PUC for other subject countries in the same investigation. This will lead to a situation where two different product sub-types from same country will attract different duties and also for two different durations. This is in violation of principle where dumping is determined for product as a whole.

v. The Authority has failed to consider legal submissions regarding non-fulfillment of condition of inter-se competition and thus should not have carried out cumulative injury analysis.

vi. The Authority has failed to examine whether the product from domestic industry confirms to the standard and also whether the rejection rate is negligible.

vii. Other investigating Authorities with regard to the scope of the domestic industry in similar situations, USITC, in Aluminium Foil from China, Investigation Nos. 701- TA-570 and 731-TA-1346 (Final) and European Commission Regulation (EU) 2015/1081 of 3 July 2015 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain aluminium foils originating in Russia, , dealing with the same product, clearly recognize the production of foils and Foil Stock from the basic material and treats the rolling and other activities from the Foil Stocks or Flat Rolled Products as industrial processing activities.

viii. There is no transparency about the methodology adopted by the Authority regarding determination of Normal value and export prices of each participating producer- exporters and

others. It is also not clear how the foils above 5.5 micron and below 5.5 microns have been treated while calculating the dumping margins from each of these countries.

ix. The imports from Malaysia, being below 3%, are de minimis and should not have been included in the investigation.

x. The Authority failed to examine the data of Domestic industry. The data given by them is not reliable.

xi. The total import of aluminum foils from Thailand and Indonesia, taken together, has increased marginally in the POI compared to the previous year. Therefore, no justification for include 5.5 micron foils against these countries and further marginal increase of volume from these countries cannot have any major volume impact on the domestic industry.

xii. The Authority failed to take into account impact of capacity addition to the extent of 25% in the POI impacting cost and prices of the domestic industry, and also, the global price trends of subject goods during that time period.

xiii. A PCN level analysis would have shown that there are no price undercutting, underselling, suppression, and depression effects of the alleged dumped imports.

xiv. The Authority has excluding 'Adhesive Tapes' from the scope of PUC. The Authority is requested to confirm the same in the final findings. The Authority is requested to describe the product exclusion as "*Aluminium Foil Adhesive Tapes*" in the Final Findings.

xv. The Authority is requested to correct the name of the Respondent to "Kunshan Aluminium Co., Ltd" in the final findings to be issued by the Authority.

xvi. The Authority has not disclosed the volume of Ultra-Light Gauge produced and sold by Jindal India Limited even in range form, as a proportion of total domestic production in India. It should also be clarified whether Ultra-Light Gauge was sold in other months as well. Sale in December 2019, one month, cannot be representative of the commercial quantities.

xvii. Two other major producers did not produce Ultra-Light Gauge during the POI questions the validity of the inclusion of this type within the scope of the PUC.

xviii. The demand supply gap is an important factor in determination of the exclusion of a particular product from the scope of PUC. The Authority should also keep in mind interests of the downstream industry in excluding this product from the scope of the PUC. The Authority decided in similar manner in final findings dated 19 January 2021 in the anti-dumping original investigation concerning imports of "Newsprint in rolls or sheets, excluding glazed newsprint" originating in or exported from Australia, Canada, EU, Hong Kong, Russia, Singapore and UAE.

xix. The standing of the domestic industry is questionable since they did not manufacture or commercially sell Ultra-Light Gauge during the POI and may have instead imported the same from the subject countries.

xx. The imposition of ADD will lead to a strengthening of the monopolistic situation of the domestic industry.

xxi. The Authority failed to objectively examine the request for exclusion of Battery Foils from the scope of investigation. The pre-conditions for imposition of duty, i.e., imports at dumped price causing injury is not satisfied in the present case. There was no imports of battery foils in India during POI. The price of battery foil is much above the normal value as well as NIP. All types of foils meant for commercial applications have been excluded, Battery Foils are specialized foils developed by UACJ Foil Malaysia SDN BHD to cater the needs of lithium-ion battery manufacturers.

xxii. The Petitioners claim to have sold Battery Foils in the Indian market, however, they do not confirm on whether the same has been produced by them and sold in commercial quantities.

xxiii. There is a substantial price difference between Battery Foils manufactured by UACJ Foil Malaysia SDN BHD and foils manufactured by Indian producers. The normal aluminum foils and specialized foils of metal alloys are not technically and commercially substitutable.

xxiv. The levy of duty on Battery Foils will adversely impact the prospects for electric vehicles and other similar electric-powered products in the Indian market. UACJ Foil Malaysia SDN BHD has not exported 'battery foils' or subject goods during the POI as well as the injury period.

xxv. Authority should consider the LME price as the cost of aluminium ingot during the POI for constructing normal value. Additionally, the Authority should not use a higher ratio since the aluminium foil industry is not a high profit industry.

xxvi. If the Authority concludes in the final findings that anti-dumping duty is to be recommended, the Authority is required to consider the lower of injury margin and dumping margin determined in the disclosure statement while recommending the duty in accordance with Rule 17(1)(b) of the AD Rules.

xxvii. The Authority must re-examine the volume effect of imports on the domestic industry after revising the import data to exclude the imports of adhesive tapes and color coated aluminium foil in order to undertake a fair analysis.

xxviii. No injury could have been caused to the domestic industry from imports of Aluminium Foil of less than 5.5 micron until commencement of commercial production and sales of this product in December 2019.

xxix. That there has been a significant decline in imports of subject goods from China PR. Imports of Aluminium foil of less than 80 micron from China PR has declined by almost 50% in the POI as compared to base year. That there has been a decrease in the import of subject goods from subject countries. Imports of Aluminium Foil of less than 80 micron has decreased by 18% in the POI as compared to base year. Therefore, the observation of the Authority in paragraph 43 of the Disclosure Statement that imports from subject countries has increased is incorrect.

xxx. That domestic industry has incurred losses and has witnessed a decline in PBIT due to increasing depreciation cost.

xxxi. The cost of production determined for Loften for the purpose of Normal Value appears unrealistically high and the same needs reconsideration based on real cost information of the provided by the Company. Accordingly, Dumping Margin determined for Loften needs to be corrected.

xxxii. The cost data thereafter shows that the Authority has considered separate conversion cost for each PCNs for Loften, whereas conversion cost does not vary significantly between PCNs as the difference in cost between PCN is primarily driven by differing raw material cost and conversion cost remain comparable as conversion cost is nothing but an allocation of cost based on a specific allocation method.

xxxiii. It appears that the overhead cost/conversion cost considered by the Authority in case of Loften is not as per the information submitted by the Company. The conversion cost in case of Loften is ***Thai Baht per MT as claimed by the Company in App-8 and against which the Authority has taken a conversion cost as high as *** Thai Baht per MT (Medium Gauge) which requires reconsideration and actual conversion cost of the Company alone should be adopted.

xxxiv. With regard to the key raw material cost that is the cost of Foil Stock, it is apparent that the Authority has calculated a cost of US$ *** /MT (*** THB@ *** Baht per US$), which is apparently based on LME cost of ingots, appears completely exaggerated and way too high than the actual raw material cost incurred by the Company.

xxxv. The decision not to exclude SRC and House foil from the scope of PUC is not fair. The exclusion is warranted as the said products have not been supplied as per demand in India and imports were essential.

xxxvi. Disclosure shows that Jindal India had started manufacturing Aluminium foil below 5.5 micron since 2019 and they sold their first commercial quantity in December 2019. This is when the

POI of the present matter is 01st April 2019 to 31st March 2020. Thus, even if they were producing and selling the said type of product, it was only for about 4 months during the POI as the commercial production admittedly started only in December 2019 and the users were compelled to import the same for substantial part of the POI. Aluminium foil below 5.5 micron should be excluded from the product scope for this reason alone.

xxxvii. Exclusion request for 6.3 Micron foils is reiterated as the same is getting imported due to quality issues and users cannot use the Indian material as shown in our submission.

xxxviii. The capacity claim by manufacturer needs to be per product basis and what quantities they have assumed for each product to arrive at capacity. The current claims of capacity by manufacturers are totally false.

xxxix. A producer producing the subject goods from ingot stage and a producer producing the subject goods from imported foil stock/FRP from countries including subject countries cannot be put in the same pedestal. Injury examination should be done separately for Hindalco and other companies if the importing producers like Raviraj and Jindal are considered as part of DI.

xl. The Disclosure shows that import of subject goods increased from 1858MT from the base year to 46,907 in the POI. But the basic cause of such increase in import is not examined and addressed at all. The basic cause of import is capacity constraints of Domestic Producers to produce the required types of PUC and this fact must be considered while evaluating increase in imports and claims of injury in this matter. Thus, the DI did not suffer any injury on account of alleged dumped imports.

xli. The Authority must disclose the facts of type wise import of PUC, the corresponding capacity available with the petitioners and actual production of such types during the injury period to understand the real cause of imports and injury

xlii. The alleged injury also cannot be linked to price of subject goods imported. The DI incurred less losses at PBT level when the price undercutting was in the range of 11-20% in the 2017-18 period and the losses significantly increased when the price undercutting gap declined to 0-10% in the POI. In fact, ROI, which was positive in the 2017-18 period become negative when the price undercutting halved. There is no relation between imports and injury.

K.3 Examination by the Authority

123. The Authority notes that most of the submissions by the domestic industry and interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in this finding. Further, the Authority has examined additional/new relevant submissions of the interested parties as under:

a. The interested parties have argued that the subject good is manufactured from the stage of Ingot and manufacturing Aluminium foil from the stage of Flat rolled product should be considered merely as processing. In this regard, it is noted that this issue has been examined at length by the Authority at the relevant stage in the findings. It is noted that the approach taken by the Authority is consistent with its past practice.

b. As regards requests for exclusion of certain product types, the Authority notes that most of the interested parties have by and large reiterated their previous submissions. Although no material evidence substantiating such claims has been brought before the Authority. It may also be noted that demand supply gap is not a ground for exclusion of a product type. As far as Aluminium foil below 5.5 micron is concerned, the Authority has verified the evidence provided by the domestic industry that they are producing the subject goods and have started selling in commercial quantities within the POI. Reasons for non-exclusion of battery foil has also been examined in detail by the Authority. With regard to exclusion of Aluminium foil 6.3 micron, the other interested parties have not brought any material evidence on record to show the quality difference. Since the domestic industry is producing the same, thus it cannot be excluded from the product scope.

c. As regards the product type excluded from the product scope i.e. Adhesive tape and color coated Aluminium foil. It is clarified that Aluminium Foil Adhesive Tapes can be defined as "Adhesive tape is Aluminium foil (< 80 mic) single side or both sides coated with adhesive for use as tape " and color coated Aluminum foil can be defined as "aluminium foil with either PE(polyester) coating of PVDF(flourine Carbon), coating falling under CTH 7607".

d. The Authority notes the submissions by M/s Loften (Thailand) Co., Ltd. regarding the normal value computed for them by adopting LME prices of Aluminium and other conversion cost which they have stated are erroneous. Further, the consumption norms have not been correctly applied and apportionment methodology of overheads is also incorrect. The exporter providing the details of LME prices of raw material has submitted that their actual price of raw material is infact higher than the LME prices. The Authority after re-examining both the raw material consumption data and conversion cost methodology in light of submission made by the exporter has amended the normal value as *** $/MT

e. As regards the contention of Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd, to change their name to Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd, considering the submissions made by the company, and having regard to the nature of change claimed by the company, the Authority considers it appropriate to specify name of the new entity as well in lieu of the name of the companies investigated by the Authority. The company has clarified that this is merely change in English name of the company and the Chinese name remains the same. This name change does not impact the shareholding pattern or identity of the company. Thus, the Authority agrees for the name change of the entity from Shanghai Shenhuo Aluminium Foil Co., Ltd, to Shanghai Sunho Aluminium Foil Co.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

124. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

PUBLIC INTEREST

125. The Authority considered whether imposition of ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether imposition of duty on imports of the product under consideration would be against the large public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.

126. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchange ability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD. Several users have filed questionnaire response. Further the users have made claims that imposition of ADD will lead to increase in price, however none of them have quantified the impact of imposition of duty. The interested parties have not demonstrated how these prices of Aliminium foil will impact the consumers. Even though the

Authority has prescribed specific questions with regard to impact of ADD on the users, it is noted that none of the users have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. The product under consideration, at present is attracting anti-dumping duty from other source as well, no evidence has been provided by the users to show that the duties imposed in past have had any adverse impact on the users or the consumers at large. The domestic industry has contended that even after imposition of duty on another source the user industry has shown growth. The imposition of anti-dumping duties will also discourage the import of low-priced subject goods from subject countries and it will provide a fair and competitive market to the user industry. This will also discourage the user Industry to be import dependent. Even the domestic industry has made significant capital investment and expanded its capacity in the recent period and as per information on record, two new producers have set up their plant and about start their commercial production, non-imposition of anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concern. The fact that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.

127. Imposition of duties will be in interest of the domestic industry which has suffered injury due to dumped imports. The duties will ensure that domestic industry can compete in the market and will ensure wider availability of options to the users which will be in large public interest.

128. The Authority thus concludes that the anti-dumping duties will not be against the public interest at large.

L. CONCLUSION

129. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:

(i) The product under consideration has been exported at a price below normal value, thus resulting in dumping.

(ii) The domestic industry has suffered material injury.

(iii) Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.

(iv) Factors such as no quantification of adverse impact of duties by the interested parties, capacity expansions in the country which will ensure no demand and supply gap, inter-se competition between Indian producers, and absence of any evidence of adverse impact of anti-dumping duties imposed in the past on the subject goods reasonably demonstrates that imposition of duties will not be against public interest.

M. RECOMMANDATION

130. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link thereof in terms of Rules and having established positive dumping margin as well material injury to the domestic industry caused by dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.

131. In view of above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1) (b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the table below on all imports of goods described in Column 3 of the duty table originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

132. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

Sl. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7606	Aluminium Foil 80 micron and below*	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd	506.81	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd.	398.45	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.	523.67	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Hangzhou Five Star Aluminium Co., Ltd	523.67	MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Jiangsu Fengyuan Aluminium Mstar Technology Co., Ltd.,	510.24	MT	USD
6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Kunshan Aluminium Co., Ltd.	577.59	MT	USD
7.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than mentioned in serial no 1 to 6	976.99	MT	USD
8.	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand	China PR	Any	976.99	MT	USD
9.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Thai Ding Li New Materials Co., Ltd.	100.07	MT	USD
10.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Dingheng New Materials Co., Ltd	100.07	MT	USD
11.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	M/s Loften (Thailand) Co., Ltd.	93.53	MT	USD
12.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	M/s Varopakorn Public Company Limited	178.47	MT	USD
13.	-do-	-do-	Thailand	Any country	Any producer other than	339.93	MT	USD

				including Thailand	mentioned in sl. No. 9, 10, 11, 12			
14.	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand	Thailand	Any	339.93	MT	USD
15.	-do-	-do-	Malaysia	Any country other than Malaysia	Any	850.45	MT	USD
16.	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand	Malaysia	Any	850.45	MT	USD
17.	-do-	-do-	Indonesia	Any country other than Indonesia	Any	422.28	MT	USD
18.	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand	Indonesia	Any	422.28	MT	USD

*****Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)" excluding the following:

i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China PR

ii. Alu Alu Laminate

iii. Ultra Light Gauge Converted

iv. Aluminium Foil Composite

v. Aluminum foil for capacitors width below 500 mm

vi. Etched or formed Aluminium Foils

vii. Aluminium composite panel

viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil

ix. Aluminium Foil for beer bottle

x. Aluminium- Manganese- Silicon based and/ or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad

xi. Aluminium Foil Adhesive tapes

xii. Color coated aluminium foil

FURTHER PROCEDURE

133. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, l975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.06.18 22:32:04 +05'30'